लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[सोलहवां सत्र
Sixteenth Session]

Preservation Unit
6-7-92
Fumigated
On 1.1.84
Parliament Library

[खंड 61 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. LXI contains Nos. 11—20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee.

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates ond contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 19, मंगलवार, 29 नवम्बर, 1966/8 अग्रहायण, 1888 (शक)

No. 19 Tuesday, November, 29, 1966/Agrahayana 8, 1888 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या	S. Q. Nos.	
विषय	Subject	Pages
541. मैसर्स अमीनचन्द प्यारेलाल सार्थ समूह द्वारा कलकत्ता पतन आयुक्त से विलम्ब शुल्क की मांग	Demurrage claimed by M/s Aminchand Pyarelal Group from Calcutta Port Commission.	2417—18
542. आम चुनाव	General Elections	2418—21
543. हल्दिया पतन परियोजना के लिये विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange for Haldia Port Project.	2421—22
544. सेतुसमुद्रम परियोजना	Sethusamudram Project	2423—25
545. अनाज का अनिवार्य रूप से समाहार	Compulsory Foodgrains Procurement	2425—29
546. मार्ग में अनाज की क्षति	Damage to Foodgrains in Transit	2429—30
549. मार्ग में अनाज का खराब होना	Damage to Foodgrains during Transit	2430—32
547. अन्तर्राष्ट्रीय चावल आयोग	International Rice Commission	2432—34
548. सहकारी विपणन सम्बन्धी दान्तेवाला समिति का प्रतिवेदन	Dantwala Committee's Report on Cooperative Marketing	2434
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**Written Answers to Questions**	2435
तारांकित प्रश्न संख्या	**Starred Question Nos.**	551—570
551. समुद्री डीजल इंजनों का निर्माण	Manufacture of Marine Diesel Engines	2435
552. भारतीय नौवहन निगम की माल ढोने वाली सेवायें	Cargo Liner Services of Shipping Corporation of India	2435
553. पश्चिम बंगाल को चावल की सप्लाई	Rice Supplies to West Bengal	2435—36
554. यूगोस्लाविया से ट्रैक्टरों का आयात	Import of Tractors from Yugoslavia	2436

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

तारांकित प्रश्न संख्या S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
555.	गो-हत्या पर प्रतिबन्ध	Ban on Cow Slaughter	2436—37
556.	चीनी के दाम	Sugar Prices	2437
557.	ग्राम चुनावों में सामुदायिक विकास खण्डों से जीपों का हटाया जाना	Withdrawal of Jeeps from C. D. Blocks during General elections	2437
558.	अन्तर्राष्ट्रीय विमान यात्रा	International Air Travel	2438
559.	इंडिया बैल्टिंग एण्ड कौटन मिल्स लिमिटेड सेरामपुर	India Belting and Cotton Mills Ltd. Serampore	2438—39
560.	इंडिया बैल्टिंग एण्ड कोल्ड स्टोरेज (प्राइवेट) लिमिटेड, सेरामपुर	India Belting and Cold Storage (P) Ltd. Serampore	2439
561.	पंजाब और हरियाना को खाद्यान्न की सप्लाई	Supply of Foodgrains to Punjab and Haryana	2439—40
562.	आकाशवाणी से राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव संबंधी प्रसारण	Election Broadcast by Political Parties	2440
563.	बिहार में खाद्य वितरण	Food Distribution in Bihar	2440—41
564.	आसाम से पाकिस्तान में चोरी छिपे चावल का ले जाया जाना	Smuggling of Rice from Assam to Pakistan	2441
565.	रिवर स्टीम नैवीगेशन कम्पनी	River Steam Navigation Co.	2441
566.	मैसर्स डंकन स्टार्टन एण्ड कम्पनी	M/s Duncan Starton and Co.	2442
567.	ग्राम चुनावों में साम्प्रदायिक दलों द्वारा भाग लिया जाना	Participation of Communal Parties in General Elections	2442
568.	धान की खेती	Paddy Cultivation	2442—43
569.	लोक सभा तथा विधान सभाओं के लिए निर्वाचन	Elections to Lok Sabha and Legislative Assemblies	2443
570.	पौधों के विकास पर संगीत का प्रभाव	Effect of Music on growth of Plants	2443—44
अतारांकित प्रश्न संख्या		**Unstarred Question Nos.**	2510—2606
2510.	आसाम और राजस्थान में फ्लोर मिल (आटे की चक्कियां)	Flour Mills in Assam and Rajasthan	2444—45
2511.	हिमाचल प्रदेश में ग्राम चुनाव	General Elections in Himachal Pradesh	2445
2512.	मस्तूल वाले जहाज	Sailing Vessels	2445
2513.	मैसर्स मेकेंजीज लिमिटेड, बम्बई	M/s MakenZies Ltd., Bombay	2446

अतारांकित प्रश्न संख्या

U.S Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2514.	पंचागों में सुधार तथा एक राष्ट्रीय वैधशाला की स्थापना	Reformation of Almanacs and establishment of a National Observatory . .	2446
2515.	व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम	Applied Nutrition Programme .	2446—47
2516.	तम्बाकू की खेती	Tobacco Cultivation	2447
2517.	राज्यों में कृषि तथा सिंचाई में समन्वय	Coordination in Agriculture and Irrigation in States ;	2447—48
2518.	दिल्ली में भूचाल	Earthquakes in Delhi	2448
2519.	नर्मदा नदी में नौयात्रा	Sailing the course of River Narmada .	2448—49
2520.	समवाय अधिनियम	Companies Act	2449
2521.	अनाज से न बने हुए खाद्य पदार्थों का सोमवार को न परोसा जाना	Serving of Non-Cereal Food on Mondays	2449—50
2522.	पानी खींचने की नई मशीन	New Device for lifting water . . .	2450
2523.	ट्रेक्टरों की खरीद के लिये राजसहायता	Subsidy for purchase of Tractors . .	2450—51
2524.	विदेशी जहाजों को दिया गया विलम्ब शुल्क	Demurrage Paid to Foreign Ships . .	2451
2525.	भारतीय कृषि का आर्थिक सर्वेक्षण	Economic Survey of Indian Agriculture .	2451
2526.	चीनी के नये कारखाने	New Sugar Factories	2451—52
2527.	इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा विदेशी मुद्रा का अर्जन	Foreign Exchange Earnings of IAC .	2452
2528.	दक्षिण में नया हवाई क्षेत्र	New Air Zone in the South . .	2452—53
2529.	वाइकाउन्ट विमानों के स्थान पर अन्य विमान चलाना	Replacement of Viscounts . .	2453
2530.	मिट्टी परिक्षण कार्यक्रम	Soil Conservation Programme .	2454—55
2531.	सरकारी खेत (फार्म)	State Farms	2455
2532.	त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर रात के समय विमानों के उतरने की सुविधायें	Night Landing Facilities at Trivandrum Airport	2455—56
2533.	पर्यटन से विदेशी मुद्रा का अर्जन	Foreign Exchange Earnings from Tourism	2456
2534.	गहरे समुद्र में मछली पकड़ना	Deep Sea Fishing .	2456—57
2535.	दिल्ली परिवहन उपक्रम की बसें	D. T. U. Fleet . .	2457

अतारांकित प्रश्न संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2536.	कालीकट हवाई अड्डा	Calicut Aerodrome	2457
2537.	भारतीय खाद्य निगम के प्रधान	Chairman Food Corporation of India	2457—58
2538.	कृषि स्नातक	Agricultural Graduates	2458
2539.	ग्रामीण लोगों को पौषाहार के मूलभूत सिद्धान्तों की शिक्षा देना	Teaching Fundamentals of Nutrition to the Village Folk	2458—59
2540.	नेपाल से भारत के लिये चावल	Nepal Rice for India	2459
2541.	भारतीय खाद्य निगम द्वारा मोटे अनाज का समाहार	Procurement of Coarse Grains by Food Corporation of India	2459—60
2542.	चीनी का निर्यात	Export of Sugar	2460
2543.	प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां	Primary Agricultural Cooperative Societies	2461
2544.	हिन्दी में प्रकाशन	Publications in Hindi	2461
2545.	तकनीकी शब्दों के हिन्दी समानार्थक शब्द	Hindi Equivalents of Technical Terms	2462
2546.	दस्तावेजों का हिन्दी अनुवाद	Hindi Translation of Documents	2462—63
2547.	आदर्श विधेयकों के हिन्दी रूपान्तर	Model Bills in Hindi Version	2463
2548.	भारतीय जहाजों की माल ढोने की क्षमता	Tonnage of Indian Shipping	2463—64
2549.	कृषि सम्बन्धी शिक्षा	Agricultural Education	2464—65
2550.	अनाज का आयात	Import of Foodgrains	2465
2551.	चावल के इंजीनियरी पहलुओं के अध्ययन के लिये अनुसंधान केन्द्र	Research Centre for studying Engineering aspects of Rice	2465—66
2552.	महाराष्ट्र को देय पैट्रोल कर	Petrol Tax Share due to Maharashtra	2466
2553.	दमदम हवाई अड्डे का जलपान गृह	Dum Dum Airport Restaurant	2466—67
2554.	चीनी का उत्पादन	Sugar Production	2467
2555.	पी. एल. 480 के अन्तर्गत आयात किये गये गेहूं का मूल्य	Price of Wheat imported under PL480	2467—68
2556.	भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग	Geological Survey of India	2468—69
2557.	चावल मिलों के लिये खाद्य तथा कृषि संगठन से सहायता	FAO Aid for Rice Mills	2469

अतारांकित प्रश्न संख्या U.S Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2558.	दुग्धशाला (डेरी) परियोजनायें	Dairy Projects	2469—70
2559.	उपभोक्ता सहकारी समिति सम्बन्धी सलाहकार समिति	Advisory Committee for Consumer Cooperatives	2470
2560.	हालैंड द्वारा भोजन पैकेटों का उपहार	Food Packets Gifted by Holland	2470—71
2561.	दुर्बल पशुओं को पालने के लिये वनों का सर्वेक्षण	Survey of Forests for maintenance of Infirm Animals	2471
2562.	बूचड़खाने	Slaughter Houses	2471—72
2563.	राष्ट्रीय सहकारी बैंक	National Cooperative Bank	2472
2564.	राज्यों में बीज निगम	Seeds Corporations in States	2472
2565.	कृषि का विकास	Development of Agriculture	2472—73
2566.	खाद्य सम्बन्धी आंकड़े	Food Statistics	2473
2567.	आसाम के लिये नदी मार्ग	River Route to Assam	2474
2568.	दमदम हवाई अड्डे का जलपान गृह	Dum Dum Airport Restaurant	2474
2569.	भारत की मतदाता सूची में पाकिस्तानी नागरिकों के नाम	Pakistanis in Indian Electoral Rolls	2474—75
2570.	उत्तर प्रदेश में सिंचाई योजनायें	Irrigation Schemes in Uttar Pradesh	2475—76
2571.	कुमाऊं (उत्तर प्रदेश) में पर्यटक स्थान	Toursist Places in Kumaon (U. P.)	2476
2572.	उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती सड़कों का विकास	Development of Border Roads of UP	2476
2573.	इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमान का देरी से पहुँचना	I. A. C. Late Flights	2477
2574.	उड़ीसा में मत्स्य परियोजनाएं	Fishery Projects in Orissa	2477
2575.	केन्द्रीय सड़क निधि योजना	Central Road Fund Scheme	2478
2576.	पर्यटक केन्द्रों के विकास के लिये उड़ीसा सरकार को ऋण	Loan to Orissa Government to Develop Tourist Centres	2478
2577.	राष्ट्रीय राजपथों पर मील के चिन्ह	Mile Marks on National Highways	2479
2578.	राजभाषा (विधायी) आयोग	Official Language (Legislative) Commission	2479
2579.	चैकोस्लोवाकिया में कारगर कीटनाशक दवाई का तैयार किया जाना	Development of Effective Insecticides in Czechoslovakia	2480

अतारांकित प्रश्न संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2580.	लेखापालन व्यवसाय	Profession of Accountancy . . .	2480—81
2581.	इंडिया बैल्टिंग एण्ड कोल्ड स्टोरेज (प्राइवेट) लिमिटेड, सेरामपुर	India Belting and Cold Storage (P) Ltd. Serampore	2481
2582.	निर्यात के लिये चीनी का समाहार	Procurement of Sugar for Export . .	2482
2583.	कृषि उपज बढ़ाने वाले सब साधनों का प्रयोग	Concentration of Agricultural Inputs .	2482
2584.	दिल्ली दुग्ध योजना	Delhi Milk Scheme . . . . . ,	2483—84
2585.	कृषि भूमि का अर्जन	Acquisition of Agricultural Land .	2484
2586.	ओबराय इण्टरकाण्टिनेन्टल होटल नई दिल्ली	Oberoi Intercontinental Hotel, New Delhi.	2484—85
2587.	तूफान के कारण फसलों को हानि	Damage to crops due to cyclone . .	2485—86
2588.	मद्रास के लिये केन्द्रीय सड़क निधि में से राशि का नियतन	Central Road Fund Allocation for Madras State . . .	2486
2589.	बोहानी में कृषि कालेज	Agricultural College at Bohani .	2486—87
2590.	खाद्य नीति के सम्बन्ध में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन	Chief Ministers' Conference on Food Policy	2487
2591.	लोकप्रिय चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली	Lokpreeya Chit Fund (P) Limited. Delhi,	2487—88
2592.	राजस्थान में सहकारिता के आधार पर चीनी मिलें	Sugar Mills in Rajasthan on Cooperative Basis	2488
2593.	मद्रास में जयन्ती शिपिंग कम्पनी के संस्थान	Jayanti Shipping Company Establishment at Madras . . , .	2489
2594.	भारतीय खाद्य निगम	Food Corporation of India . .	2489—90
2595.	स्वदेशी काटन मिल, कानपुर	Swadeshi Cotton Mill. Kanpur .	2490
2596.	चीनी के कारखाने	Sugar Factories	2490—91
2597.	मैसूर में कृषि उत्पादन कार्यक्रम	Agricultural Production Programme in Mysore	2491
2598.	मैसूर में राष्ट्रीय राजपथ तथा पुल	National Highways and Bridges in Mysore . . . . , . .	2491—92
2599.	मैसूर राज्य को सहायता	Assistance to Mysore State ,	2492—93
2600.	मैसूर में बन्दरगाहें	Ports in Mysore . . , .	2493—94
2601.	आयातित गेहूं तथा मिलों के विक्रय मूल्य	Issue Prices of Imported Wheat and Milo , .	2494—95

अतारांकित प्रश्न संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2602.	भारत तिब्बत सीमा पर चावल का चोरी छिपे लाना ले जाना	Smuggling of rice on Indo-Tibet Boarder	2495
2603	सूखा से प्रभावित क्षेत्रों में नलकूप	Tubewells in Drought Affected Areas	2495—96
2604.	भारतीय जहाज और लाइबेरिया के टैंकर जहाज की टक्कर	Collision of Indian Ship with Liberian Tanker	2496
2605.	बागलकोट सीमेंट कम्पनी, बीजापुर	Bagalkot Cement Co., Bijapur . .	2496—97
2606.	सड़कों के लिये ऋणों का उपयोग	Utilisation of loans for roads . .	2497
2606-क.	मैसर्स गोलचा प्रापर्टीज (प्राइवेट) लिमिटेड, दिल्ली	M/s Golcha Properties (P) Ltd. Delhi .	2497—98
2606-ख.	मैसर्स आनन्द फाइनेंस (प्राइवेट) लिमिटेड, दिल्ली	M/s Anand Finance (P) Ltd. Delhi .	2498
2606-ग.	मैसर्स बी. धर्म सिंह एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली	M/s B. Dharam Singh & Co., New Delhi .	2499
2606-घ.	बिहार की सहकारी समितियों को रिज़र्व बैंक से ऋण	Reserve Bank Loan to Bihar Cooperatives . .	2499
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना	**Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance**	
(1)	संयुक्त राज्य अमरीका से अनाज का लदान स्थगित किये जाने के सम्भावना के समाचार	(i) Reported likelihood of suspension of USgrain shipments. . .	2500
	श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha . .	2500
	श्री चि० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam	2500—3
(2)	बिहार के मुख्य मंत्री का बिहार में भुखमरी की स्थिति के बारे में वक्तव्य	(ii) Bihar Chief Minister's Statement on Starvation conditions in Bihar .	2537—43
	श्री बागड़ी	Shri Bagri	2537
	श्री चि० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam	2537
	सभा के कार्य के बारे में	Re. Business of the House	2503—4
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	2505—06
	सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति कार्यवाही सारांश	Committee on Government Assurances . **Minutes**	2506

अतारांकित प्रश्न संख्या U.S.Q. Nos. विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha . . .	2507
स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्था चण्डीगढ़ विधेयक	Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, Bill . , . . .	2507
राज्य सभा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया	**Laid on the Table as passed by Rajya Sabha**	
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee .	2507
एक सौ नौवां प्रतिवेदन	Hundred and ninth Report	2507
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	2507–08
तिरेसठवां प्रतिवेदन	Sixty third Report	
तारांकित प्रश्न संख्या 298 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to SQ No. 298 ,	2508—09
निवारक निरोध (जारी रहना) विधेयक	Preventive Detention (Continuance) Bill , . .	2509—19
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider .	2510
श्री उमानाथ	Shri Umanath . . .	2510—11
श्री विश्वनाथ पाण्डेय	Shri Vishwa Nath Pandey ,	2511
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee . .	2511–12
श्री बासप्पा	Shri Basappa .	2512–13
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी	Shri J. P. Jyotishi . .	2513–14
श्री च० का० भट्टाचार्य	Shri C. K. Bhattacharyya	2514
श्री तुलशीदास जाधव	Shri Tulsidas Jadhav	2514–15
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी	Dr. L. M. Singhvi	2515–16
श्री यशवन्तराय चव्हाण	Shri Y. B. Chavan .	2516–17
खण्ड 2 तथा 1	Clauses 2 and 1	2517
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass .	2517
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shrl Y. B. Chavan .	2517
श्री रंगा	Shri Ranga , , . .	2517
श्री सरजू पाण्डेय	Shri Sarjoo Pandey . .	2518
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	2518
श्री नि० चं० चटर्जी	Shri N. C. Chatterjee	2518
श्री शिंकरे	Shri Shinkre . .	2518
उपज-उपकर (संशोधन) विधेयक	Produce Cess (Amendment) Bill	2519
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider .	2519–28
श्री श्यामधर मिश्र	Shri Shyam Dhar Misra .	2519–20
श्री रंगा	Shri Ranga . . .	2520–21

अतारांकित प्रश्न संख्या U.S.Q. Nos. विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री विश्वनाथ पाण्डेय	Shri Vishwa Nath Pandey .	2521—22
श्री नि० श्रीकान्तन नायर	Shri N. Sreekantan Nair . .	2522
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	Shri Narendra Singh Mahida	2523
श्री मुहम्मद कोया	Shri Mohammed Koya	2524
श्री सिंहासन सिंह	Shri Sinhasan Singh	2524—25
श्री सरजू पाण्डेय	Shri Sarjoo Pandey	2525
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	Dr. L. M. Singhvi	2525—26
श्री व० ब० गांधी	Shri V. B. Gandhi	2526—27
खण्ड 2 से 6 तथा 1	Clauses 2 to 6 and 1	2527
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	2527
श्री श्यामधर मिश्र	Shri Shyam Dhar Misra	2527
श्री नम्बियार	Shri Nambiar	2527
श्री नि० श्रीकान्तन नायर	Shri N. Sreekantan Nair	2527
पुलिस बल (अधिकारों का निर्बंधन) विधेयक	**Police Forces (Restriction of Rights) Bill**	2528
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	**Motion to Consider, as passed by Rajya Sabha**	
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Y. B. Chavan .	2528
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee . .	2529
श्री नाम्बियार	Shri Nambiar	2530
श्री बागड़ी	Shri Bagri	2530
श्री शिंकरे	Shri Shinkre	2530
विद्यार्थियों में असंतोष तथा हाल के महीनों में हुई गड़बड़ी के बारे में प्रस्ताव	**Motion Re. Student Unrest and Trouble in recent months**	2530
श्री उमानाथ	Shri Umanath	2530—31
श्री बड़े	Shri Bade	2532
श्री राम सहाय पांडेय	Shri R. S. Pandey	2532—33
श्री हेम बरुआ	Shri Hem Barua	2533—34
श्री राज बहादुर	Shri Raj Bahadur	2534—35
श्री हरिश्चन्द्र माथुर	Shri Harish Chandra Mathur	2536
स्कूटर दिये जाने के बारे में आधे घंटे की चर्चा	**Half-an-hour Discussion Re. Allotment of Scooters**	2543
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shri Tarkeshwari Sinha	2543—44
श्री विभुधेन्द्र मिश्र	Shri Bibudhendra Misra	2544—46

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 29 नवम्बर 1966/8 अग्रहायण, 1888 (शक)
Tuesday, November 29, 1966/Agrahayana 8, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
Mr. Speaker in the Chair.]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

मेसर्स अमीनचन्द प्यारेलाल सार्थ-समूह द्वारा कलकत्ता पत्तन आयुक्त से विलम्ब शुल्क की मांग

+
***541. श्री मधु लिमये :** **श्री किशन पटनायक :**
श्री राम सेवक यादव :

क्या **परिवहन, उड्डयन नौवहन तथा पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच विभाग अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य अभिकरण ने लेन-देन के उस मामले की कोई जांच की है जिसके अन्तर्गत मेसर्स अमीनचंद प्यारेलाल सार्थ-समूह ने जालसाजी से विलम्ब शुल्क वापस मांग कर कलकत्ता पत्तन आयोग को धोखा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे. म. पुनाचा) :

(क) जी, हां।

(ख) मामले की अभी जांच की जा रही है।

Shri Madhu Limaye : May I know the amount paid as demurrage by the firm, and claimed back ?

श्री चे मु. पुनाचा : एक लाख रुपए से कुछ अधिक की राशि है।

Shri Madhu Limaye : Questions have been asked time and again about this group of firms. On a recent visit to Calcutta I came to know of construction of a big hotel by this firm without obtaining any licence for steel and cement. May I know whether Government is going to take any action to enquire into all other irregular activities of this group of firms ?

श्री चे. मु. पुनाचा : जहां तक इस मंत्रालय से सम्बन्धित मामलों का प्रश्न है, उनको केन्द्रीय जांच विभाग को सौंप दिया गया है, जो उनकी जांच कर रहा है ।

Shri Madhu Limaye ; The case of Appeejay Shipping line also and tho case relating to the Hotel also, which under this Ministry ?

Mr. Speaker : The present question is about demmurage.

श्री स. मो. बनर्जी : होटल तो पर्यटन निर्देशक के अधीन आते हैं ।

श्री स. मो. बनर्जी : क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच विभाग ने इस मामले की जांच करके विलम्ब शुल्क का भुगतान न करने से कहीं अधिक गंभीर अपराधों का पता लगाया है और यदि हां, तो वे अपराध क्या हैं और सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : केन्द्रीय जांच विभाग को यह मामला सौंपे हुए सात महीने हुए हैं । वे तलाशी ले रहे हैं और उनके विरूद्ध सभी प्रकार के आरोपों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं । मैं इस समय ब्यौरा नहीं दे सकता क्योंकि केन्द्रीय जांच विभाग पिछले सात महीनों से जांच कर रहा है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Is it that the delay is at the instance of some Union Minister; if so, will Government look into this aspect and how long will it take to complete the investigations ?

श्री संजीव रेड्डी : यह तो एक आरोप मात्र है । मैं नहीं समझता कि इसका उत्तर दिया जाना चाहिए ।

श्री कपूरसिंह : इस बात को देखते हुए कि इस फर्म मैसर्स अमीनचन्द प्यारेलाल की बहुत सी धांधलियां पता लगी हैं, क्या प्रशासनिक स्तर पर उसके विरूद्ध दण्ड-स्वरूप कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री संजीव रेड्डी : मैं सब विभागों के लिये तो उत्तरदायी नहीं हूँ और न ही विशेष कम्पनी से सम्बन्धित सभी मामलों से । एक मामला केन्द्रीय जांच विभाग को सौंप दिया गया है, जो उस पर कार्यवाही कर रहा है ।

Shri Hukam Chand : I had asked how long it would take to complete the investigations by C. B. I. ?

श्री संजीव रेड्डी : वे कर रहे हैं । इस समय मैं नहीं बता सकता ।

General Election

+

*542. **Shri M. L. Dwivedi** :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Dr. M. M. Das :
Shri Yashpal Singh :
Shri Kolla Venkalali :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :
Shri P. C. Borooah :
Shri Maheswar Naik :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Hari Vishnu Kamath :

Will the Minister of Law be pleased to state :

(a) the dates and the total number of days which the Election Commission has finally decided to fix for the completion of the forthcoming General Elections after studying the situation in that regard throughout the country;

(b) the estimated total expenditure worked out by Election Commission which would be incurred on the 1967 General Elections; and

(c) whether any special arrangements have been suggested by Election Commission to preserve law and order during the period of Elections and for holding Elections peacefully ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे. रा. पट्टाभिरामन) : (क) 1967 में होने वाले आम चुनावों की तारीखें और दिनों की कुल संख्या को निर्वाचन आयोग द्वारा अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ख) आम चुनावों के संचालन पर प्राक्कलित कुल व्यय लगभग 1 करोड़ रुपये होगा ।

(ग) जी, नहीं ।

Shri M. L. Dwivedi : Have Government received any representation from the people to the effect that since some festivals fall on 24th February, the elections may be held before that date; if so, when a final decision in the matter is likely to be announced ?

Minister of Law (Shri G. S. Pathak) : I have written to the Election Commission to finalise the dates quickly so that I may place the same here before the House adjourns **sine die.**

Shri M. L. Dwivedi : Are proper steps being taken by the Law Ministry or Election Commission in consultation with the Home Ministers in states to maintain law and order during the elections; if so, is it proposed to call a conference and give instructions in this behalf to the concerned authorities ?

Shri G. S. Pathak : It is expected that the state authorities will look to the law and order arrangements as it is their responsibility. As such we, the Central Government is not taking any special steps. Election Commission will satisfy itself about the proper arrangements.

श्री सुबोध हंसदा : चुनावों की तारीखों के बारे में समाचार-पत्रों में दो समाचार प्रकाशित हुए हैं । कलकत्ता के एक दैनिक पत्र ने कहा है कि चुनाव 19 से 27 फरवरी तक होंगे । आज यहां समाचार प्रकाशित हुआ है कि चुनाव 13 से शुरू होकर 21 फरवरी को समाप्त हो जायेंगे । दोनों में से कौन सा समाचार ठीक है ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : दोनों ही गलत हैं । निर्वाचन आयोग ने अभी तक न तो तारीखें अन्तिम रूप से निर्धारित की हैं और न ही उनकी घोषणा की है । ये तारीखें अस्थायी हो सकती हैं ।

Shri Sheo Narain : What arrangements are being made by Govt. to ensure that every voter reaches the polling booth and there is no hindrance caused to him ?

Mr. Spaeker : Law and order will be maintained;

श्री रंगा : चुनावों की तारीखें अन्तिम रूप से तय नहीं हुई हैं और जो भी विभिन्न तारीखें बताई जा रही हैं, वे अस्थायी ही हैं । क्या कारण है कि निर्वाचन आयुक्त जैसा जिम्मेदार

अधिकारी देश के विभिन्न भागों में भिन्न-भिन्न तारीखें बताता फिरता है ? अभी हाल में उन्होंने कहा कि चुनाव एक सप्ताह पहले करने का विचार किया जा रहा है । इससे भ्रम पैदा होता है । दूसरी ओर प्रधान मंत्री कहती हैं कि चुनाव स्थगित नहीं किये जायेंगे । अनेक समाचार-पत्र कह रहे हैं कि चुनाव कम से कम एक महीने के लिये स्थगित अवश्य होंगे । वास्तविक स्थिति क्या है ? क्या सरकार जनता के साथ मजाक कर रही है ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : सरकार चुनावों को स्थगित नहीं करेगी । माननीय सदस्य जानते हैं कि समाचार-पत्रों में परस्पर विरोधी बातें भावो घटनाओं के बारे में अपने अनुमान पर आधारित होती हैं । निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत चुनाव की विभिन्न तारीखों के बारे में अन्तिम रूप मे निर्णय नहीं किया है ।

श्री रंगा : लेकिन विभिन्न तारीखों के बारे में शोर क्यों मचाते फिरते हैं ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : प्रेस को आजादी है ।

Shri Yashpal Singh : M. Ps. are concerned with international field and the M.L.As. with construction of roads, tube-wells etc. Have Government thought of holding election for these two on different dates ?

Mr. Speaker : Is it only a suggestion.

Shri Vishwa Nath Pandey ; Is it a fact that some people belonging to certain political parties have approached the Election Commission for change in the proposed poll dates ?

Shri G. S. Pathak : Two many things are being said these days. Some people want the polling to end by 22nd and some others want the polling to commence on 28th February. The Election Commission has not yet finally decided the poll dates.

श्री स० चं० सामन्त : पिछले तीन आम चुनावों में कितनी राशि खर्च हुई और क्या राज्य सरकारें भी कुछ व्यय वहन करती हैं ?

श्री गोपाल स्वरुप पाठक : केन्द्रीय और राज्य सरकारें अपना-अपना व्यय वहन करती हैं ?

श्री महेश्वर नायक : क्या सरकार मतदान पहले की अपेक्षा कम समय में पूरा करने के बारे में सोच रही है और क्या चुनाव तथा सुरशा अधिकारी इनके कम समय में चुनाव प्रबन्ध कर सकेंगे ?

श्री गोपाल स्वरुप पाठक : मतदान अवधि हमेशा निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की जाती है। चुनावों की तारीखें धारा 30 के अनुसार निर्धारित की जाती है । सभा को मालूम है कि नये विधेयक में दो दिन कम कर दिये गये हैं, एक प्रदन ने इसे पारित कर दिया और यदि दूसरा भी इसे पारित कर दे तो । जहां तक आवश्यक कर्मचारियों का सम्बन्ध है, यह समझ लेना चाहिए कि निर्वाचन आयोग उचित व्यवस्था करेगा ही । मैं कह चुका हूं कि शान्ति और कानून व्यवस्था के लिये राज्य सरकारों पर भरोसा करना होगा । जहां तक तारीखों और अवधि का सम्बन्ध है, हमें निर्वाचन आयोग निर्भर कहना होगा ।

Shri Bade : It has been suggested that the people detained under Preventive Detention Act should have a right of election. So, do Government intend to release them ?

Shri G. S. Pathak: It concerns the Home Ministry.

श्री हरि विष्णु कामत: क्या माननीय मंत्री का ध्यान उनके दो साथी मंत्रियों के इस वक्तव्यों की ओर दिलाया गया है—श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री द्वारा पिछले महीने और रेलवे मंत्री द्वारा चार महीने पहले—कि देश के विभिन्न भागों में देशों को देखते हुए चुनावों के कुछ महीनों के लिये स्थगित किये जाने की संभावना है। यदि हां, तो उस पर मंत्री जी की क्या प्रतिक्रिया है।

श्री गोपाल स्वरुप पाठक: यदि मेरी प्रतिक्रिया का कोई महत्व है, तो मैं कहूंगा कि चुनाव स्थगित नहीं होने चाहिए।

रेलवे मंत्री श्री स. का. पाटिल: यह कहना चाहता हूं कि मैंने कभी ऐसा वक्तव्य नहीं दिया।

श्री हरि विष्णु कामत: समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ था।

डा० म० मो० दास: लोगों में व्याप्त असन्तोष को देखते हुए क्या राज्यों में निर्वाचन शान्ति पूर्वक करवाने के लिए राज्यों को विशेष हिदायतें देने की जरूरत है।

श्री गोपाल स्वरुप पाठक: मैं ऊपर दे चुका हूं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी: आज की गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार को ठीक प्रकार चुनाव कराने के लिये विशेष तथा अतिरिक्त व्यवस्था करनी चाहिए। स्थिति के बारे में सरकार के अनुमान का आधार क्या है? क्या सरकार ने इसके लिये उचित व्यवस्था की है कि चुनावों में विरोधी दलों के विरुद्ध प्रशासन का दुरुपयोग नहीं किया जायेगा?

श्री गोपाल स्वरुप पाठक: मुझे नहीं मालूम यदि यह मूल प्रश्न से उत्पन्न होता है। चुनाव व्यवस्था निर्वाचन आयोग का काम है और शान्ति और कानून व्यवस्था राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। केन्द्रीय सरकार यह अवश्य चाहती है कि चुनाव शान्ति के वातावरण में हों और दंगे आदि न हों।

श्रीमती सावित्री निगम: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चुनावों का शान्ति के साथ तथा ठीक प्रकार से होना सभी दलों के सहयोग पर निर्भर करता है, क्या मंत्री महोदय का विचार सभी राजनीतिक दलों के लिये एक समान आचार संहिता बनाने के हेतु सभी दलों को आमंत्रित करने का है? क्या पिछले चुनाव से पहले ऐसा किया गया था?

श्री गोपाल स्वरुप पाठक: मुझे मालूम नहीं है, बाकी यह तो एक सुझाव है।

अध्यक्ष महोदय: क्या यह पिछले चुनावों से पहले किया गया था?

श्री गोपाल स्वरुप पाठक: मुझे पता नहीं।

हल्दिया पत्तन परियोजना के लिये विदेशी मुद्रा

***543 श्री सुरेन्द्रपाल सिंह:**
श्री दे. द. पुरी:
श्री हेम बरुआ
श्री हरि विष्णु कामत:
श्री वारियर:
डा० रानेन सेन:
श्री महेश्वर नायक:
श्री नाथ पाई:
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी:
श्री कोल्ला बेंकैया:
श्री वासुदेवन नायर:

क्यां **परिवहन, उड्डयन नौवहन तथा पर्यटन मंत्री** 26 जुलाई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 35 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया पत्तन परियोजना के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा के बारे में अब अंतिम रूप से अनुमान लगा लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कुल आवश्यकता कितनी होगी और इसे कैसे पूरा किया जायेगा ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)

(क) जी, हां।

(ख) कलकत्ता पोतायुक्तों ने हल्दिया परियोजना के लिये अनुमानतः कुल 4.4 करोड़ रुपये (मूल्यांकन से पहले) अर्थात 7 करोड़ रुपये (मूल्यांकन के बाद) की विदेशी मुद्रा की मंजूरी मांगी है। इसे जुटाने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री महेश्वर नायक : विवरण से मालूम होता है कि अनुमान है कि 7 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी। क्या मैं जान सकता हूं कि सारी परियोजना पर कुल कितनी लागत आयेगी ?

श्री चे. मु. पुनाचा : पुनरीक्षित योजना के अन्तर्गत इस समूची परियोजना की लागत लग भग 40 करोड़ रुपये हैं जिसमें से लगभग 7 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री महेश्वर नायक : क्या यह सच है कि कलकत्ता पत्तन में जहाजों से माल उतारने में विलम्ब की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार ने कलकत्ता पत्तन-आयुक्त को हल्दिया परियोजना के कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये पहले ही कह दिया है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : कुछ आरम्भिक कार्य आरम्भ कर दिये गये हैं। पत्तन-आयुक्तों को कुछ निवदाओं पर विचार करने के लिये कहा गया है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know how the foreign exchange component would be met and if it was not possible to meet, whether this project would be deferred.

श्री चे० मु० पुनाचा : विदेशी मुद्रा अनियमित ऋण अथवा रुपया भुगतान संसाधनों द्वारा जुटाने का प्रस्ताव है।

Shri Vishwa Nath Pandey : The Hon. Minister has stated in the statement laid on the Table of the House that "the question of meeting these requirements is under consideration." May I know the time by which a final decision will be taken ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : इस प्रश्न पर पहले ही विचार कर लिया गया है। यह मामला कुछ दिन पहले ही मंत्रीमंडल के समक्ष आया था। मंत्रिमंडल ने इस योजना का अनुमोदन कर दिया है और अन्तिम रूप से स्वीकृति दी जा चुकी है।

श्री श्यामलाल शर्राफ : क्या मैं जान सकता हूं कि वर्तमान प्रगति से, जैसी कि आज मालूम हुई है। सरकार इस पत्तन को कब तक चालू कर सकेगी ?

श्री संजीव रेड्डी : मेरे विचार में कार्य आरम्भ हो जाने के लगभग तीन चार वर्ष के पश्चात यह पत्तन चालू हो जायेगा।

सेतुसमद्रम परियोजना

*544 **डा. म. मो. दास :** **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री स. चं. सामन्त : **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री म. ला. द्विवेदी : **डा० श्रीनिवासन :**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : **श्री दे. द. पुरी :**
श्री सुथिया :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास सरकार द्वारा सेतुसमुद्रम परियोजना पर कितनी राशि खर्च की गई और उस में से कितनी राशि बाद में केन्द्रीय सरकार द्वारा मद्रास सरकार को वापिस कर दी गई;

(ख) क्या सर्वेक्षण करने तथा परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिये विदेशी परामर्श-दाता नियुक्त करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या परियोजना के खर्च का मोटे तौर पर कोई अनुमान लगा लिया गया है; यदि हां, तो कितनी धन राशि व्यय होने का अनुमान है; और

(घ) परियोजना की क्रियान्वित में अब तक कितनी प्रगति हुई है और इसके कब पूरा हो जाने की संभावना है ?

परिवहन, उडयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चे. मु. पुनाचा) :

(क) सेतुसमुद्रम परियोजना के लिये प्राक्कलन तैयार करने हेतु आरम्भिक अनुसंधानों के सम्बन्ध में मद्रास सरकार ने 1965–66 के दौरान लगभग 11.5 लाख रुपये खर्च किये थे। राज्य सरकार को इस राशि की प्रतिपूर्ति वर्ष के अन्त में कर दी गई थी। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने इस कार्य पर सितम्बर, 1966 तक लगभग 5.65 लाख रुपये खर्च किये हैं। चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक खर्च की गई कुल राशि की राज्य सरकार को प्रतिपूर्ति कर दी जायेगी।

(ख) इस परियोजना के आरम्भिक अनुसन्धान-कार्य बिना विदेशी सलाहकारों के किया जा रहा है। परियोजना-प्रतिवेदन तैयार करने के लिये विदेशी सलाहकारों को नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) आरम्भिक प्राक्कलनों के अनुसार इस परियोजना पर लगभग 35-40 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

(घ) आरम्भिक अनुसन्धान कार्य 1967 के अन्त तक पूरा हो जाने की सम्भावना है। यह अभी नहीं कहा जा सकता कि यह परियोजना कब पूरी हो जायेगी।

डा. म. मो. दास : क्या इस बात का कोई अनुमान लगाया गया है कि परियोजना के पूरे हो जाने के पश्चात इस जल-मार्ग से कितने जहाज जा सकेंगे और क्या इन से वसूल की जाने वाली फीस खर्च किये जाने वाले व्यय के अनुरूप होगी ?

श्री चे. मु. पुनाचा : अनुसन्धान पहली अवस्था सम्बन्ध चैनल और सारे क्षेत्र के सर्वेक्षण जैसे प्रश्न वे तकनीकी पहलू से है और इस अनुसन्धान-कार्य में कुछ प्रगति हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य अभी आरम्भ नहीं किया गया है।

डा. म. मो. दास : क्या अणु-शक्ति आयोग से परियोजना क्षेत्र में भल निक्षेप के बारे में अनुसन्धान करने के लिये कहा गया था और क्या अणु-शक्ति आयोग ने अपना कार्य पूरा कर लिया है ? अणु-शक्ति आयोग ने इस बारे में कितना खर्च किया है ?

श्री चे. मु. पुनाचा : अणु-शक्ति आयोग को सर्वेक्षण के लिये नहीं कहा गया था। उन्होंने केवल 'आइसो-टेस्ट' किये हैं जो कि उन द्वारा सर्वेक्षण-कार्य किये जाने से बिल्कुल भिन्न हैं।

श्री स. चं. सामन्त : विवरण में बताया गया है कि परियोजना-प्रतिवेदन तैयार करने के लिये विदेशी सलाहकारों को नियुक्त नहीं किया जायेगा। क्या कार्य को पूरा करने के लिये विदेशी सलाहकारों को बाद में बुलाया जायेगा ?

श्री चे. म. पुनाचा : यह परियोजना-प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने पर निर्भर करता है। जैसे ही इसे अन्तिम रूप दे दिया जायेगा तभी विदेशी सलाहकारों को रखने अथवा विदेशी सहयोग प्राप्त करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

श्री सुबोध हंसदा : विवरण से मालूम होता है कि राज्य सरकार ने कुछ खर्च किया था और उसकी राज्य सरकार को प्रतिपूर्ति कर दी गई है। क्या इस परियोजना के खर्च का कुछ भाग राज्य सरकार द्वारा भी वहन किया जायेगा ?

श्री चे. मु. पुनाचा : जहां तक इस के अनुसन्धान-कार्य का सम्बन्ध है, राज्य सरकार द्वारा कोई खर्च नहीं किया जायेगा।

Shri M. L. Dwivedi : The statement says that Rs. 35-40 crores are expected to be spent on this project. I want to know the works which will be undertaken in connection with this project and the benifits which will be accrued to us after their completion ? May I also know the work which has been completed and for which an amount of Rs. 11.5 lakhs and Rs. 5.65 lakhs has been reimbursed to the State Government ?

श्री चे. मु. पुनाचा : 11 लाख और बाद में 5 लाख की यह राशि अनुसन्धान कार्य पर खर्च की गई है। यह कार्य निरंतर रूप से हो रहा है। यह पूरा नहीं हुआ है। एक आरम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि इस परियोजना पर 30 करोड़ से 35 करोड़ रुपये खर्च होने की सम्भावना है। यह अन्तिम अनुमान नहीं है। जब अन्तिम परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा तो अन्य बातों का ठीक तरह से पता लगाया जायेगा।

Shri M. L. Dwivedi : Mr. speaker, my question was about the nature of work which would be completed. It has not been replied.

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : यह सारा खर्च छेदन, बलुई, भित्ति के परीक्षण आदि जैसे विभिन्न प्रकार के अनुसन्धान कार्यों पर किया गया है। यह बताना बहुत कठिन है कि प्रत्येक मद पर कितना-कितना खर्च किया गया है। राज्य सरकार द्वारा अनुसन्धान-कार्य पर किये गये कुल खर्च के आंकड़े दे दिये गये हैं।

Shri Bade ; Mr. speaker, the statement says that an amount of Rs. 35-40 Crores is likely to be spent on this project and out of this Rs. 11 lakhs and subsequently Rs. 5.65 lakhs have been spent by the State Government and as is obvious from their own statements, the central Government has not given their adequate amount, may I know whether enough money will be given to them by the centre ?

श्री चे. मु. पुनाचा : योजना आयोग ने अनुसन्धान कार्य के लिये लगभग 25 लाख रुपये

अथवा इतनी ही राशि अलग से रखी थी जिसमें से कुछ राशि खर्च की गई है । अनुसन्धान सम्बन्धी शेष कार्य को पूरा करने के लिये कुछ और रकम दी जायेगी । अनुसन्धान कार्य में लगा हुआ दल अभी कार्य कर रहा है ।

Shri Sheo Narain : I want to know whether there is any such a project in the world and what experience they have got of it ?

श्री चे. मु. पुनाचा : मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है ।

श्री शिवजीराव शे. देशमुख : क्या सरकार ने इस बात को ध्यान में रखकर अनुसन्धान कार्य के बारे में कोई हिदायतें दी हैं कि एशियाई राजपथ के पूरा हो जाने पर कोलम्बू और दिल्ली के बीच सम्पर्क स्थापित करने के लिये इस परियोजना पर ऊपरी पुल की आवश्यकता होगी ?

श्री चे. मु. पुनाचा : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से नहीं उठता है ।

श्री शिवजीराव शे. देशमुख : श्रीमान्, मंत्री महोदय कहते हैं कि यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से नहीं उठता है । आपका क्या विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : यदि यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उठता भी है तब भी मंत्री महोदय उत्तर के साथ तैयार नहीं है ।

अनाज का अनिवार्य रूप से समाहार

+

***545. श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० मो० दास :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्य सरकारों को कहा है कि नई फसलें आने पर उत्पादकों से उनकी फसलों के अनाज का कुछ प्रतिशत अनिवार्य रूप से वसूल किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है !

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख) 16. 11. 66 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में प्रत्येक राज्य के लिये वसूली का न्यूनतम कार्यक्रम निश्चित करने का निर्णय किया गया था । यद्यपि इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में उत्पादकों के स्तर पर वसूली करने की बात को सामान्य रूप से मान लिया गया था, तथापि वसूली करने के ढंगों के बारे में राज्यों को सुगम ढंग अपनाने की अनुमति होगी ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि कुछ राज्यों में अनाज के अनिवार्य समाहार की पद्धति इन अर्थों में त्रुटिपूर्ण सिद्ध हुई है कि फसलों के दिनों में किसानों से लिया गया अनाज बाद में उन्हीं को पुनः बेचना पड़ता है ?

श्री गोविन्द मेनन : ऐसा एक समान रूप से नहीं होता है, क्योंकि अनाज का समाहार वर्ष के सभी महीनों में किया जाता है ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या किसी क्षेत्र में ऐच्छिक समाहार पद्धति भी अपनाई जाती है ?

श्री गोविन्द मेनन : अधिकांश राज्यों में अनाज वसूल करने की कोई न कोई पद्धति अपनायी जाती है। कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिनमें अनाज एकाधिकार रूप से वसूल किया जाता है। परन्तु ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसमें अनाज पूर्णतया ऐच्छिक रूप से वसूल किया जाता हो।

श्री रंगा : क्या अनाज का समाहार बाज़ार भाव के आधार पर किया जाता है जिससे किसानों को कोई हानि न उठानी पड़े क्योंकि फसल के दिनों में भी अब तक निश्चित की गई समाहार-मूल्य बाजार-भाव से सदा बहुत ही कम रहा है ?

श्री गोविन्द मेनन : कभी कभी बाजार-भाव समाहार-मूल्य से ऊंचे होते हैं परन्तु समाहार-मूल्य उत्पादन लागत और कुछ मुनाफे को ध्यान में रखकर निश्चित किया जाता है।

श्री रंगा : क्या समाहार-मूल्य उत्पाद लागत के आधार पर भी कभी निश्चित किया गया है ? क्या कृषि मूल्य आयोग ने कभी इसे स्वीकार किया है ? कभी नहीं।

Shri M. L. Dwivedi : All the states have not been able to achieve the target of procurement laid down last year and even now there are some states where Government has not been able to procure food grains according to the prescribed quota, I want to know whether Government has not been able to assess the production correctly or it is due to any default on the part of the farmers and in view of this what steps are going to be taken by G6vernment to adopt a uniform policy in all the states ?

श्री गोविन्द मेनन : वर्ष के आरम्भ में प्रत्येक राज्य समाहार का लक्ष्य निश्चित करता है। हो सकता है, बाद में निर्धारण से कुछ गलतियों का पता लगे, परन्तु अन्त में समाहार किये गये अनाज की मात्रा की तुलना की जाये तो यह कभी कभी वर्ष के आरम्भ में निश्चित की गई मात्रा से कम होती है। फिर भी पिछले वर्ष समाहार का कार्यक्रम काफी अच्छा रहा था।

श्री सुबोध हंसदा : राज्यों में अनाज की वसूली करने के लिये उनका अपना कर्मचारी-वृन्द होता है और अब खाद्य निगम द्वारा केन्द्रीय स्तर पर भी राज्यों में अनाज की वसूली की जायेगी। क्या इन दो संगठनों द्वारा राज्यों में धान के समाहार का कार्य दोहरा नहीं हो जायेगा ?

श्री गोविन्द मेनन : जी, नहीं। जहां खाद्य निगम द्वारा वसूली का कार्य किया जायेगा वहां राज्य के आवश्यकता से अधिक कर्मचारी नहीं रखे जायेंगे।

डा० म० मो० दास : माननीय मंत्री ने अभी बताया कि खाद्य निगम को अनाज वसूली करने का कार्य सौंपा गया है। क्या कुछ राज्य सरकारों अर्थात् पश्चिमी बंगाल और खाद्य निगम के बीच किये जाने वाले भुगतान के बारे में मतभेद था ? क्या हाल ही में इस बारे में कुल कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं ?

श्री गोविन्द मेनन : उत्पादन द्वारा दी जाने वाली अनाज की मात्रा राज्य सरकार द्वारा निश्चित की जाती है न कि खाद्य निगम द्वारा।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : In order to pay off land revenue, irrigation charges and other house-hold expences, the producers have to sell their grains in the market and then on what basis and in what proportion Government want to resort to compulsory procurement ? Will their domestic requirements be taken into account so that they are not to face any difficulty in this regard later on ?

श्री गोविन्द मेनन : निश्चय ही। राज्यों में दिये गये समाहार सम्बन्धी आदेशों तथा लागू की गई योजनाओं में यह व्यवस्था है कि किसानों की घरेलू, कृषि सम्बन्धी तथा अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके पास कुछ फालतू अनाज रहने दिया जायेगा। अनाज की केवल कुछ मात्रा का ही समाहार किया जाता है।

Shri Bibhuti Mishra : Has this come to the notice of Government that in Bihar foodgrains were even procured from those agriculturists who are landless and in certain cases where the land was owned by them it was divided amongst brothers or it was sold by them. Procurement notices were served on such farmers also and thus they were harassed and the levy system became unpopular as a result thereof ?

Has there been any discussion at the conference over this point that a fool-proof formula should be found out so that the farmers were not harassed and fair procurement price could be given to them.

श्री गोविन्द मेनन : ऐसी कोई घटना हमारे ध्यान में नहीं लायी गई हैं। बिहार के कुछ जिलों में 60 किलोग्राम और कुछ अन्य जिलों में पांच एकड़ों के पीछे प्रति एकड़ 40 किलोग्राम के हिसाब से अनाज वसूल किया जाता है और चावल की मिलों को उत्पादन और वहां पर स्टाक का $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत चावल सरकार को देना पड़ना है। बिहार में जो इस समय समाहार की बिहार में अनाज वसूल करने की जो पद्धति अपनाई जाती है वह यह है। हो सकता है, माननीय सदस्य को किसी मामले विशेष की कोई जानकारी हो परन्तु हमें ऐसे किसी मामले का पता नहीं है।

Shri Bibhuti Mishra : Even agriculturists ploughing more than five acres have been levied 60 Kilo levy, and that land is not in his name. Have Govt. framed any formula ?

Mr. Speaker : When he denys, what could I do ?

Shri Bade : Has it come to the notice of the Government that the basis of procurement has been the area of land sown and not the actual production and this was the basis of dispute in Bastar, Madhya Pradesh or other areas ? Has any direction been issued to states that procurement should not be made forcefully in drought-stricken areas and the basis of procurement should be the production or not the sowing of the land ?

श्री गोविन्द मेनन : समाहार की कार्यवाही राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। इसमें त्रुटि के कुछ मामले हो सकते हैं लेकिन उनके बारे में हमें पता नहीं है। जहां सूखा के कारण फसल नष्ट हुई है वहां पर, मुझे विश्वास हैं कि राज्य सरकारों ने वसूली नहीं की है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जो महत्वपूर्ण वात कही है वह यह है कि वसूली का सिद्धान्त जमीन नहीं होनी चाहिये बल्कि उत्पादन होना चाहिये। वे लोग इसी बात पर ध्यान देते हैं कि कितने क्षेत्र में खेती की गई है और इस बात को नहीं देखते कि वास्तव में उत्पादन कितना हुआ है।

श्री गोविन्द मेनन : जहां तक मैं जानता हूं, जमीनों का वर्गीकरण किया गया है और वसूली एक समान नहीं होती है......... **(व्यवधान)**

श्री हरि विष्णु कामत : उन्होंने प्रश्न का उत्तर तो दिया ही नहीं। वह सवाल को टालना चाहते हैं।

श्री त्यागी : अनाज की वसूली के बारे में सुविधा के तौर पर क्या सरकार ने राज्य सरकारों को यह सलाह दी है कि किसानों से ऋणों आदि का भुगतान नगद न लेकर सामान के रूप में लें ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : फसल को मार्केटिंग से सम्बद्ध करने के लिये हम इस योजना पर भी विचार कर रहे हैं । अतः जब हम उनको उर्वरक, बीज और कीटनाशक औषधियां देते हैं तो उतने मूल्य के वे हमें नकद न देकर अनाज देते हैं ।

श्री पें० वेंकनासुब्बया : देश के कुछ भागों में अभूतपूर्व सूखा और तूफान को देखते हुए क्या सरकार का विचार केवल फालतू अनाज वाले राज्यों में ही नहीं बल्कि कमी वाले राज्यों में प्रोत्साहन मूल्य देकर वसूली कार्यवाही तेज करने का हैं, (अब तक सरकार मन मर्जी से मूल्य निर्धारित करती रही है) और यदि हां, तो क्या जनता से केवल अनाज की वसूली का ही नहीं बल्कि उनकी आवश्यक बीज, खाद आदि देने का भी कोई समेकित कार्यक्रम है ।

श्री गोविन्द मेनन : विचार यह है कि केवल फालतू वाले राज्यों में ही नहीं बल्कि कमी वाले राज्यों में भी अनाज की वसूली की जाये क्योकि सरकार के नियंत्रण में अधिकाधिक मात्रा में अनाज रहना आवश्यक है । जहां तक मूल्यों का सम्बन्ध है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि मूल्य राज्य सरकारों के परामर्श से और कृषि मूल्य आयोग की सलाह पर निश्चित किये जाते हैं । गहन खेती के लिये जितने भी बीज, खाद आदि की जरूरत होती है, सरकार वह जहाँ तक संभव है अधिकाधिक मात्रा में देने का प्रयत्न कर रही है ।

श्री नाथ पाई : यह तो माना जा सकता है कि वसूली की जाये लेकिन जिस ढंग से वसूली की जाती है, उससे असुविधा होती है । क्या मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करेंगे कि वसूली के सिद्धान्त ऐसे होंगे ताकि किसान के पास अगली फसल तक अपने खाने के लिये काफी अनाज रहे और क्या मद्रास और महाराष्ट्र, कोंकण के पश्चिमी तटवर्ती तूफान- पीड़ित क्षेत्रों में इस वर्ष यह वसूली नहीं की जायेगी ?

श्री गोविन्द मेनन : वसूली केवल उन ही उत्पादकों से की जाती है जिनके पास अपनी घरेलू और कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं से अधिक अनाज है । इससे कोई बात नहीं होती कि यह सूखा-ग्रस्त क्षेत्र है या नहीं, क्योंकि वसूली क्षेत्र से नहीं बल्कि व्यक्ति र की जाती है । राज्य सरकारें इस बारे में ध्यान दे रही हैं कि वसूली उत्पादकों की घरेलू और अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर की जाये । जहां फसल नष्ट हुई है, वहां कोई वसूली नहीं की जायेगी ।

Shri Sheo Narain : If a remunerative price is paid to the producer here, the agricultural production can rise. We should take into account the price paid for the import cf wheat from U. S. A. and then pay to the agriculturist. The land revenue should also be collected in kind and not in cash. Why the Govt, does not adopot this policy ?

Mr. Speaker : It is a good sugestion.

Shri Yashpal Singh : The Govt. had said that 'Land must go to the tiller.' Now where is the ownership of the tiller when procurement is being made against their wishes? Under these circumstancs now it is expected that he will increase the production. Either the ownership right should not be accepted or the procurement should not be done ?

Shri R.S. Pandey : What are the names of the States where this procurement scheme has been successful ? Is it not a fact that there are cultivators who have got surplus foodgrains or they take it to the market but the procurement agency has not been successful in procuring foodgrains of the cultivators have to take back their produce ?

श्री गोविन्द मेनन : ऐसे भी मामले हैं जिनमें उत्पादक बच निकले हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : अब जब कि सरकार एक राष्ट्रीय खाद्य नीति बनाने जा रही है, इस तथ्य कथित राष्ट्रीय खाद्य नीति में समाहार नीति क्या होगी।

श्री गोविन्द मेनन : हर राज्य के लिये समाहार का एक कार्यक्रम होना चाहिये। जहां तक संभव हो यह वसूली उत्पादक से होनी चाहिये लेकिन हर राज्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसमें फेर-बदल की जा सकती है।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या सरकार ने राज्य सरकारों को कोई ऐसे निर्देशन दिये हैं कि उन क्षेत्रों में जहां फसल को काफी क्षति पहुंची है और जहां हर उत्पादक की फसल चौथाई से भी कम हुई है, वसूली के नोटिस न भेजे जायें ? क्या सरकार को पता है कि बिहार के सारन जिले में सभी किसानों को वसूली के नोटिस भेजे जा रहे हैं।

श्री गोविन्द मेनन : हमें ऐसे किसी मामले का पता नहीं है जहां फसल खराब हो गई हो और किसी राज्य सरकार द्वारा वसूली के नोटिस जारी किये गये हों।

(प्रश्न संख्या 546 और 549 के बारे में)

(Re : Qns. 546 and 549)

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न—546

श्री श्यामलाल सर्राफ : इसके साथ प्रश्न संख्या 549 भी लिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : हां, यदि यह सम्भव हो।

श्री गोविन्द मेनन : मैं दोनों का उत्तर दे दूंगा।

मार्ग में अनाज की क्षति

***546 श्री श्रीनारायण दास :**

क्या खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश को भेजी गई गेहूं की लगभग 3000 बोरियां तथा नागपुर को भेजी गई मिलो की 2000 बोरियां मार्ग में खराब हुई पाई गईं, जैसा कि 11 अगस्त, 1966 के "टाइम्स आफ इंडिया" के सम्पादकीय लेख में बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो अनाज किन परिस्थितियों में खराब हुआ;

(ग) क्या इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को दण्ड दिया गया है;

(घ) क्या यह भी सच है कि उन सभी भारतीय पत्तनों पर, जहां आयातित अनाज उतारा जाता है, अनाज रखने की क्षमता पर्याप्त नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो इस क्षमता को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) :

(क) पिछले जुलाई मास में रायपुर और नागपुर के रास्ते में वर्षा द्वारा लगभग 1128 क्विटल गेहूं और लगभग 72 क्विटल माइलो खराब हो गया।

(ख) और (ग) वर्षा के महीनों में अपेक्षित अनाज को भारी मात्रा में रेल द्वारा ले जाने के लिये बंद वैगनों की कमी के कारण रेलवे अधिकारियों के लिये काफी मात्रा में अनाज खुले 'बाक्स' वैगनों में तिरपाल ढक कर ले जाना आवश्यक हो गया। रास्ते में वर्षा द्वारा अनाज खराब होने से बचाने के लिये की गई सभी कार्यवाहियों के बावजूद, कुछ माल खराब हो गया। इस प्रकार हुई क्षति के हर मामले की जांच हो रही है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मार्ग में अनाज का खराब होना

\+

***549. श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
डा० म० मो० दास :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, जून, जुलाई तथा अगस्त, 1966 के दौरान रेलगाड़ियों अथवा ट्रकों आदि से अनाज ढोने में जो अनाज खराब हुआ है, क्या उसके बारे में सरकार के पास कोई हिसाब किताब है;

(ख) यदि हां, तो इस कारण कुल कितनी मात्रा में खाद्यान्न खराब हुआ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है, कि इस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान तक अनाज ले जाने में अनाज खराब न होने पाये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) :

(क) यद्यपि सड़क परिवहन द्वारा कोई क्षति की सूचना नहीं दी गई है, जून से अगस्त, 1966 तक के वर्षा के महीनों में रेलवे द्वारा माल ले जाने में पूरी सावधानी बरते जाने के बावजूद अनाज की कुछ मात्रा नष्ट हुई क्योंकि काफी मात्रा में अनाज खुले 'बाक्स' वैगनों में ले जाना पड़ा ?

(ख) यद्यपि यह बताया गया कि वर्षा से बहुत से बोरे खराब हुए, अधिकांश अनाज बचा लिया गया और इन चार महीनों में लगभग 2000 टन अनाज खराब होने का समाचार है।

(ग) इन महीनों में सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों को रेल द्वारा काफी भारी मात्रा में अनाज भेजे जाने को ध्यान में रखते हुए क्योंकि कुछ अनाज खुले वैगनों में ले जाया जाना था, काफी सावधानी बरती गई। इन उपायों में तिरपाल और रास्ते भर चौकसी शामिल हैं। वर्षा के महीनों में अनाज ले जाने के लिये अनेक बाक्स वैगनों में स्पेशल फिटिंग की गई। जहां तक संभव हो, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में खुले वैगन नहीं भेजे जाते हैं।

श्री श्रीनारायण दास : मंत्री महोदय ने बताया कि आवश्यक सावधानी बरती गई। इसके बावजूद भी रास्ते में अनाज कैसे खराब हो गया ? आवश्यक सावधानी जो बरती गई, क्या थी ?

श्री गोविन्द मेनन : भारी मात्रा में अनाज एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाया गया थां, इस कारण जब बंद वैगन उपलब्ध नहीं थे और केवल खुले वैगन उपलब्ध थे, तो रेलवे ने यह निश्चय किया कि खुले वैगनों में अनाज एक विशेष ढंग से, पिरेमिडल तरीके से, रखा जाये और फिर उस पर तिरपाल ढक दिया जाये। लेकिन इसके बावजूद भी भारी वर्षा के कारण कुछ क्षति हो गई।

श्री श्रीनारायण दास : कितनी तथा कितने मूल्य की क्षति हुई ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया है कि 2000 टन की क्षति हुई है।

श्री स० चं० सामन्त : रेलवे और सड़क द्वारा माल लाने ले जाने के अतिरिक्त जहाजों द्वारा भी काफी मात्रा में सामान ले जाया गया, और वहां भी काफी क्षति हुई और जहाजों के कुछ विनियमों के कारण अनाज समय पर नहीं उतारा गया। क्या सरकार इस पर भी ध्यान देगी ?

श्री गोविन्द मेनन : मात्रा अधिक होने के कारण माल उतारने में कुछ देरी हुई। सरकार को इस बात की जानकारी है।

श्री सुबोध हंसदा : मंत्री महोदय ने बताया है कि ये चार महीने वर्षा के थे। क्या सरकार को यह पता नहीं था कि यदि खुले वैगनों में अनाज ले जाया गया तो वह वर्षा से खराब हो जायेगा ? रेलवे मंत्री जी यहां हैं और मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अनाज ले जाने के लिये काफी संख्या में बंद वैगन देने के लिये रेलवे मंत्री से कोई विशेष प्रार्थना की गई थी ?

श्री गोविन्द मेनन : यह व्यवस्था रेलवे से बातचीत करके की गई थी। भारी मात्रा में अनाज ले जाना था और काफी संख्या में बंद वैगन उपलब्ध नहीं थे। अतः सरकार के पास एक ही विकल्प था कि या तो अनाज न भेजा जाये और या खुले वैगनों में भेजा जाये और उनमें इस प्रकार व्यवस्था की जाये कि अनाज खराब न हो। केवल थोड़ी ही मात्रा में अनाज खराब हुआ है और काफी बचा लिया गया है।

श्री रंगा : कई वर्षों से भारी मात्रा में अनाज लाने, ले जाने को देखते हुए, यह कैसे हुआ कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय ने आपस में मिलकर इस प्रकार योजना नहीं बनाई कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय को अनाज ढोने के लिये अपेक्षित संख्या में केवल बंद वैगन ही मिलते ? मैंने खुद भी सरकार को कई बार पहले यह बताया था कि छोटे छोटे मार्गों पर भी जैसे गुटांकल से चित्तूर तक किस प्रकार मार्ग में अनाज खराब होता है। सरकार ने इन तीन वर्षों में कोई उपचारात्मक कार्यवाही क्यों नहीं की, जब उन्हें यह पता था कि कई वर्षों तक भारी मात्रा में अनाज ढोया जायेगा ?

श्री गोविन्द मेनन : यह प्रश्न वर्षा के महीनों में क्षति के बारे में है।

श्री रंगा : हर वर्ष।

श्री गोविन्द मेनन : जी, हां। लेकिन तब उस समय अपेक्षित संख्या में बंद डिब्बे उपलब्ध नहीं थे।

श्री रंगा : गलत रेलवे आयोजन।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : माननीय सदस्यों को पता है कि पहले के वर्षों की अपेक्षा 1966 में अधिक अनाज ढोना पड़ा। अतः बंद वैगनों की संख्या सीमित होने के कारण हमारे सामने एक ही विकल्प था कि या तो अनाज न ढोया जाये और या जोखिम उठायी जाये। हमने जोखिम उठाकर अनाज भेजना और उसे भूख से व्याकुल जनता तक पहुंचाना उचित समझा।

डा० म० मो० दास : मंत्री महोदय ने बताया कि रेलवे के मार्ग में 2000 टन अनाज खराब हुआ। क्या खाद्य मंत्रालय ने रेलवे से क्षतिपूर्ति की मांग की है ? यदि हां तो वह राशि कितनी है और क्या क्षतिपूर्ति की राशि दे दी गई है या दोनों मंत्रालयों के बीच मुकद्दमा चल रहा है ?

श्री गोविन्द मेनन : सामान्यतः नियम यह है कि माल भेजने वाले की ओर से राज्य सरकार दावा करती है। उन्होंने ऐसा किया है और दावों की जांच हो रही है।

अन्तर्राष्ट्रीय चावल आयोग

+
***547. श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय चावल आयोग का सम्मेलन दिल्ली में इस वर्ष 3 अक्तूबर से 8 अक्तूबर, 1966 तक हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उस में किन-किन विषयों पर विचार विमर्श हुआ; और

(ग) इस सम्मेलन से भारत को क्या लाभ हुआ है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में (श्री श्यामधर मिश्र) :

(क) जी हां।

(ख) चावल उत्पादन एवं रक्षा, चावल भूमि, जल तथा उर्वरक पद्धतियां और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एस्पैक्ट्स आफ प्रोडक्शन के विषयों पर विचार विमर्श हुआ।

(ग) इस कान्फ्रैन्स में भारतीय वैज्ञानिकों तथा चावल विशेषज्ञों को चावल के विभिन्न पहलुओं पर वैज्ञानिक जानकारी तथा तकनीकियों के बारे में विचार विमर्श करने का अवसर मिला। आने वाले प्रतिनिधियों द्वारा तैयार किए गए वैज्ञानिक कागजातों में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी निहित है जिनसे भारत में चावल के विभिन्न पहलुओं के अनुसन्धान को लाभ पहुंचेगा।

Shri Bibhuti Mishra : May I know whether the standing crop of Bhadai and Aghani Varieties of paddy have been shown to rice-experts and whether they have suggested any remedy for the diseases, which harm these varities of rice ?

Shri Shyam Dhar Mishra : These things are studied in our local reseach centres. In a conference of international level only things of general nature are discussed and the problems of a particular place are not discussed there.

Shri Bibhuti Mishra : What are the general issues, which were discussed there in the conference ? I would like to know whether the diseases of paddy farming were put before this international conference, and whether the remedies have been suggested for them by rice experts who took part in this conference ?

Shri Shyam Dhar Mishra : There in no specific disease of paddy prevalent in India which should have been put in this conference. We know the diseases as well as their medicines.

Mr. Speaker ; Hon. Member wants to know whether our rice experts put the rice-diseases, which are found in India, before this International Conference on rice and whether foreign rice-experts have given some suggestons in regard thereto.

Shri Shyam Dhar Mishra : There has been nothing like this.

Shri K. N. Tiwari : When they have not given any suggestions, what was the need of calling such a conference ? Is it a fact that foreign experts are called here for nothing ?

Shri Shyam Dhar Mishra : It was an international conference and not called for discussing particular issues of India. About 40 experts from fifteen countries took part in it. Growing of rice, cultivation of rice in low part of Asia, production and protection of rice, were the subjects of discussion in it.

Shri Yaspal Singh : I would like to know whether any assurance has been given in this conference regarding supply of rice to India, if so, what is the quantity likely to be received in India ?

Mr. Speaker . The experts came for discussing the issues and not for making supply of rice.

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या यह अनुमान लगाया गया है कि भावी वर्षों में भारत में कुल कितना चावल पैदा होगा और उससे भारत की आवश्यकता किस हद तक पूरी हो सकेगी ?

श्री श्यामधर मिश्र : इस प्रश्न का सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन से नहीं है ।

श्री पें वेंकटसुब्बदा : चावल की कमी को दूर करने के लिये हमारे देश में 'तेचुंग-21' और 'तेनान-1' आदि चावल की किस्मों की खेती शुरू की गई है । क्या इस चावल सम्मेलन में चावल की इन संकट किस्मों के पौधों को बीमारियों से बचाने सम्बन्धी उपायों पर भी विचार किया गया था ?

श्री श्यामधर मिश्र : यह सम्मेलन केवल भारत की चावल की खेती सम्बन्धी समस्याओं पर चर्चा करने के लिये नहीं बुलाया गया था । यह एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन था और इसमें चावल की खेती के सभी पहलुओं पर विचार किया गया था—फसल किस प्रकार नष्ट होती है. किस प्रकार उसे बचाया जा सकता है और चावल का उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है ? इसमें न केवल भारत में चावल की फसल सम्बन्धी बल्कि सभी देशों में चावल की फसल सम्बन्धी समस्याओं पर विचार किया गया था ।

श्रीमती सवित्री निगम : इस सम्मेलन द्वारा की गयीं मुख्य सिफारिशें क्या हैं, जिनको सरकार ने मान लिया है या जो मानने योग्य है तथा उनको किस हद तक क्रियान्वित किया गया है। क्या धान की कोई ऐसी किस्म भी खोजी गयी है जो गहरे पानी में भी लगायी जा सके ?

श्री श्यामधर मिश्र : इस सम्मेलन द्वारा दी गयी और खाद्य तथा कृषि संगठन (एफ० ए० ओ०) द्वारा अनुमोदित सिफारिशें अभी सरकार को नहीं भेजी गई हैं। अतः इस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह सकता। जिन विषयों पर इसमें विचार किया गया था उनका उल्लेख मैं मुख्य उत्तर में ही कर चुका हूं।

Shri M. L. Varma : I recently went to Kota district, and saw there helicopters spraying the medicines over the paddy fields. Is India in a position to bear the expenditure being incurred on such an operation ? Is it necessary for India to adopt such measures ?

Shri Shyam Dhar Mishra : It is within our means and we are doing it wherever it is necessary or over large tracts of paddy fields. This method was adopted on larger scale in Maharashtra than in Rajasthan. We still want to extend this operation to more areas.

Shri Sheo Narain May I know whether paddy fields in Indian villages have been shown to foreign rice experts who participated in this conference ?

Mr. Speaker : He has already replied it.

सहकारी विपणन सम्बन्धी दातेन्वाला समिति का प्रतिवेदन

***548. श्री यशपाल सिंह :**

क्या **खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय मन्त्री** सहकारी विपणन सम्बन्धी दान्तेवाला समिति के प्रतिवेदन के बारे में 23 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 619 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में और क्या प्रगति हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र : समिति के पूर्ण प्रतिवेदन की अभी प्रतिक्षा की जा रही है। दिसम्बर 1966 तक इसके दिये जाने की सम्भावना है।

Shri Yashpal Singh: May I know whether the Govt. in the meantime intends to see that the rates of interest charged by cooperative seed stores, be reduced from 25% to 7% as charged in other banks ?

Shri Shyam Dhar Mishra : In some states the cooperative stores take back 1¼ times more grains of what they give to farmers. I think this is being termed as 25% by the Hon. Member. It is due to the fact that it is collected after the harvesting of the crop and at that time the grains are not as dry as they were at the time of supply to farmers. To compensate the loss of weight thus sustained they charge 25% more grains. It is nowhere charged in cash.

Shri Yashpal Singh : May I know whether Govt. have written to that committee for expediting the submission of the Report ?

Shri Shyam Dhar Mishra : Yes, we have written to the committee and they said that the Report will be submitted by December, 1966.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

समुद्री डीजल इंजनों का निर्माण

***551. श्री राम सहाय पाण्डेय :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम के हिन्दुस्तान जहाज-निर्माण कारखाने में समुद्री डीज़ल इंजन बनाने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में योजनाबद्ध कार्यक्रम का ब्योरा क्या है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय नौवहन निगम की माल ढोने वाली सेवायें

***552. श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन ता पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्यात व्यापार बढ़ाने के लिये भारतीय नौवहन निगम की समस्त माल ढोने वाली सेवाओं को सुदृढ़ बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) और (ख) भारतीय नौवहन निगम ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी टन-भार क्षमता को बढ़ाने के लिये एक योजना की रूपरेखा तैयार की है। यह मामला विचाराधीन है।

पश्चिम बंगाल को चावल की सप्लाई

***553. श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार को एक लाख टन चावल की सप्लाई करने के संबंध में पहले दिये गये वचन को पूरा करने के अतिरिक्त इस वर्ष केन्द्रीय भंडार से और अधिक चावल देने का आश्वासन दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस के परिणामस्वरूप रूप-परिवर्तित राशन की दुकानों से चावल की बिक्री बन्द होने की आशंका समाप्त हो जायेगी; और

(ग) उन्होंने राज्य सरकार से आगामी फसल के बारे में उसकी समाहार नीति के बारे में क्या विमर्श किया था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्र से चावल सप्लाई करने का मुख्य उद्देश्य कलकत्ता में राशन व्यवस्था को बनाये रखने के लिये स्थानीय समाहार-कार्यक्रम को पूरा करने का है।

(ग) राज्य सरकार के कुछ प्रस्तावों पर सर्वांगीण विचार किया गया है।

यूगोस्लाविया से ट्रैक्टरों का आयात

***554. श्री सेझियान :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकारद्वारा उपयोग किये जाने के लिये कुछ आयात-कर्ता फर्मों के माध्यम से यूगोस्लाविया से माडल टी० जी० 908 के 12 क्रालर ट्रैक्टरों के आयात की अनुमति दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ;

(ग) क्या रुपये के अवमूल्यन के परिणाम-स्वरूप उस आयातकर्ता फर्म ने आयात मूल्य की राशि बढ़ाये जाने का अनुरोध किया है ; और

(घ) क्या सरकार को पता है कि आयातकर्ता फर्म को उड़ीसा सरकार को ये क्रालर ट्रैक्टर बेचने से कई लाख रुपये का लाभ होगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र):

(क) से (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

Ban On Cow-Slaughter.

***555. Shri Prakash Vir Shastri :**

Will the Minister of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation be pleased to state the reaction of State Governments and Union Territories where cow slaughter is still prevalent to the recent suggestion of Government for introduction of legislation for its ban ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde) :

Three out of six States, which have partial ban or no ban on cow slaughter have replied so far. The reaction of State Governments of Andhra Pradesh and Assam is favourable. The reaction of Government of West Bengal is not favourable. Replies from the States of Madras, Maharashtra and Kerala are still awaited.

Regarding Union Territories, Himachal Pradesh is giving thought to the matter. Goa has explained its special cultural position, while Manipur, Tripura and Pondicherry are thinking of enacting legislation on the lines of the Uttar Pradesh Preservation of Cow Slaughter Act. As regards Union Territories without legislatures, the Gujarat Law will be extended to Dadar and Nagar Haveli with suitable modifications. Per Andaman, a regulation on the lines of the U. P. Act will issue. In Delhi, cow, calf, or bullocks are not permitted for slaughter under Slaughter House Byelaws of the Delhi Municipal

Corporation. The Uttar Pradesh Preservation of Cow Slaughter Act will be extended to Delhi soon after the Parliament Session.

चीनी के दाम

***556. श्री महेश्वर नायक:**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी के अन्तर्राष्ट्रीय दामों में लगातार गिरावट आने के तथ्य को ध्यान मे रखते हुए क्या सरकार चीनी के दामों सम्बन्धी अपनी नीति पर पुनर्विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो किस दिशा में; और

(ग) हाल ही में बदले गये आन्तरिक दामों और निर्यात के दामों के बीच कितना अन्तर रखने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री शिन्दे) :

(क) से (ग) इस मामले पर पुनर्विचार किया जा रहा है। चीनी के आन्तरिक दामों पर चीनी के अन्तर्राष्ट्रीय दामों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हैं।

आम चुनावों में सामुदायिक विकास खण्डों से जीपों का हटाया जाना

***557. श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :**
श्री नाथ पाई :
श्री किशन पटनायक :
श्री कोल्ला वेंकैया:
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री हेम बरुआ :
श्री मधु लिमये :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री सामुदायिक विकास खण्डों से जीपों के हटाये जाने के बारे में 16 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 471 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी राज्य सरकारों ने सामुदायिक विकास खण्डों से जीपें हटाने के अपने निर्णय की सूचना दी है;

(ख) क्या सब-डिवीजन, ताल्लुक और खण्ड मुख्यालयों के अन्य सरकारी अभिकरणों से भी जीपें हटा लेने के लिए राज्य सरकारों को हिदायतें दी गई हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे) :

(क) सभी राज्य सरकारों ने चुनाव के दौरान विकास-खंडों से जीप हटाने सम्बन्धी सुझाव को मान लिया है।

(ख) और (ग) ये हिदायतें केवल उन गाड़ियों पर लागू होती हैं जो इस मंत्रालय द्वारा विकास खंड अधिकारियों को दी गई हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय विमान यात्रा

*** 558. श्री ही० ना० मुकर्जी :**

क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कुछ मामलों में भारतीय राष्ट्रजनों को अमरीकी अधिकारियों द्वारा अमरीका से भिन्न गन्तव्य स्थानों तक यात्रा करने से रोका जाता है, यदि विमान न्यूयार्क हवाई अड्डे पर केवल ठहरता हैं ;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा की स्वतंत्रता में इस प्रकार हस्तक्षेप किये जाने के कारण एयर इंडिया की बरास्ता न्यूयार्क बुकिंग निरर्थक हो जाती है और इस कारण यात्रियों को विदेश में ही रुकना पड़ता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री : (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) और (ख) : एयर इंडिया के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्जित श्रेणी को छोड़कर अन्य किसी भी देश के यात्रियों के समान भारतीय यात्री भी बगैर वीसा के यू० एस० ए० से होकर जा सकते हैं तथा पांच दिन तक वहां रुक भी सकते हैं बशर्ते कि उनके पास यात्रा सम्बन्धी समुचित कागज तथा आगे के पुष्टीकृत आरक्षण (रिजर्वेशन) हों। अन्य मामलों में पारगमन वीसा का होना आवश्यक होगा। भारत सरकार के सामने कोई भी ऐसा मामला नहीं आया है जिसमें वस्तुतः यात्रियों को इस वजह से विदेश में रुकना पड़ा हो, लेकिन एयर इंडिया द्वारा वस्तुस्थिति की जांच की जा रही है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

India Belting and Cotton Mills Limitted., Serampore.

***559. Shri Kishen Pattnayak**
Shri Narasimha Reddy
Shri Solanki
Shri A. V. Raghavan
Shri Madhu Limaye
Shri Priya Gupta

Will the **Minister** of **Law** be pleasead to state ;

(a) Whether it is a fact that certain important papers and documents concerning India Belting and Cotton Mills Limited Serampore, West Bengal, have been manipulated and replaced at the office of the Registrar of Companies, West Bengal, and

(b) if so, the action Government propose to takein the matter and also against the officers involved therein ?

The Minister of Law (Shri G. S. Pathak):

(a) Some complaints have been received about the tampering of certain returns of the company as maintained in the office of the Registrar of Companies, West Bengal.

(b) The matter was enquired into by the Vigilance Officer of the Department who did not find any prima facie evidence to support the allegation that the original documents filed before the Registrar were tampered with or replaced. He however, found that a wrong and misleading photostat of the document was prepared by following a wrong process and supplied to the complainants. The matter has been referred to the

Special Police Establishment to make a full inquiry as to whether the Vigilance Officers conclusions were correct and also to find out whether the preparation and supply of the photostat was **mala ffde** and if so, to pinpoint the responsibility for the same. In the meantime, explanation has also been called for from the concerned officer as to why and how a wrong and misleading photostat was certified by him before issue.

इंडिया बैल्टिंग एन्ड कोल्ड स्टोरेज (प्राइवेट) लिमिटेड, सेरामपुर

*** 560. श्री सोलंकी : श्री किशन पटनायक :**
श्री अ० व० राघवन : श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **विधि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में सेरामपुर स्थित इंडिया बैल्टिंग एण्ड कोल्ड स्टोरेज (प्राइवेट) लिमिटेड ने समवाय अधिनियम, 1956 के उपबन्धों की अवहेलना करके एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी से भारी धनराशि ली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कानून के अनुसार उक्त कम्पनी ने अपने लेखे/विवरण पेश कर दिये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो समवाय विधि बोर्ड ने इस कम्पनी तथा इसके प्रबन्धक निदेशक के विरुद्ध अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की है ?

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) :

(क) इण्डिया बैल्टिंग एण्ड काटन मिल लिमिटेड पर यह आरोप लगाया गया है कि उसके अधिकारियों के समवाय अधिनियम की धारा 370 का उल्लंघन करके इण्डिया बैल्टिंग एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड को 151825 रुपये की राशि दी है। इस आरोप की जांच-पड़ताल एक विशेष अभिलेखा-परीक्षक द्वारा की जायेगी जिसको समवाय विधि बोर्ड द्वारा हाल ही में इण्डिया बैल्टिंग एण्ड काटन मिल लिमिटेड के हिसाब-खाते की जांच करने के लिये समवाय अधिनियम की धारा 233 क के अधीन नियुक्ति की गयी है और जो अपनी रिपोर्ट देने के साथ साथ यह भी बतायेगा कि समवाय अधिनियम 1956 के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है या इस सम्बन्ध में कुछ अनियमितता है।

(ख) और (ग) इस कम्पनी ने रजिस्ट्रार को अपना सतुंलन-पत्र तथा लाभ-हानि लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इस विवरण को रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करने और कम्पनी की वार्षिक सामान्य बैठक बुलाने में असमर्थ रहने के कारण कम्पनी और कम्पनी के निदेशकों को नोटिस दे दिए गये हैं। इन अपराधों के सम्बन्ध में न्यायालय में शीघ्र ही शिकायत की जाने की सम्भावना है।

Supply of Foodgrains to Punjab and Haryana

***561. (Shri Shinkre): Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**

Will **the Minister of Food, Agriculture, Community Development and Cooparation** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the Governments of Punjab and Haryana have asked the Central Government for increased supply of foodgrains to meet the food shortage in the States; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon) : (a) and (b) : Though there is no general food shortage in Punjab and Haryana, these two States do require some imported wheat for their roller flour mills and also for distribution in certain pockets. Allotments of imported wheat are made to these States every month taking into account the availability with the Centre and the requirements of all the deficit States.

आकाशवाणी से राजनीतिक दलों द्वारा निर्वाचन संबंधी प्रसारण

*** 562. श्री हरि विष्णु कामत : श्री प० ला० बारूपाल :**

क्या **विधि** मंत्री 8 नवम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 155 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी साधारण निर्वाचनों में राजनीतिक दलों को आकाशवाणी से प्रसारण की सुविधाएं न दी जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय किया जा रहा है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) :

(क) से (ग) राजनीतिक पार्टियों को प्रसारण सुविधाएं दी जाने की बाबत अभी तो कोई अन्तिम विनिश्चय दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। इसका कारण उन राजनीतिक पार्टियों के बीच किसी सहमति का अभाव है जिन्हें कि निर्वाचन आयोग द्वारा 20 अगस्त, 1966 को आमंत्रित किया गया था। इस बारे में आगे कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

बिहार में खाद्य-वितरण

*** 563. श्री फिरोडिया : श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने बिहार में खाद्य-वितरण व्यवस्था में सुधार तथा उसकी निगरानी करने के लिये वरिष्ठ अधिकारी भेजे हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि हां, तो अब तक कितने अधिकारी भेजे गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (ग) राज्य सरकार ने अधिक मात्रा में खाद्यान्न के वितरण सम्बन्धी निगरानी-व्यवस्था में सुधार करने के लिये अपनी प्रशासनिक मशीनरी को पुनर्गठित करने के लिये कदम उठाये हैं। आने वाले महीनों में अत्यधिक मात्रा में अनाज का वितरण किया जाना है। एक

क्षेत्रीय योजना सलाहकार की नियुक्ति की जा रही है जिसका मुख्य कार्यालय पटना में होगा। यह अधिकारी बिहार सरकार को अनाज के वितरण के सम्बन्ध में भी सलाह देगा।

Smuggling of Rice from Assam to Pakistan

***564. Shri Y. D. Singh :**
Shri Kashi Ram Gupta :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooparation** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news-item appearing in the Hindi Daily "Tarun Bharat" of the 27th September, 1966, published from Lucknow, wherein it has been stated that about 2,000 maunds of rice is smuggled daily from Assam to Pakistan;

(b) if so, the action taken by Government in this regard; and

(c) the number of persons arrested in this connection so far this year ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon) ; (a) Yes, Sir

(b) Anti-smuggling measures have been strengthened.

(c) No actual smuggling has been detected so far and none has been arrested.

रिवर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी

***565. श्री प्र० चं० बरुग्रा :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री** 1 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 57 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिवर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लिमिटेड के विरुद्ध परिसमापन कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी देनदारी क्या है जिसके आधार पर परिसमापन की मांग की गई है ;

(ग) क्या सरकार ने कम्पनी के ऋणदाताओं से ऋणों की पूरी अदायगी पर जोर न दिये जाने के बारे में बातचीत की थी ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में ऋणदाताओं की सामान्य प्रतिक्रिया क्या थी ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) रिवर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लिमिटेड के ऋणदाताओं में से एक ने कलकत्ता उच्च न्यायालय को इस कम्पनी को बन्द कर देने के लिये प्रार्थना-पत्र दिया है। इस कम्पनी पर इस ऋणदाता का लगभग 8 लाख रुपये का ऋण है।

(ग) और (घ) रिवर स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लिमिटेड के चेयरमैन ने कम्पनी के ऋणदाताओं से बात-चीत की है। उसकी यह रिपोर्ट भी सरकार के विचाराधीन है।

मैसर्स डंकन स्टार्टन एण्ड कम्पनी

*** 566. श्री मधु लिमये :** **श्री किशन पटनायक :**

क्या **विधि** मंत्री 16 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2286 के उत्तर के सम्बन्ध में वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डंकन स्टार्टन एण्ड कम्पनी के मामलों की जांच/निरीक्षण/उसको अपने बही-खातों को पेश करने के लिये बाध्य करने अथवा सम्बन्धित विदेशी कम्पनी के बहीखातों की जांच-पड़ताल अथवा उसके विरुद्ध मुकदमे आदि चलाने का काम इस बीच पूरा हो चुका है ;

(ख) यदि हां, तो इन विभिन्न प्रक्रियाओं/कार्यवाहियों का क्या परिणाम रहा है ; और

(ग) क्या मुकदमों के परिणामस्वरूप किसी को सजा दी गई है ?

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : (क) डंकन स्टार्टन एण्ड कम्पनी के बही-खातों की जाच पूरी कर ली गई है परन्तु कलकत्ते की दो अन्य कम्पनियों और एक ऐसी विदेशी कम्पनी के, जो भारत में व्यापार करती है, बहीखातों का निरीक्षण नहीं किया जा सका है क्योंकि उन्होंने आवश्यक बहीखाते और दस्तावेज आदि प्रस्तुत नहीं किये थे । इन कम्पनियों और उनके अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाया जा रहा है । बम्बई के कम्पनी रजिस्ट्रार को भी यह अनुदेश दिया गया है कि वह डंकन स्टार्टन एण्ड कम्पनी पर समवाय अधिनियम की धारा 295 के उपबन्धों के उल्लंघन करने के अपराध में मुकद्दमा चलाये ।

(ख) और (ग) इस समय प्रश्न नहीं उठता ।

साधारण निर्वाचनों में साम्प्रदायिक पार्टियों द्वारा भाग लिया जाना

*** 567. श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुस्लिम लीग, हिन्दू महासभा तथा अकाली दल जैसी साम्प्रदायिक पार्टियों को उनके अपने अपने निशान और साम्प्रदायिक नामों के साथ आगामी साधारण निर्वाचनों में भाग लेने की अनुमति देने के प्रश्न पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : (क) और (ख) प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि इस समय इन पार्टियों पर निर्वाचनों में भाग लेने की बाबत कोई प्रतिबंध या निर्बन्धन नहीं है ।

धान की खेती

***568. श्री सुबोध हंसदा :** **श्री स० चं० सामन्त :**
डा० म० मो० दास : **श्री किशन पटनायक :**
श्री मधु लिमये :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चावल पैदा करने वाले राज्यों से धान की वर्तमान फसल के सम्बन्ध में इस तथ्य के आंकड़े एकत्रित किये हैं कि कितने प्रतिशत भूमि पर धान की खेती की जाती है और धान की अनुमानतः फसल कितनी होती है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सभी सिंचित भूमि का उपयोग धान की खेती के लिए किया जाता है ;

(घ) यदि नहीं, तो कितने प्रतिशत भूमि पर धान की खेती की जाती है ; और

(ङ) निर्धारित लक्ष्य से कितनी कम फसल होने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख) 1966–67 की धान की फसल के उत्पादन के आंकड़े मार्च–अप्रैल 1967 में उपलब्ध होने की संभावना है। परन्तु चालू वर्ष के संकेतों के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में धान की बुवाई का क्षेत्र कम होने की संभावना है परन्तु साथ ही उत्पादन पिछले वर्ष से बढ़ जाने की आशा है।

(ग) और (घ) जहां तक विभिन्न फसलों के अन्तर्गत सिंचाई के क्षेत्र का सम्बन्ध है, यह जानकारी वार्षिक भूमि-उपयोग के आंकड़ों द्वारा प्राप्त होती है और यह जानकारी राज्य सरकारों द्वारा 2–3 वर्ष पश्चात् ही प्राप्त होती है।

Elections to Lok Sabha and Legislative Assemblies

***569. Shri Bibhuti Mishra :** **Shri K. N. Tiwary :**

Will the **Minister of Law** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that fighting of election to Lok Sabha and Legislative Assemblies in the light of the Preamble to the Constitution has become impossible for a person of ordinary means in the country :

(b) whether Government propose to formulate a scheme under which an ordinary Voter might be able to fight election to Lok sabha and Legislative Assembly; and

(c) if so, the broad details thereof ?

The Minister of Law (Shri G. S. Pathak) : (a) No, Sir. (b) No, Sir. (c) Does not arise.

पौधों के विकास पर संगीत का प्रभाव

***570. श्री हरि विष्णु कामत** :

क्या **खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पौधों के विकास पर संगीत के प्रभाव के सम्बन्ध में हमारे देश में प्रयोग किये गये हैं अथवा किये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो कहां, और किसके द्वारा ; और

(ग) क्या इस संबंध में अब तक प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन करने वाली एक विस्तृत रिपोर्ट सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र):

(क) जी हां। पौधों की वृद्धि पर संगीत के प्रभाव का पता लगाने के लिये कुछ परिक्षण किये गये थे।

(ख) ये परीक्षण (1) भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्ली में डा० आर० डी० असाना द्वारा तथा (2) केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक में डाक्टर मौजुमदार द्वारा किये गये थे। ये परीक्षण अन्नामलाई विश्वविद्यालय के डाक्टर टी. सी. एन. सिंह तथा महाकौशल महाविद्यालय, जबलपुर के डा. वी. गोरे के क्लेमों पर आधारित थे :

(ग) डा. असाना तथा डा. मौजुमदार द्वारा प्राप्त हुए परिणामों के अनुसार संगीत की ध्वनि में उगने वाले बीजों से अन्य बीजों की तुलना में कोई अधिक उत्पादन नहीं हुआ।

आसाम और राजस्थान में फ्लोर मिल (आटे की चक्कियाँ)

2510 श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम और राजस्थान के उन फ्लोर मिलों के नाम क्या हैं तथा वे किन किन स्थानों में हैं जिन की स्थापना के लिये पिछले तीन वर्षों में लाइसेंस जारी किये गये थे ;

(ख) उन में से किन किन मिलों ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है ;

(ग) क्या यह सच है कि पिसाई के लिये पर्याप्त मात्रा में गेहूं न मिलने के कारण ये सब मिल अपनी क्षमता में बहुत कम काम कर रहे हैं ;

(घ) यदि हां, तो जिन मिलों के लिये लाइसेंस जारी किये गये थे, किन्तु जिन्होंने अभी तक उत्पादन आरम्भ नहीं किया है ; उनके लिये नियत किया गया कोटा अभ्यश उत्पादन कर रहे मिलों को देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, ताकि वर्तमान कठिन खाद्य स्थिति के संदर्भ में उनकी पूरी क्षमता को उपयोग में लाया जा सके ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क)

रोलर फ्लोर मिल का नाम	स्थान
असम	
1. गोहाटी रोलर फ्लोर मिल, गोहाटी।	गोहाटी
2. तेजपुर रोलर फ्लोर मिल, तेजपुर।	तेजपुर
राजस्थान	
1. गुप्त इन्डस्ट्रीयल कार्पोरेशन, श्री गंगानगर।	श्री गंगानगर

(ख) गोहाटी रोलर फ्लोर मिल, गोहाटी और तेजपुर रोलर फ्लोर मिल तेजपुर।

(ग) रोलर फ्लोर मिलों की पूरी क्षमता के लिये अपेक्षित गेहूं की मात्रा देना अभी सम्भव नहीं हुआ है ।

(घ) और (ङ) कोई कोटा निश्चित नहीं किया गया है जैसा कि प्रश्न में उल्लेख है । किसी भी राज्य में किसी महीने में रोलर फ्लोर मिलों को दिये जाने वाले गेहूं की उपलब्ध कुल मात्रा का वितरण ऐसे मिलों में उनके कोटे की अधिकतम सीमा के अनुपात को ध्यान में रखते हुये किया जाता है जिनका उत्पादन कम है ।

हिमाचल प्रदेश में साधारण निर्वाचन

2511. श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में विधान सभा तथा लोक सभा के लिये साधारण निर्वाचन फरवरी, 1967 में देश के अन्य भागों के साथ ही कराये जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो निर्वाचन किन तारीखों में होंगे ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) :

(क) और (ख) ये निर्वाचन जिन तारीखों को कराए जायेंगे, वे तारीखें अभी तक नियत नहीं की गई हैं ।

मस्तूल वाले जहाज

2512. श्री जोकीम आल्वा :

क्या **परिवहन, उड्डयन नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय भारत में मस्तूल वाले कितने जहाज (यंत्रीकृत तथा बिना यंत्रीकृत) हैं ;

(ख) उनके मालिकों के नाम क्या हैं तथा श्रेणीवार संख्या क्या हैं ; और

(ग) सरकार मस्तूल वाले जहाज के उन मालिकों को विशेष रूप से उनको, जिनके पास केवल एक ही जहाज है, जहाजों का टन-भार बढ़ाने के लिए कितनी सहायता दे रही है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी)

(क) और (ख) मर्चेन्ट शिपिंग अधिनियम 1958 के अधीन कुल 3708 मस्तूल वाले जहाज दर्ज हैं, जिनमें से 103 जहाज यंत्रीकृत हैं । इनमें से 99 यंत्रीकृत और 986 अयंत्रीकृत जहाजों की प्रत्येक की भार क्षमता 50 टन से अधिक है । शेष जहाजों में प्रत्येक की भार क्षमता 50 टन या इससे कम है । इन सभी जहाजों के मालिक भारतीय राष्ट्रिक हैं ।

(ग) यंत्रीकरण । यंत्रीकृत मस्तूल वाले जहाजों के निर्माण के लिये ऋण के अनुदान की योजना सरकार ने स्वीकार कर ली हैं जिसका लाभ वे लोग भी उठा सकते हैं जिनके पास केवल एक जहाज है ।

M/s. Mckenzies Ltd. Bombay

2513. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Raghunath Singh : Shri Rameshwaranand :

Will the Minister of **Law** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1312 on the 15th November, 1966 and state :

(a) whether it is a fact that two directors of M/s. Mckenzies Limited and their relatives withdrew a large amount of nearly Rs. 26 lakhs for investment in some other firms of their own;

(b) if so, whether such a large amount can be withdrawn from a public limited company for private business under the Companies Act; and

(c) if the reply to part (b) above be in the negative, the action being taken by Government in this regard and the basis on which Government grants big work contracts worth crores of rupees to this firm ?

The Minister of state in the Ministry of Law (Shri C. R. Pattabhi Raman) :

(a) No, Sir. It is not a fact that two directors of M/s. Mckenzies Ltd. and their relatives withdrew a sum of nearly Rs. 26 lakhs for investment in some other firms of their own.

(b) and (c) In view of answer to (a) above, the questions do not arise.

पंचांगों में सुधार तथा एक राष्ट्रीय वेधशाला की स्थापना

2514. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :

क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि देश के विभिन्न भागों मे प्रचलित विभिन्न पंचांगों को वैज्ञानिक आधार पर सुधारने तथा समेकित करने के सुझाव समय समय पर दिये गये हैं, फिर भी इस में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है ;

(ख) क्या देश के मध्यवर्ती भाग में, एक राष्ट्रीय वेधशाला, इंडियन ग्रीनित्रे स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) : राष्ट्रीय पंचांगों का जो कि आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, क्रमशः प्रचार बढ़ने के कारण अधिकाधिक प्राइवेट पंचांग अपनी गणनाओं में धीरे धीरे आधुनिक तरीके अपनाते जा रहे हैं। परन्तु इस विषय में धीमी प्रगति का मुख्य कारण आम तौर पर लोगों की पुरानी रीति व रूढ़ियों को बदलने में अरूचि की प्रवृति है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम

2515. श्रीमती सावित्री निगम : श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

राज्यों में तथा केन्द्र में व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम तथा प्रशिक्षण संस्थाओं के बीच सम्पर्क स्थापित करने की आवश्यकता के बारे में व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम के वर्तमान मूल्यांकन संबंधी प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री शिन्दे) : व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम के चालू मूल्यांकन से सम्बन्धित प्रतिवेदन कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के प्रशिक्षण संस्थाओं के समीप व्यावहारिक पोषाहार खंडों के छांटने की वर्तमान पद्धति की सराहना की है। इस बात पर फिर बल दिया गया है कि अतिरिक्त पोषाहार कार्यक्रम खंडों को छांटते हुये प्रशिक्षण संस्थाओं से इनकी समीपता को ही मुख्य आधार माना जाय और राज्य सरकारों से यह निवेदन किया गया है कि वे चौथी योजना के दौरान ऐसे नये खंडों को लेते समय प्रशिक्षण तथा अन्य संस्थाओं के अधिकाधिक उपयोग का पूरा पूरा ध्यान रखें।

तम्बाकू की खेती

2516. श्री बागड़ी : श्री यशपाल सिंह :
श्री रामसेवक यादव :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री तम्बाकू की खेती के बारे में 3 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4756 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में महाराष्ट्र में कितने एकड़ भूमि में तम्बाकू की खेती की गई, इससे संबंधित रिपोर्ट क्या इस बीच तैयार कर ली गई है तथा सरकार को पेश कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) :

(क) और (ख) : 1965-66 के अन्तिम पूर्वानुमान के अनुसार तम्बाकू की खेती 15,700 हैक्टेयर भूमि में बोई गई थी। 1965-66 में 8,100 मीटरी टन तम्बाकू के उत्पादन का अनुमान है।

राज्यों में कृषि तथा सिंचाई में समन्वय

2517. श्री सुबोध हंसदा : श्री स. चं. सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ : श्री म. ला. द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद : डा. म. मो. दास :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी राज्यों में कृषि और सिंचाई विभागों को सर्वथा पृथक्-पृथक् विभाग बनाये रखने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या देश में इसी कारण समन्वय नहीं हो पाता है और कृषि की उपज कम होने का भी यह एक कारण है ; और

(ग) क्या देश में बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए

केन्द्र तथा राज्य दोनों में ही इनको एक संगठन के अधीन रखने में कोई कठिनाई है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) :

(क) राज्यों के विभागों में कार्य वितरण की ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों का काम है ।

(ख) प्रारूप योजना के आलेखों तथा कृषि कार्यक्रम के नवीकरण के आलेखों में (जिसे कुछ मास पूर्व सभा पटल पर रखा गया था), कृषि उत्पादन की कमी के कारणों का विश्लेषण किया जा चुका है । इन समस्याओं का कोई एकमात्र कारण नहीं है ।

(ग) केन्द्र के सामुदायिक विकास तथा सहकारिता विभाग, खाद्य तथा कृषि मन्त्री के अधीन रखे गये हैं ।

जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है, प्रशासन में सुधार करने के लिये (जिसमें समन्वय तथा कार्य का पुनः वितरण भी शामिल है) 1963 में डा० राम सुभग सिंह की अध्यक्षता में स्थापित हुए कार्यकारी ग्रुप की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारों को सुझाव दिये गये थे । मुख्य मन्त्रियों के अप्रैल 1966 के सम्मेलन में भी इस प्रश्न पर विचार हुआ था । राज्य सरकारों ने आवश्यकतानुसार अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कुछ परिवर्तन तथा संशोधन किये हैं ।

दिल्ली में भूचाल

2518. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री उत्तर भारत में आये भूचाल के झटकों के संबंध में 23 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 617 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बार-बार लगातार भूचाल के झटके आने के कारणों का पता लगाने के लिये अग्रेतर अध्ययन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) और (ख) दिल्ली के आसपास के प्रदेश में भू-प्रकम्पों की क्षेत्रीय जांचों से पता चला है कि इन प्रकम्पों का मुख्य कारण जलोढक स्तर (स्लुविएम) के नीचे की कमज़ोर भूमि के क्षेत्रों अथवा भ्रंश तलों में मट्टी या चट्टानों का अपनी जगह से सरकना है ।

नर्मदा नदी में नौयात्रा

2519. श्री विश्वनाथ पांडेय :

क्या **परिवहन, उड्डयन नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक बड़ा भारी भारत-अमरीकी अभियान दल नर्मदा नदी के उद्गम स्थान से लेकर उसके समुद्र में गिरने के स्थान तक नौयात्रा करेगा :

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) इस विषय के सम्बन्ध में मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

Companies Act.

2520. Shri M. L. Dwivedi :
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri P. C. Boroeah :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Dr. M. M. Das :

Will the Minister of Law be pleased to state ;

(a) whether any memoranda, representations and suggestions for amending the Companies Act have recently been received;

(b) if so, the nature thereof and the reaction of Government thereto; and

(c) the recurring and non-recurring expenditure of the Company Law Administration ?

The Minister of State in the Ministry of Law (Shri C. R. Pattabhi Raman)

(a) and (b) : Government receives from time to time memoranda, representations and suggestions for amending the provisions of the Companies Act from various quarters interested in the functioning of the corporate sector. Generally, the representations seek to meet the requirements of a particular section of the corporate sector to which the representationist belongs. The representations, etc. are examined as and when received. If any urgent action thereon is called for, it is processed accordingly. If otherwise, the suggestions for amendment of the Act, which are found acceptable, are noted for action in due course.

(c) The recurring expenditure of the Company Law Administration for the year 1965-66 was Rs. 64,36,692. Non-recurring expenditure during the year was nil.

अनाज से न बने हुये खाद्य पदार्थों का सोमवार को न परोसा जाना

2521. श्री यशपाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स. चं. सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
डा. म. मो. दास :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोमवार के दिन शाम को अनाज से बने हुये खाद्य पदार्थ परोसने के आदेश के परिणामस्वरूप राजधानी में पर्यटकों को कठिनाई अनुभव हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें कुछ सुविधा देने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) सरकार को यह मालूम है कि उक्त पाबन्दियों से पर्यटकों को कुछ असुविधा होती है ।

(ख) सरकार यह आशा करती है कि पर्यटक अनाज से बने खाद्य-पदार्थों की खपत को

कम करने की आदत डालने को ध्यान में रखते हुये इस असुविधा को बहुत अधिक महसूस नहीं करेंगे।

पानी खींचने की नई मशीन

2522. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : **श्री सोनावने :**
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि बम्बई के एक इन्जीनियर ने कुओं तथा नदियों से पानी खींचने के लिये एक मशीन का आविष्कार किया है जो ईंधन और बिजली के प्रयोग के बिना गुरुत्वाकर्षण के सिद्धान्त पर अपने आप चलती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मशीन का परीक्षण सरकारी विशेषज्ञों ने कर लिया है; और

(ग) क्या इसका प्रयोग सिंचाई कार्य के लिये किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) कृषि विभाग पूना के कृषि इन्जीनियर ने इस मशीन का परीक्षण किया है। मशीन की कार्यकुशलता तथा अन्य सम्बन्धित बातों के बारे में महाराष्ट्र सरकार विचार कर रही है।

(ग) यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा किये गये मशीन के प्रयोग के परिणामों पर निर्भर करता है।

ट्रैक्टरों की खरीद के लिये राजसहायता

2523. श्री स० चं० सामन्त : **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री सुबोध हंसदा : **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री वै० तेवर :**
डा० म० मो० दास : **श्री बागड़ी :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री राम सेवक यादव :**

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रैक्टर तथा कृषि के अन्य उपकरणों के अत्याधिक मूल्य को ध्यान में रखते हुए कृषकों को, मशीन से खेती आरम्भ करने में प्रोत्साहन देने के लिये, ट्रैक्टरों तथा अन्य कृषि उपकरणों की खरीद के हेतु राज सहायता अथवा ऋण देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख) ट्रैक्टरों तथा पावर टिलरों की खरीद के लिये राज सहायता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्य सरकारों ने उन्नत कृषि उपकरणों के लिये विभिन्न दरों पर राज

सहायता दी है। कृषि उपकरणों तथा मशीनों की खरीद के लिये ऋण देने की योजनायें भी राज्यों ने बनाई हैं परन्तु भारत सरकार की ओर से न कोई ऐसी योजना चालू है और न चालू करने का प्रस्ताव है।

विदेशी जहाजों को दिया गया विलम्ब शुल्क

2524. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि समय पर माल न उतारने के कारण गत छह महीनों में समस्त बन्दरगाहों पर विदेशी जहाजों को कुल कितनी राशि विलम्ब-शुल्क के रूप में दी गई ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) :

जहाज से आने वाले सरकारी माल पर गत छह महीनों (अप्रैल से सितम्बर 1966 तक) में लगभग 12,50,000 रुपये की राशि विलम्ब-शुल्क के रूप में दी गई है।

भारतीय कृषि का आर्थिक सर्वेक्षण

2525. श्री नारायण दास :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि का आर्थिक सर्वेक्षण नामक पुस्तक का प्रकाशन, जो पहले प्रति वर्ष प्रकाशित की जाती थी, अब बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसका प्रकाशन कब बन्द किया गया था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)

(क) जी नहीं। भारतीय कृषि का आर्थिक सर्वेक्षण 1963-64 तथा 1964-65 का समन्वित संस्करण हाल ही में प्रकाशित हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

चीनी के नये कारखाने

2556. श्री श्रीनारायण दास :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार चीनी कारखाना संयुक्त समिति ने सरकार को एक अभ्यावेदन दिया है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि सरकार द्वारा प्रस्तावित नये चीनी कारखाने स्थापित करने के बदले पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के वर्तमान चीनी कारखानों को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिये सहायता दी जाये और इन क्षेत्रों में गन्ने की गहन खेती का विकास किया जाये जिससे कम खर्च में उद्देश्य की भी पूर्ति हो जायेगी और गन्ने की खेती के लिये अधिक भूमि की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी ;

(ख) क्या इस पर विचार कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिन्दे)

(क) जी हां ।

(ख) और (ग) सरकार इस सुझाव पर ध्यान पूर्वक विचार करेगी । वर्तमान कारखानों को बढ़ाने और नये कारखाने स्थापित करने में एक समान संतुलन रखा जायेगा ।

इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन द्वारा विदेशी मुद्रा का अर्जन

2527. श्री सुबोध हंसदा : **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री भागवत झा आजाद **श्री म० ला० द्विवेदी :**
डा० म० मो० दास : **श्री प्र० चं० बरुआ**

क्या परिवहन, उड्डयन नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री यह बताने का कृपा करेंगे कि:

(क) रुपये के अवमूल्यन का इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की विदेशी मुद्रा की कमाई पर क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) उसमें कितनी कमी या वृद्धि हुई हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : अवमूल्यन का पर्यटक यातायात पर तथा उसके परिणामस्वरुप आईएसी के विदेशी मुद्रा के अर्जन पर प्रभाव का इतनी जल्दी मूल्यांकन नहीं किया जा सकता । यह मानते हुए कि पर्यटक यातातात स्थिर रहता है तो आईसी का विदेशी मुद्रा का अर्जन सामान्यतया 36% कम हो जायेगा । तथापि 15 नवम्बर, 1966 से कारपोरेशन ने अपने कई अन्तर्देशीय मार्गों पर किराये, विनियम की की पुरानी दरों पर विदेशी मुद्रा में अधिसूचित किये हैं । यह विदेशों में बुक किये गये यात्रियों के संबंध में लागू होगा । इससे विदेशी मुद्रा में होने वाली कमी पर्याप्त रूप से रुक जायेगी । परन्तु, यदि पर्यटकों की संख्या सामान्य रूप से अथवा अवमूल्यन के प्रभाव के परिणामस्वरुप विशिष्ट रूप से बढ़ती है तो दोनों ही दशाओं में स्थिति में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से उस हद तक सुधार हो जायेगा जिस हद तक वास्तविक वृद्धि हुई है ।

दक्षिण में नया हवाई क्षेत्र

1528. श्री सुबोध हंसदा : **श्री स० च० सामन्त :**
श्री प्र० च० बरुआ : **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **डा० म० मो० दास :**

क्या परिवहन, उड्डन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण क्षेत्रों में काम करने के लिये एक नया हवाई क्षेत्र बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस नये क्षेत्र द्वारा कौन से हवाई अड्डे का नियंत्रण किया जायेगा ; और

(ग) यह नया क्षेत्र बनाने पर कितना अतिरिक्त व्यय होगा ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री : (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) जी, हां। मद्रास में मुख्य कार्यालय सहित एक नया क्षेत्र बनाया गया है।

(ख) मद्रास क्षेत्र द्वारा निम्नलिखित स्टेशनों का नियंत्रण किया जायेगा :

1. बेंगलूर
2. कोलम्बो
3. कोचीन
4. कोयम्बतूर
5. हैदराबाद
6. मदुराई
7. मद्रास
8. तिरुचिरापल्ली
9. त्रिवेंद्रम
10. विजयवाड़ा
11. विशाखापतनम

(ग) कारपोरेशन ने अनुमान लगाया है कि अतिरिक्त व्यय लगभग 2 लाख रुपये वार्षिक होगा।

वाइकाउन्ट विमानों के स्थान पर अन्य विमान चलाना

2529. श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
डा० स० मो० दास :
श्रीमती सावित्र निगम :

क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार 1969 के अन्त तक वाइकाउंट विमानों के स्थान पर तेज चलने वाले अन्य विमान चालू करने का है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में एक तकनीकी दल पहले से ही अध्ययन कर रहा है ;

(ग) क्या वाइकाउंट विमानों से तेज चलने वाले किसी अन्य किस्म के विमान खरीदने का प्रबन्ध कर लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार के कितने विमान खरीदे जायेंगे और क्या ये विमान कारपोरेशन की कमाई से खरीदे जायेंगे अथवा इसके लिये धन की व्यवस्था सरकार द्वारा की जायेगी ?

परिवहन उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) : अपने वाईकाउंट विमान बेड़े को बदलने के लिये आई. ए. सी. बी. ए. सी. 111, डी. सी.–9,–10,

डी. सी.–9–30, कैरेवेल 10–आर और बोइंग 73, विमानों का अध्ययन कर रहा है और अभी तक कारपोरेशन से कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) कारपोरेशन का 7 से 6 तक विमान खरीदने का विचार है। विमानों की खरीद तथा उस खरीद की वित्तीय व्यवस्था के तरीके के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ;

मिट्टी परिरक्षण कार्यक्रम

2530. श्रीमती सावित्री निगम : श्री ह० चा० लिंग रेड्डी :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में मिट्टी परिरक्षण कार्यक्रमों के लिये कितनी राशि नियत की गई थी ; और

(ख) कितनी राशि खर्च की गई है और किन किन योजनाओं पर ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) :

(क) केन्द्रीय आयोजित तथा स्टेट प्लान स्कीम के अन्तर्गत भूमि संरक्षण कार्यक्रमों के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 72.00 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी।

(ख) तीसरी योजना के दौरान भूमि संरक्षण योजनाओं पर 79·15 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो मुख्य योजनाएं शुरु की गई है वे निम्नलिखित हैं:—

1. केन्द्रीय योजनाएं :

(क) आल इंडिया सोयल एण्ड लैंण्ड यूज सर्वे स्कीम
(ख) सोयल कन्जरवेशन रिसर्च डिमान्सट्रेशन एण्ड ट्रेनिंग सेन्टरस
(ग) सेन्ट्रल एरिड ज़ोन रिसर्च इन्सटीट्यूट

2. केन्द्र द्वारा चलाई गई योजनाएं :

(क) सोयल कन्जरवेशन इन कैचमैन्ट्स आफ रिवर वैली प्रोजैक्ट
(क) सर्वे आफ रिवाइन लैण्ड्स
(ग) पायलट प्रोजैक्ट्स आफ सेलाइन, अल्कालाइन एण्ड वाटर- लाग्ड लैण्ड्स
(घ) ड्राई फार्मिंग डिमान्सट्रेशन प्रोजैक्ट
(ङ) भूमि संरक्षण के लिये व्यक्तियों को प्रशिक्षण के लिये सहायता

3. राज्य योजनाएं :

1. कृषि भूमि तथा अन्य क्षेत्रों में कन्टूर बन्डिंग तथा ग्रेडिड बन्डिंग।
2. ड्राई फार्मिंग इन बन्डिड एण्ड अदर एरियाज़
3. सोयल कन्जरवेशन इन वाटरशेड्स आफ रिवर वैली प्रोजैक्टस
4. सोयल कन्जरवेशन इन कैचमैन्ट आफ फ्लड कन्ट्रोल स्कीम्स
5. सोयल कन्जरवेशन इन हिल्ली एरियाज़
6. रेगिस्तानी क्षेत्रों में भूमि संरक्षण
7. रेवाइन्ज में भूमि संरक्षण
8. सोयल कन्जरवेशन इन वैस्ट लैण्ड
9. सोयल कन्जरवेशन इन डिनूडिड फारेस्ट्स

10. रिक्लेमेशन आफ सेलाइन एण्ड अल्कालाइन सोयल जिनमें रिक्लेमेशन आफ कोस्टल सैलाइन लैण्ड भी शामिल हैं।

11. परकोलेशन फार सोयल कन्जरवेशन

12. सोयल एण्ड लैण्ड यूज सर्वे

13. रिसर्च, डिमान्सट्रेशन एण्ड ट्रेनिंग

सरकारी खेत (फार्म)

2531. श्रीमती सावित्री निगम : श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितने और किन-किन स्थानों पर सरकारी खेत (फार्म) चल रहे हैं ;

(ख) उन पर कितना धन व्यय किया गया है और उसका परिणाम क्या रहा है ; और

(ग) देश में सरकारी खेतों (फार्मों) के बारे में भविष्य के लिये क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र):

(क) इस समय दो सैन्ट्रल स्टेट फार्म हैं जो राजस्थान में सूरतगढ़ और जेतसर में स्थित हैं।

(ख) 1956-57 से 1965-66 के दौरान केन्द्रीय यांत्रिक कृषि क्षेत्र, सूरतगढ़ पर कुल खर्च 4,36,27,273 रुपये हुआ। जैतसर वाली फार्म 1964-65 में शुरु हुई और 1965-66 तक उस पर 73,67,231 खर्च हुआ। वास्तविक फार्मिंग कार्यों पर किए गये खर्च के अतिरिक्त इस राशि में वह खर्च भी शामिल है जो भूमि के सुधार एवं एकसार करने, सिंचाई के लिये जल-मार्ग बनाना, संचार विकास, बिल्डिंग्ज का निर्माण करना, फल वाटिका तथा विन्ड ब्रेक्स आदि के विकास कार्यों पर हुआ।

सूरतगढ़ तथा जैतसार फार्मों पर विभिन्न फसलों की उपज क्रमशः 8,47,447 तथा 7,277 क्विन्टल है। इसके अतिरिक्त पशु-पालन, डेरी तथा कुक्कट पालन सम्बन्धी आदर्श परियोजनाएं तथा विभिन्न फसलों को बढ़ाने के कार्य भी शुरु किये गए हैं।

(ग) प्रस्ताव है कि विभिन्न राज्यों में जहां बीजों की उन्नत किस्मों के लिये उपयुक्त भूमि उपलब्ध हो सकती है 15 और केन्द्रीय बीज फार्म स्थापित किये जाये।

त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर रात के समय विमानों के उतरने की सुविधायें

2532. श्री मधु लिमये :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे हर बाधा सूचक बत्तियों की व्यवस्था न होने के कारण देरी से आने वाले विमानों को कभी-कभी त्रिवेन्द्रम से कोचीन की ओर मोड़ दिया जाता है ;

(ख) क्या इससे इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को कोई वित्तीय हानि होती है; और

(ग) यदि हां, तो त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर शीघ्र ही बाधासूचक बत्तियों की व्यवस्था न किये ज.ने के क्या कारण हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) (क) और (ख) : जी हां ।

(ग) इन रुकावट के स्थान में से कुछ पर रोशनी पहले ही लगाई जा चुकी है शेष पर भी बाधासूचक रोशनी लगाने का प्राकलित व्यय स्वीकृत हो चुका है, तथा आशा की जाती है रोशनी लगाने का काम जल्दी की शुरु हो जायेगा ।

पर्यटन से विदेशी मुद्रा का अर्जन

2533. (डा० म० मो० दास :
(श्री म० ला० द्विवेदी :
(श्री सुबोध हंसदा :
(श्री भागवत झा आजाद :
(श्री स० चं० सामन्त :

क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों में पर्यटन से अर्जित की जाने वाली विदेशी मुद्रा की राशि में कमी हुई है तथा पर्यटन पर व्यय तदनुसार बढ़ा है ; और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री : (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) : 1964 के कैलेण्डर वर्ष मे पर्यटन से होने वाला विदेशी मुद्रा का उपार्जन 1963 की अपेक्षा अधिक था । परंतु 1965 में वह 1964 की अपेक्षा कुछ कम रहा । जहां तक पर्यटन पर होने वाले व्यय का संबंध है, पिछले दो वर्षों में उसमें बढ़ोतरी हुई है ।

(ख) : देश में भारत-पाकिस्तान युद्ध से उत्पन्न हुई अनिश्चनात्मक स्थिति के कारण 1965 में पहले वर्ष की अपेक्षा पर्यटकों के आयात में 5.6 प्रतिशत की कमी हुई । भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या में इस कमी के कारण ही 1965 में विदेशी मुद्रा के उपार्जन में भी कमी हुई । व्यय में वृद्धि मुख्यतया इन वर्षों में कुछ नये क्रियाकलापों को प्रारम्भ करने, विदेशों में नये कार्यालय खोलने तथा विभाग के बढ़े हुए कार्य-विस्तार के निर्वाह के लिये नए पदों के निर्माण के कारण हुई ।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

2534. डा० म० मो० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भगावत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग का विकास करने में सहायता देने के लिये सोवियत रूस सरकार ने अपने कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताविक सहायता का स्वरूप क्या होगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) तथा (ख) : जी नहीं । मामला दो सरकारों के विचाराधीन है और योजनाओं के ब्यौरे पर विचार विमर्श किया जायेगा तथा उसे अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

दिल्ली परिवहन उपक्रम की बसें

2535. श्री बागड़ी : श्री यशपाल सिंह : श्री रामसेवक यादव : श्रीमती मैमना सुलतान :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में यातायात कठिनाइयों को दूर करने के लिये वर्ष 1966-67 के दौरान दिल्ली परिवहन उपक्रम की बसों में कितनी और बसें बढ़ाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि नियत की गई है तथा यातायात समस्या कब तक हल हो जायेगी ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) 110 बसें ।

(ख) 91 लाख रुपये दिल्ली परिवहन उपक्रम यातायात सम्बन्धी आवश्यकताओं को यथासम्भव पूरा करने के लिये प्रयास कर रहा है ।

कालीकट हवाई अड्डा

2536. श्री बागड़ी : श्री यशपाल सिंह श्री राम सेवक यादव : श्री मौहम्मद कोया :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री कालीकट हवाई अड्डे के बारे में 26 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 162 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट हवाई अड्डे के निर्माणकार्य की योजनाओं तथा प्राक्कलनों को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) ब्यौरा अभी तैयार किया जा रहा है ।

भारतीय खाद्य निगम के प्रधान

2537. श्री यशपाल सिंह

क्या **खाद्य, कृषि,** सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय खाद्य निगम के प्रधान प्रधान कितनी बार बदल चुके हैं ; और

(ख) इतनी जल्दी परिवर्तन करने के क्या कारण है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) :

(क) और (ख) भारत के खाद्य निगम के पहले प्रधान में अपनी पदावधि पूरी करके 4-1 1966 को कार्य भार छोड़ा था । वर्तमान प्रधान निगम का दूसरा प्रधान है ।

कृषि स्नातक

2538 श्री श्रीनारायण दास :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में तीन कृषि कालेजों के लगभग 1200 छात्रों द्वारा की गई अनिश्चित् हड़ताल के संदर्भ में क्या सरकार ने उस समस्या पर विचार कर लिया है जिसका आगामी कुछ वर्षों में देश के सभी कृषि स्नातकों को संभवतः सामना करना पड़ेगा;

(ख) क्या इस बात का पता लगाने के लिए कोई अनुमान लगाया गया है कि राज्य सेवाओं, अनुसन्धान प्रयोगशालाओं तथा गैर-सरकारी फार्मों में कितने प्रतिशत कृषि स्नातकों को नौकरियां मिली हैं; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हों तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) से (ग) बिहार राज्य के कृषि कालिज राज्य सरकार के नियंत्रण में हैं और केन्द्रीय सरकार का उन पर कोई नियंत्रण नहीं है । फिर भी, जानकारी राज्य सरकार से मांगी गई है और मिलते ही सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

ग्रामीण लोगों को पोषाहार के मूलभूत सिद्धांतों की शिक्षा देना

2539. श्री उमानाथ : श्री अ० क० गोपालन :
श्री प० कुनहन : श्री लक्ष्मी दास :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गांवों के लोगों को पोषाहार के मूलभूत सिद्धान्त समझाने के लिए एक अभियान चलाने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा यह योजना कब तक क्रियान्वित की जाने की संभावना हैं ; और

(ग) इस योजना का व्यय कौन देगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे) :

(क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्राष्ट्रीय आपातकालीन बाल कोष, खाद्य तथा

कृषि संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से तीसरी पंच वर्षीय योजना के दौरान 221 खंडों में व्यवहारिक पोषाहार का कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ग्राम स्तर पर फल सब्जी, मछली, मुर्गी और दूध आदि जैसे विभिन्न प्रकार के संरक्षण योग्य खाद्य-पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाना और गाँव वालों को इस प्रकार के खाद्य-पदार्थों के उत्पादन, उनके बनाने की प्रक्रिया, संरक्षण तथा खपत के बारे में प्रशिक्षण देना है। चौथी योजना काल में इस कार्यक्रम को इसके अतिरिक्त 1000 खंडों में शुरू करने का प्रस्ताव है। इस योजना के पहले और उसके बाद के वर्षों में क्रमश: 150, 200, 250 250 और 150 खंडों को इसके अन्तर्गत लाया जायेगा।

(ग) तीसरी योजना काल में इस कार्यक्रम का खर्च राज्य सरकारों और राष्ट्रसंघ के अन्तर्राष्ट्रीय आपात-कालीन बाल कोष (यूनीसेफ) ने वहन किया था। चौथी योजना के दौरान इस कार्यक्रम को योजना के एक अभिन्न अंग के रूप में लिया जायेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्राष्ट्रीय आपातकालीन बाल कोष द्वारा दी जाने वाली सहायता और राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित राशि के अतिरिक्त चौथी योजना के दौरान लिये जाने वाले खंडों को इस कार्यक्रम के कुछ उन विशेष मदों के लिये, जो योजना में सम्मलित नहीं हैं, विशेष केन्द्रीय सहायता दी जायेगी। चौथी योजना के दौरान लिये जाने वाले खंडों को

नेपाल से भारत के लिये चावल

2540. श्री यशपाल सिंह : **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री तुला राम : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा** सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को नेपाल से चावल की सप्लाई के बारे में नेपाल तथा भारत की सरकारों के बीच हाल ही में एक समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस समझौते की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) 1966-67 में भारत को कितना चावल सप्लाई किये जाने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) :

(क) से (ग) प्रधान मंत्री के नेपाल के हाल के दौरे के समय यह समझौता किया गया था कि नेपाल से 4000 टन चावल 50 लाख रुपये की कीमत पर खरीदा जायेगा। खरीददारी करने के सम्बन्ध में अभी बातचीत चल रही हैं।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा मोटे अनाज का समाहार

2541. श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री इन्द्रजीत गुप्ता :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार,** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम मोटे अनाज का समाहार करेगा और यदि हां तो किन राज्यों में तथा कितनी मात्रा में;

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने इस वर्ष अब तक विभिन्न प्रकार के कितने अनाज का समाहार किया है ; और

(ग) क्या समाचार के मामले में इस निगम को अधिक प्रभावी बनाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा मन्त्रालय में सहकार मन्त्रालय मे राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) :

(क) भारत खाद्य निगम ने 1965-66 की फसल के दौरान आंध्र प्रदेश, मैसूर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और मद्रास राज्यों में मोटे अनाज का समाहार करना पहले ही शुरू कर दिया है । निगम का 1-11-1966 से शुरू होने वाली चालू खरीफ की फसल के दौरान राजस्थान पंजाब, मध्यप्रदेश और उड़ीसा में मोटे अनाज की खरीदारी करने का विचार है । मोटा अनाज किस मात्रा में खरीदा जायेगा । यह ऐसे अनाज की उपलब्धता बाजार की दशा और मूल्य स्थिति पर निर्भर होगा ।

(ख) एक ऐसा विवरण संलग्न किया जाता है जिसमें भारत के खाद्य निगम द्वारा विभिन्न राज्यों में वर्ष 1965-66 की फसल के दौरान खरीदे गये विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों की मात्रा का पूरा विवरण दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये एल० टी० संख्या 7438/66]**

(ग) इस निगम ने अपनी स्थापना के बाद पहलें वर्ष की फसल में 10 लाख टन से ऊपर अनाज की खरीदारी की थी । इसका अर्थ यह है कि निगम अपने कार्य में काफी सफल रहा है । चालू फसल में यह अधिक क्षेत्र पर और अधिक मात्रा में अनाज की खरीदारी करेगा ।

चीनी का निर्यात

2542 श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री म० मो० दास :

क्या खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1965 में चीनी का निर्यात कम हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ;

(ग) निर्यात की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ग) क्या निर्यात पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक होगा ; और

(ङ) यदि हां, तो कितना अधिक होगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे)

(क) और (ख) जी, नहीं । वर्ष, 1965 के दौरान निर्यात की मात्रा 2·67 लाख टन थी जबकि 1964 में यह मात्रा केवल 2·34 लाख टन थी । (ग) से (घ) वर्ष 1966 के दौरान 4.40 लाख टन चीनी का निर्यात किया जायेगा जो 1965 और 1964 दोनों की निर्यात-मात्रा से अधिक है ।

प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां

2543. श्री फ० गो० सेन :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राथमिक सहकारी समितियों की अंश पूंजियों को बढ़ाने के लिये राज्यों ने क्या उपाय किये हैं; और

(ख) यदि हां तो उन का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) :

(क) और (ख) प्राथमिक कृषि ऋणदाता मंत्रियों की अंश पूंजी को

(1) उनकी सदस्य संख्या बढ़ाकर और सभी सदस्यों से अंशदान क्रमावस्था में लेकर तथा

(2) सरकार का अंशदान लेकर बढ़ाया जा रहा है ।

प्रत्येक सदस्य से आशा की जाती है कि वह अपनी ऋण राशि के 10 प्रतिशत के अंश पहले खरीदेगा और बाद के दो वर्षों में वह प्रत्येक वर्ष में 5 प्रतिशत से अंश खरीद सकता है और इस प्रकार वह अपनी ऋण-राशि के कुल 20 प्रतिशत तक के अंश खरीद सकता है ।

राज्य सरकारें सदस्य समितियों की अंश पूंजी में बराबर का अंशदान देती हैं। एक समिति में अंशदान की सामान्य सीमा 5000 रुपये हैं, परन्तु किसी विशेष मामले में यह सीमा 10,000 रुपये तक बढ़ायी जा सकती है ।

Publications in Hindi.

2544. Shri Vishram Prasad :

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) the name of reports, journals, periodicals and pamphlets being published by his Ministry, its Attached and Subordinate Offices and the number of those out of these which are pubiished in Hindi also; and

(b) whether Govt. propose to publish all these publications now being brought out in English, in Hindi also and if so, by what time ?

The Minister of State in the Ministry of Law (Shri C. R. Pattabhi Raman) :

(a) 1. Annual Report of the Ministry;

2. Report on General Elections;

3. Election Law Reports;

4. Reports of the Law Commission on revision of statutes;

5. Company News and Notes (Fortnightly Journal);

6. Annual Report on the Working and Administration of the Companios Act, 1956;

7. Quarterly Blue Book on Joint Stock Companies in India; and

8. Annual Blue Book on Joint Stock Companies in India.

Only the publication at serial No. 1 above is published both in English and Hindi

(b) The reports on revision of Statutes, Election Law etc. are of specialised nature dealing with highly technical matters including their examination in the light of decisions of High Courts and the Supreme Court of India. Quite often a comparative study of the corresponding Laws as obtaining in other countries is undertaken. All these are to be found in English text only. Other publications also present similar difficulty. It is therefore, not feasible for the time being to bring out all these publications in Hindi also. However, every attempt will be made to publish any such report in Hindi, where possible.

Hindi equivalents of Technical Terms.

2545. Shri Vishram Prasad :

Will the Minister of **Law** be pleased to state ;

(a) the approximate number of technical terms, concerning his Ministry and its Subordinate Offices, the Hindi equivalents of which are yet to be prepared ; and

(b) the arrangements being made to expedite the preparation of these equivalents ?

The Minister of State in the Ministry of Law (Shri C. R. Pattabhi Raman).

(a) and (b) The Official Language (Legislative) Commission has been charged with the function **inter alia** of preparing and publishing a standard legal terminology for use, as far as possible, in all official languages including Hindi. As this terminology is evolved and fixed in the process of preparing authenticated Hindi texts of Central Acts, Rules etc., it is not possible to indicate the exact number of technical terms, the standard language equivalents of which are yet to be prepared, as the preparation of the standard legal terminology is a continuous process. The Commission has through this process so far evolved Hindi equivalents of about 6000 legal terms and expressions of which about 2800 terms and expressions are meant for use, as far as possible in all languages and are to form part of the standard legal glossary. Authenticated Hindi texts of a large number of Central Acts have yet to be prepared. The task of preparing the standard legal terminology will be completed only when the prepara-tion of authentic Hindi texts and regional languagetranslation of all Central Acts is complete. Every endeavour is, however, being made to expedite the preparation of authentic Hindi texts of Central Acts and Rules and thereby expedite the evolution of a standard legal terminology.

Hindi Translation of Documents.

2546. Shri Vishram Prasad :

Will the Minister of **Law** be pleased to state ;

(a) The nature of documents other than Acts pertaining to other Ministries, the Hindi translation of which is checked by the Hindi Department of the Law Ministry;

(b) whether there are any such documents, the English Versions of which are published by other Ministries without consulting the Law Ministry; and

(c) if so, the reasons for the different procedures followed in checking the Hindi and English versions ?

The Minister of State in the Ministry of Law (Shri C. R. Pattabhi Raman) :

(a) The Hindi translations of Statutory Rules, Orders, etc. issued under the

various Central Laws are prepared by the Ministry of Law. Such translations are required to be approved by the Official Language (Legislative) Commission as authoritative texts before they can be published under the authority of the President in the Gazette of India.

The Ministry of Law also prepares Hindi translations of legal documents sent to it by other Ministries/Departments of the Government of India.

(b) The English version of all Statutory Rules, Orders; etc. issued under the various Central laws is published in the Gazette of India by the administrative Ministries concerned only after they are technically scrutinised and vetted by the Ministry of law.

(c) The difference in the procedure for checking and publication of the Hindi and English versions of these Rules, Orders etc. arises out of the fact that whereas the Hindi translations of Statutory Rules etc. can be published in the Gazette of India under the authority of the president only after authoritative texts thereof are prepared by the Official Language (Legislative) Commission, the English version can be so published by an officer of the Ministry concerned, who is authorised so to do on behalf of the Central Government, after technical scrutiny and vetting by the Legislative Department of the Ministry of Law.

Model Bills in Hindi Version

2547. Shri Vishram Prasad : Will the Minister of **Law** be pleased to state ;

(a) the number of model Bills drafted for each State during last Five Years;

(b) whether the Hindi version of thess Bills was also supplied;

(c) whether any fee is charged from the States for this work; and

(d) if so, the rate thereof and the total amount of fees received during the above period ?

The Minister of State in the Ministry of Law (Shri C. R. Pattabhi Raman) :

(a) No model, Bills were prepared for any individual State; they were preparad for all the States. The particulars of such Bills are shown in Annexure 'A'. In addition to the Model Bills, several other Bills were prepared for individual States/Union territories. They are shown in Annexure 'B' **[Placed in Library. See No. LT-7439/66]**

(b) No. Sir.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

भारतीय जहाजों की माल ढोने की क्षमता

2548. श्री महेश्वर नायक :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारतीय जहाजों की कुल कितनी माल ढोने की क्षमता है और चौथी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर उनकी यह क्षमता कितनी हो जाने की संभावना हैं;

(ख) वर्तमान क्षमता में भारत का कितना योगदान है और चौथी पंचवर्षीय योजना के

अन्त तक इस मामले में भारत कहां तक स्वावलम्बी हो जायेगा; और

(ग) नौवहन पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जा रही है और चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक विदेशी मुद्रा के खर्च में कितनी कमी हो जायेगी ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) इस समय भारतीय जहाज़ों की माल ढोने की कुल टन क्षमता लगभग 17·69 लाख जी. आर. टी. है। चौथी योजना के अन्त तक यह क्षमता बढ़कर 30 लाख टन जी. आर. टी. हो जायेगी और 5 लाख टन जी. आर. टी. की क्षमता के लिये जहाज बनाये जायेंगे।

(ख) इस समय 17.69 लाख जी. आर. टी. की कुल टन की क्षमता में से 185308 जी. आर. टी. के जहाज भारत में बने हैं। यह आशा की जाती है कि चौथी योजना के अन्त तक 2 लाख जी. आर. टी. की क्षमता के जहाज भारत में ही बनाये जायेंगे और शेष 15 लाख के लिये जहाज विदेशों से मंगाये जायेंगे।

(ग) यह मान लिया गया है कि विदेशी मुद्रा के खर्च के सम्बन्ध में जो जानकारी पूछी गयी है, वह विदेशी नौवहन कम्पनियों को दिये जाने वाले भाड़े के सम्धन्ध में है वर्ष 1965-66 के दौरान भाड़े के भुगतान के लिये लगभग 160 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है जबकि हमारा समुद्रपार के देशों से इसी अवधि में कुल 2203 करोड़ रुपये का व्यापार हुआ है। यह सम्भावना है कि चौथी योजना के अन्त तक इस मद पर लगभग 260 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च होगी और मोटे रूप से 1970-71 के दौरान समुद्रपार के देशों से 4500 करोड़ रुपये का व्यापार होगा।

कृषि संबंधी शिक्षा

2549. श्री महेश्वर नायक :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में नियत की गई कुल राशि में से कितने प्रतिशत राशि कृषि सम्बन्धी शिक्षा पर खर्च की गई;

(ख) मैट्रिक-पूर्व छात्रों में से कितने छात्रों ने ऐच्छिक विषय के रूप में कृषि का लाभ उठाया; और

(ग) क्या कृषि-प्रधान शिक्षा प्राप्त, कृषि के डिप्लोमाधारियों, स्नातकों तथा स्नातकोत्तर व्यक्तियों को अंशकालिक अथवा पूर्णकालिक व्यवसाय के रूप में कृषि को अपनाने के लिये कोई प्रोत्साहन दिया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्रा) : (क) से (ख) : पूछी गई जानकारी इकठ्ठी की जा रही हैं और मिलते ही सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह राज्य सरकार का विषय है।

अनाज का आयात

2550 श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री बासप्पा :
श्री वे० ओ० नायक :
श्री रामचन्द्र मलिक :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री राम हरख यादव :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
डा० म० मो० दास :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1967 में 80 लाख टन अनाज आयात करने का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि में प्रत्येक देश से अनुमानतः कितने अनाज का आयात किया जायेगा; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में कुल कितना अनाज आयात करने का विचार है और 1967 के अन्त तक कितना अनाज आयात किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख) इस वर्ष अगस्त सितम्बर की आवश्यकता के अनुमान के आधार पर 1967 के लिये 80 से 90 लाख टन अनाज के आयात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नवीनतम खाद्य स्थिति के संदर्भ में आवश्यकताओं का पुनः अनुमान किया जा रहा है। अनाज की आयातित मात्रा विभिन्न देशों में अनाज की उपलब्धता और संभरण की शर्तों पर निर्भर होगा।

(ग) चतुर्थ योजना के दौरान कुल कितना अनाज आयात किया जायेगा यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और इस अवधि में कृषि उत्पादन के लक्ष्यों सम्बन्धी अनुमानों से उसका गहरा सम्बन्ध है। आशा है कि अप्रेल से दिसम्बर, 1966 तक लगभग 84 लाख टन अनाज आयात किया जायेगा। जनवरी से दिसम्बर, 1967 तक आयात किये जाने वाले अनाज के प्रस्तावों सम्बन्धी स्थिति ऊपर भाग (क) और (ख) में बता दी गई है।

चावल इंजीनियरी पहलुओं के अध्ययन के लिये अनुसन्धान केन्द्र

2551. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बसुमतारी :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, खड़गपुर, में चावल के सभी इंजीनियरी पहलुओं के अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा समन्वय के लिए एक राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित केन्द्र की मुख्य बातें क्या हैं तथा इन परियोजना पर कितनी लागत आयेगी; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शिन्दे) :

(क) प्रस्ताव को विचार के लिये विशेषज्ञों की एक समिति को दे दिया गया है ।

(क) और (ख) केन्द्र में अनुसन्धान, चावल को लाये ले जाने सुखाने, स्टोरों में जमा करने और धान को साफ करने या कृषि इंजीनियरी के क्षेत्र में आने वाली छोटी छोटी बातों के आधुनिक तरीकों में उच्च प्रशिक्षण दिया जायेगा और अनुसन्धान किया जायेगा । परियोजना का ब्यौरा समिति द्वारा तैयार किया जा रहा है ।

महाराष्ट्र को देय पेट्रोल कर

2552. श्री सोनावने :

क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय राजस्व से पैट्रोल कर का एक भाग जो 3.5 करोड़ रुपये है, महाराष्ट्र सरकार को 1958 से दिया जाना बाकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री शिन्दे)

(क) जी, नहीं । भूतपूर्व बम्बई राज्य तथा महाराष्ट्र राज्य को इसके बनने के बाद 1958-59 से 1965-66 तक कुल 582.56 लाख रु० का भुगतान किया गया है । चालू वित्तीय वर्ष 1966-67 के दौरान 45.00 लाख रु० की राशि दी जा सकती है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दमदम हवाई अड्डे का जलपान-गृह

2553. श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष दमदम हवाई अड्डे पर जलपान-गृह का ठेका किसको दिया गया है ;

(ख) क्या ठेका देने से पहले टैन्डर मांगे गये थे ;

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) आगामी वर्ष के लिये टैन्डर कब मांगे जायेंगे ?

परिवहन उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) दमदम हवाई अड्डे पर जलपान-गृह का प्रारम्भिक ठेका दो वर्ष की अवधि के लिये

1. 7. 1949 को मांगे गये टैण्डरों के आधार पर श्री शिवजी वेलजी को दिया गया था। तब से, जलपान-गृह के प्रबंधकर्ता द्वारा की गयी संतोषजनक सेवा के आधार पर इस ठेके की अवधि समय-समय पर बढ़ायी जाती रही है। चालू ठेके की अवधि 31. 12. 1966 को समाप्त होने वाली है।

(ख) 31. 12. 1966 के बाद जिस आधार पर दमदम, दिल्ली, मद्रास, और बम्बई के चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर जलपान-गृह के ठेके दिये जाने चाहिएं, उस के प्रश्न पर विचार करने तथा सरकार को उसके बारे में सिफारिशें भेजने के लिये एक समिति की स्थापना की जा चुकी है। समिति की सिफारिशों पर निर्णय करने के बाद ही अगली कार्यवाही की जायेगी।

चीनी का उत्पादन

2554. श्री दे० द० पुरी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री 1 नवम्बर 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 89 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी चीनी के मौसम के लिये गन्ने की फसल की वर्तमान स्थिति का इस बीच अनुमान लगा लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह समझती है कि कम से कम पिछले वर्ष के चीनी के उत्पादन के बराबर उत्पादन के लिये गन्ने की फसल संतोषजनक है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है चीनी के अधिक उत्पादन के लिये उद्योग को अधिक से अधिक गन्ना उपलब्ध किया जावे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री शिन्दे)

(क) जी हां, 1966-67 के दौरान गन्ने की फसल का प्रारम्भिक अनुमान लगाया गया है।

(ख) जी नहीं। ऐसा सन्देह है कि गत वर्ष की अपेक्षा गन्ने की सप्लाई कम होगी।

(ग) सरकार स्थिति का पुनर्विलोकन करेगी और उचित कदम उठायेगी।

पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात किये गये गेहूं का मूल्य

2555. श्री मधु लिमये :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि पी. एल. 480 के अधीन आयात किये गेहूं के विक्रय मूल्य के अधीन आयात किये गये गेहूं के विक्रय मूल्य में प्रति किलो और वृद्धि की जायेगी ;

(ख) राशन की दुकानों/उचित मूल्य की दुकानों में सर्वप्रथम पी. एल. 480 गेहूं प्रति किलो किस भाव पर दिया गया था ;

(ग) अब तक (नवीनतम वृद्धि को शामिल किये बिना) मूल्य में कितनी बार वृद्धि की गई है और कितनी वृद्धि की गयी है ? और

(घ) नवीनतम वृद्धि से जन-साधारण के निर्वाह-मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में खाद्य मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) :

(क) 15. 11. 1966 से आयातित गेहूं के विक्रय मूल्य में 5 रु. प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। 16. 11. 1966 को एक मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह सिफारिश की गई है कि अनाज के वितरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाने वाली राज्य सहायता को धीरे धीरे हटा लिया जाना चाहिये। सिफारिश अब सरकार के विचाराधीन है।

(ख) आयातित गेहूं का विक्रय मूल्य 37.51 रु. प्रति क्विटल था।

(ग) मूल्यों में दो बार वृद्धि की गई है और नवीनतम पुनरीकरण से पहले कुल वृद्धि 12.49 रु. प्रति क्विटल थी।

(घ) अभी यह बताना कठिन है कि उपभोक्ता मूल्य देयनांक पर नवीनतम वृद्धि का क्या असर पड़ेगा।

भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग

2556. श्री महेश्वर नायक :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक के एक सलाहकार मिस्टर पाल एच० जोन्स के नेतृत्व में विशेषज्ञों के एक दल तथा प्रयोगात्मक नलकूप संगठन के मुख्य अभियन्ता तथा भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के एक प्रतिनिधि द्वारा गंगा-यमुना दोआब तथा गंगा और सौनघाटी के बीच के क्षेत्र का जल विज्ञान सम्बन्धी सर्वेक्षण किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ठीक-ठीक किस प्रकार का परीक्षण किया जा रहा है तथा इस कार्य से क्या परिणाम निकलने की आशा है; और

(ग) राज्य के ऐसे अन्य क्षेत्रों में ऐसे सर्वेक्षण न किये जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) :

(क) हाल ही में सर्वश्री पाल एच०जोन्स तथा वाल्टर हॉफमेन नामक दो अमरीकी भूगर्भ सर्वेक्षण विशेषज्ञों ने भारत का भ्रमण किया था। उन्होंने उत्तर प्रदेश तथा बिहार में खेतों का दौरा किया और समन्वेषी नलकूप संगठन के चीफ इंजीनियर, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के प्रतिनिधियों तथा विद्युत आयोग व राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने उनको सहयोग दिया था। अमरीकी दल ने यू०एस०एड की सहायता से पश्चिम बंगाल, बिहार से उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा तक के क्षेत्र के अपर गंगा के मैदान के लिए जल संसाधनों की जांच के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। अभी ये प्रस्ताव अनिन्तिम हैं।

(ख) इस जांच पड़ताल का मुख्य उद्देश्य यह है कि इस क्षेत्र से जल उपलब्धि के विषय में ज्ञान प्राप्त किया जाये ताकि नलकूप लगाकर उसका सदुपयोग किया जा सके। इस जांच-पड़ताल का उद्देश्य उन क्षेत्रों को अंकित करना भी है जहां नलकूप खेती के योग्य हैं। इन प्रस्तावों

में ज्यादा क्षमता वाले कुओं के गल जाने की समस्या का हल करना, भूमि स्तर तथा भूमिगत जल का संयुक्त रूप से उपयोग करना, पानी वाले क्षेत्रों की कमी की पुनःपूर्ति की गुंजायश का पता लगाना व इसके अतिरिक्त छोटे स्तर पर नमकीन या क्षेत्रों का विकास करना भी शामिल है।

(ग) जिस क्षेत्र का अन्तिम रूप से चुनाव किया गया है वह सघन कृषि तथा कृषि उत्पादन के गतिशील कार्य के लिए बड़ा ही उपयुक्त है।

चावल मिलों के लिये खाद्य तथा कृषि संगठन से सहायता

2557. श्री कोल्ला वेंकैया :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा कृषि संगठन ने आधुनिक चावल मिल स्थापित करने के लिए हाल में कोई सहायता देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस देश को किस रूप में तथा कितनी सहायता देने का प्रस्ताव किया गया है ;

(ग) कितनी चावल मिलें स्थापित करने का प्रस्ताव है और उनकी क्षमता कितनी होगी ; और

(घ) इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) :

(क) से (ग) भूख से छुटकारा आन्दोलन के भाग के रूप में खाद्य तथा कृषि संगठन ने, 4 आधुनिक मिल एकक, 2 सेला चावल बनाने के एकक और 9 चावल को सुखाने और चावल को स्टोरों में जमा करने के सामुदायिक केन्द्र स्थापित करने और इन एककों के निर्माण और इन आरम्भ के संचालन में सहायता के लिये विदेशी तकनीकि विशेषज्ञों की सेवाओं लागत को पूरा करने के लिये, लगभग 16 लाख डालरों के अनुदान की पेशकश की है। प्रत्येक चावल मिल एकक की क्षमता 5 टन प्रति घंटा होगी।

(घ) पेशकश को स्वीकार कर लिया गया है।

दुग्धशाला (डेरी) परियोजनाएं

2558. श्री कोल्ला वेंकैया :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में कुल कितनी दुग्धशाला परियोजनाएं पूर्ण हुई ;

(ख) इन परियोजनाओं पर कुल कितनी लागत आई और कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ;

(ग) देश में दुग्धशाला उद्योग की क्षमता कितनी है और 1964-65 तथा 1965-66 में कितने प्रतिशत क्षमता उपयोग में लाई गई ; और

(घ) क्षमता का पूर्ण उपयोग न किये जाने का क्या कारण थे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे)

(क) 39 (उन्तालीस)

(ख) से (घ) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

उपभोक्ता सहकारी समिति सम्बन्धी सलाहकार समिति

2559. श्री दी चं० शर्मा :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनकी अध्यक्षता सहकारी समितियों के बारे में एक 26 सदस्यीय केन्द्रीय सलाहकार समिति स्थापित करने का निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके कृत्य क्या होंगे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) :

(क) जी हां ।

(ख) समिति के कृत्य निम्न है:—

(एक) उपभोक्ता सहकारी समितियों के अच्छे और एकीकृत विकास के लिये उपायों की शिफारिश करना;

(दो) विरोध रूप से संगठनात्मक, संभरण और वित्तीय पहलुओं के सम्बन्ध में समय समय पर उपभोक्ता सहकारी समितियों की प्रगति का पुनर्विलोकन करना ;

(तीन) कार्यक्रम में अधिकाधिक लोग भाग लें इसके उपाय सुझाना और उनकी पहल और नेतृत्व को बढ़ावा देना ; और

(चार) कार्यक्रम के लिये अपेक्षित कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण देने के लिये प्रबन्धों का पुनर्विलोकन करना ।

हालैंड द्वारा भोजन पैकेटों का उपहार

2560. श्री इन्द्रजीत गुप्त श्री हरि विष्णु कामत : श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : श्री हेम बरुआ :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हालैंड के लोगों द्वारा उपहार के रूप में भारत को भेजे गये भोजन पैकेटों को बम्बई तथा अन्य स्थानों पर खुले बाजार बेचा गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले की कोई जांच की गई थी ; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री श्री (गोविन्द मेनन) : (क) से (ग)

आरोप लगाये गये थे कि हालैंड द्वारा भारत को भेंट के रूप में दिये गये जर्द के कुछ टिनों को बम्बई में खुले बाज़ार में बेचा गया था। की गई जांच से पता चला कि भारत सरकार को हालैंड से भेंट के रूप में कोई जर्द प्राप्त नहीं हुई थी, परन्तु कुछ धर्मार्थ संस्थाओं को उस देश से जर्द अवश्य प्राप्त हुई थी। यह उनके द्वारा उनके अपने प्रबन्धों के अन्तर्गत ही बांटी गई थी और भारत सरकार का इस मामले में कोई हाथ नहीं था।

दुर्बल पशुओं को पालने के लिए वनों का सर्वेक्षण

2561. श्री कृष्णपाल सिंह :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के उन विशाल वन-खंडों का कोई सर्वेक्षण किया गया है जिनमें वृद्ध तथा दुर्बल पशु कम खर्च पर पाले जा सकते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे) :

(क) जी हां। केन्द्रीय गोसंवर्द्धन परिषद ने अप्रैल 1954 से सितम्बर 1955 तक गोसदनों की स्थापना के बारे में उपयुक्त खण्डों की तलाश में सर्वेक्षण किया था।

(ख) ऐसे क्षेत्रों से वृद्ध तथा नाकारा व अनुत्पादक पशुओं को अलग-अलग करने के लिये जहां पशुओं के सुधार के विषय में सक्रिय रूप से काम किया गया है या किया जा रहा है तथा उनको अधिक घास तथा पानी की सुविधाओं वाले वनों के भीतरी क्षेत्रों में स्थापित करने के लिए पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में 'गोसदनों' की स्थापना करने की एक योजना शुरू की गई थी। अब तक विभिन्न राज्यों में 86 'गोसदनों' की स्थापना की गई है, इनमें 18 जिला-गोसदन भी शामिल हैं, चौथी योजना में भी योजना को जारी रखा जा रहा है।

बूचड़खानें

2562. श्री कृष्णपाल सिंह : श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि

(क) क्या सरकार ने देश में बड़े बूचड़खाने स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने तथा कहां-कहां पर ; और

(ग) इन पर कुल कितना व्यय होने का अनुमान है तथा अब तक कितना धन व्यय किया जा चुका है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) से (ग)

बूचड़खाने स्टेट प्लान स्कीम के अन्तर्गत किये जाते हैं । पूछी गई जानकारी राज्यों से इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

राष्ट्रीय सहकारी बैंक

2563. श्री हिमे : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री 26 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 169 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक राष्ट्रीय सहकारी बैंक (नेशनल कोआपरेटिव बैंक) स्थापित करने के प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) और (ख) मामला अभी विचाराधीन है ।

राज्यों में बीज निगम

2564. श्री हिमे : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री 26 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 173 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में बीज निगम स्थापित करने के बारे में इस बीच निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या राज्यों से इस सम्बन्ध में उत्तर प्राप्त हो चुके हैं ?

खाद्य कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र)

(क) और (ख) : आन्ध्र प्रदेश, आसाम, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान की सरकारों ने अपनी योजनाओं में बीज निगमों की स्थापना करने का उपबन्ध कर लिया हैं । अभी जम्मू तथा कश्मीर, केरल, पश्चिम बंगाल तथा गोआ ने बीज निगमों की स्थापना करने का निश्चय नहीं किया है । हरियाणा तथा पंजाब ने भूमि विकास एवं बीज निगम की स्थापना कर ली हैं । ये निगम भूमि विकास तथा बीज उत्पादन के विषय में कार्य करेंगी अतः अलग बीज निगमों की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है । अन्य सरकारें इस प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं ।

कृषि का विकास

2565. डा० महादेव प्रसाद :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने 27 अक्तूबर

1964 को राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में अपने भाषण में इस बात पर बल दिया था कि जिला मजिस्ट्रेटों को अपना साधारण दैनिक कार्य किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप कर अपनी समस्त शक्ति तथा समय कृषि के विकास के लिये लगाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो संबद्ध अधिकारियों ने उपरोक्त सलाह को कहां तक अपनाया है और उसका क्या परिणाम रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) :

(क) 27 अक्तूबर, 1964 को राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिए गए भाषण का सम्बन्धित भाग संलग्न हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी 7442/66]**। इससे मालूम होगा कि उनका वक्तव्य सदस्य के प्रश्न से भिन्न है।

(ख) प्रशासनिक सुधार के विभाग ने जिला कलक्टर, जिला मजिस्ट्रेटों के कार्यों पर विशेष ध्यान रखकर जिला प्रशासन का अध्ययन शुरु किया था। उस विभाग द्वारा यह अध्ययन कार्य प्रशासनिक सुधार आयोग को आगे की कार्यवाही के लिये सौंप दिया गया है।

खाद्य सम्बन्धी आंकड़े

2566. डा० महादेव प्रसाद :

क्या **खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा** सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनका मंत्रालय खाद्य उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े किस प्रकार इक्ट्ठे करता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) :

किसी फसल के उत्पादन का अनुमान लगाने के लिये सस्यगत क्षेत्र को प्रति एकड़ उपज दर से गुणा किया जाता है। कुल खाद्य उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए विभिन्न फसलों के उत्पादन का जोड़ किया जाता हैं।

2. सस्यगत क्षेत्र का अनुमान लगाने के लिये खेतों में जाकर गिनती की जाती है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा केरल को छोड़कर समस्त राज्यों में प्राथमिक राजस्व निकायों द्वारा पूर्ण गणना की जाती है। राज्यों के राजस्व अधिकारी इस गणना की देख-रेख करते हैं। तहसील के आंकड़े प्राप्त करने के लिये ग्रामों के आंकड़े एकत्रित किये जाते हैं और जिले के आंकड़े प्राप्त करने के लिये तहसीलों के आंकड़ों को जोड़ लिया जाता है और इस प्रकार राज्यों के आंकड़ों का पता लगाया जाता है। केरल, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में इस प्रकार की निकायें नहीं हैं और वहां सेम्पल सर्वे द्वारा ही सस्यगत क्षेत्र का अनुमान लगाया जाता है।

3. जहां तक प्रमुख खाद्य फसलों के आंकड़ों का सम्बन्ध है, उनकी गणना सेम्पल सस्य-कटाई सर्वेक्षण द्वारा की जाती है। सर्वेक्षण कार्य राज्य के राजस्व/भूमि-अभिलेख/कृषि विभाग के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है।

4. खाद्यान्न फसलों के क्षेत्र तथा उत्पादन के आंकड़े मंगवा कर केन्द्रीय सरकार द्वारा उनका समन्वय किया जाता है।

आसाम के लिये नदी मार्ग

2567. श्री प्रिय गुप्त :

क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम तथा शेष भारत के बीच नदी परिवहन की सुचारू व्यवस्था करने के लिये पाकिस्तान के जल-भागों को न छूते हुए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों को मिलाने की योजना चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह योजना कब आरम्भ की जायेगी तथा कब तक इसके पूरी की जाने की संभावना है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) से (ग) तिस्ता नदी पर एक बांध बनाने और इसके साथ ही इसको गंगा नदी से मिलाने वाली दाहिने किनारे की नहर और ब्रह्मपुत्र नदी से मिलाने वाली बायें किनारे की नहर सम्बन्धी एक बहुप्रयोजनीय परियोजना सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के विचाराधीन है। परियोजना को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का समय अभी नहीं आया है। अभी यह बताना संभव नहीं है कि परियोजना कार्य को कब आरम्भ किया जायेगा और यह किस समय तक क्रियान्वित की जायेगी।

दमदम हवाई अड्डे का जलपान गृह

2568. इन्द्रजीत गुप्त :

क्या परिवहन, उडडयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दमदम हवाई अड्डे के जलपान की स्थिति के बारे में 19 सितम्बर, 1966 के "स्टेट्समैन" में छपे एक पत्र की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) क्या दमदम हवाई अड्डे पर जलपान व्यवस्था के बारे में की गई शिकायतों तथा ऐसी ही अन्य सार्वजनिक शिकायतों के बारे में कोई जांच की जायेगी ?

परिवहन, उडडयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री : (श्री संजीव रेड्डी)

(क) जी, हां।

(ख) हवाई अड्डा नियंत्रक, कलकत्ता क्षेत्र, दमदम द्वारा शिकायत पर ध्यान दिया जा रहा है।

Pakistanis in Indian Electoral Rolls

2569. Shri Shinkre : Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade : Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Jan Sangh Secretary, disclosed that the names of about 50,000 Pakistanis have been included in the Indian electoral rolls;

(b) whether it is also a fact that these people are settled in Silchar, Goalpara and Cachar districts; and

(c) if so, the action taken against the persons who are participating in such anti-national activities ?

The Minister of State in the Ministry of Law (Shri C. R. Pattabhi Faman) :

(a) and (b) The Government has no information in this behalf. The Election Commission has no reason to think that any appreciable number of Pakistani nationals have been able to get themselves registered as electors in the border areas of Assam.

(c) Does not arise.

उत्तर प्रदेश में सिंचाई योजनाएं

2570. श्री कृ० चं० पन्त :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में कितनी छोटी तथा मध्यम सिंचाई योजनाएं आरम्भ करने का विचार हैं ; और

(ख) मध्यम तथा छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये कितनी धनराशि नियत करने का विचार है ; और

(ग) उपरोक्त योजनाओं द्वारा कुल कितने एकड़ भूमि में सिंचाई होने की सम्भावना है ;

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) :

(क) से (ग) : चौथी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में शुरू की जाने वाली लघु तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी निम्नलिखित है :–

1. लघु सिंचाई योजनाएं

उत्तर प्रदेश में लघु सिंचाई कार्यक्रम में ये शामिल हैं :– कूओं की मरम्मत तथा निर्माण, पम्प सैटों तथा परशियन व्हीलज का लगाना, गैर सरकारी तथा राजकीय नलकूपों का खोदना और बान्धों, नहरों, कुहलज तथा तालाबों की मरम्मत। उन क्षेत्रों में जहां सतह के पानी का थोड़े से दिशा बदलने पर उपयोग किया जा सकता है वहां नगर या तालाब, तथा कुहलों की मरम्मत तथा निर्माण कार्य चलाया जा रहा है।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय के वर्किंग ग्रुप आन एग्रीकलचर ने चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में विभिन्न लघु सिंचाई योजनाओं के लिए जी० एम० एफ० सैक्टर के अन्तर्गत 142·05 करोड़ रुपये सी० डी० सैक्टर के अन्तर्गत 3 करोड़ रुपये और कोआपरेटिव सैक्टर (लैण्ड मोर्टगेज बैंक्स एण्ड एग्रीकल्चर रिफाइनैन्स कारपोरेशन) के अन्तर्गत 22.40 करोड़ रुपये का खर्च प्रस्तावित किया है। इसके अतिरिक्त पहाड़ी क्षेत्रों में लघु सिंचाई योजनाओं के लिए 3 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की सिफारिश की गई है।

अनुमान है कि प्रस्तावित कार्यक्रम से 52.80 लाख एकड़ भूमि लाभान्वित होगी जिसमें अनुपूरक सिंचाई। मौजूदा सिंचित क्षेत्र का स्थिरीकरण शामिल है।

2. मध्यम सिंचाई योजनाएं

सिंचाई तथा शक्ति मन्त्रालय के वर्किंग ग्रुप आन इरीगेशन ने चौथी पंचवर्षीय योजना

के दौरान उत्तर प्रदेश में नई मध्यम सिंचाई योजनाओं के लिए 21.79 करोड़ रुपये का खर्च प्रस्तावित किया है। इन योजनाओं में प्रसिद्ध हैं :– हरीपुरा (भाकड़ा) रिर्जवायर, कोसी सिंचाई, अल्श डैम, हिन्डन डैम का पुर्ननिर्माण, रिमाडलिंग आफ भीमगोडा हैड वर्क्स, इसके अतिरिक्त ताजेवाला, ओखला तथा किशाऊ योजनाएं। इसके अतिरिक्त 18 चालू योजनाओं के लिए वर्किंग ग्रुप ने 6.01 करोड़ रुपये की राशि की सिफारिश की थी।

इन योजनाओं से सम्बन्धित लाभान्वित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

कुमाऊं (उत्तर प्रदेश) में पर्यटक स्थान

2571. श्री कु० चं० पन्त :

क्या परिवहन, उड्डयन नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कुमाऊं पहाड़ियों (उत्तर प्रदेश) के अनेक रमणीय स्थानों का पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकास किया जा सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस कार्य के लिये किन स्थानों को युक्त चुना है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) जी, हां।

(ख) चौथी योजना के दौरान कुमाऊं क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं का समेकित रूप से विकास करने का विचार है। विकास योजना में शामिल करने के लिये चुने गये स्थानों में से कुछ नैनीताल, भीमताल, रानीखेत, अलमोड़ा, कौसानी तथा पिंडारी ग्लेशियर को पैदल जाने वाले मार्ग पर स्थित स्थान है।

उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती सड़कों का विकास

2572. श्री कु० चं० पन्त :

क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में सड़कों के विकास के लिये कितनी धन राशि नियत की थी ;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में कितनी धन राशि इस कार्य पर व्यय की गई तथा उपरोक्त क्षेत्र में कितने मील सड़कें बनाई गयी ; और

(न) यदि कोई योजनाएं पूरी नहीं की जा सकी हैं तो ऐसी कितनी योजनाएं चौथी पंचवर्षीय योजना में जोड़ दी गई हैं तथा इस कार्य के लिये चौथी पंच-वर्षीय योजना में कितनी धनराशि नियत की गई है ?

परिवहन उडयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) से (ग) अपेक्षित जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त की जा रही हैं और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमान का देरी से पहुंचना

2573. श्री किंदर लाल : श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का फोक्कर फ्रेंडशिप विमान जो बरास्ता अहमदाबाद, बम्बई के लिये 28 अक्तूबर, 1966 को दिल्ली से रवाना हुआ था अहमदाबाद में लगभग 8 घंटे देरी से पहुंचा ; और

(ख) यदि हां, तो देरी होने के क्या कारण थे ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) (क) और (ख) :

जी, हां । इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का फोकर फ्रेण्डशिप विमान वीटी-डीओएेन, जो कि दिल्ली बम्वई उड़ान पर चल रहा था, 28 अक्तूवर, 1966 को जयपुर में मार्ग में की जाने वाली जांच के दौरान स्टारबोर्ड में ईंधन के चूने का पता लगने के कारण वहां पर आठ घण्टे और 39 मिनट विलम्वित हो गया । जयपुर में तकनीकी खराबियों को ठीक करने में लगे समय के कारण विमान अहमदाबाद देर से पहुंचा ।

उड़ीसा में मत्स्य परियोजनाएं

2574. श्री रामचन्द्र मलिक : श्री सुधांशु दास :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार की मत्स्य परियोजनाओं के लिये सहायता देने का कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या योजना बनाई गयी है ;

(ग) यह परियोजना कहां आरम्भ की जायेगी ; और

(घ) उड़ीसा में मशीनों से चलने वाली नावें चलाई जाने में कितना समय लगेगा और उन पर कितनी राशि खर्च आयेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन : (क) मछलीपालन की परियोजनाओं को उड़ीसा की चौथी योजना में शामिल किया गया है और ऐसे कामों के लिये निश्चित किये गये प्रतिमानों के अनुसार ही इन परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता प्राप्त ही सकेगी ।

(ख) अधिक मशीन नौकाओं को काम पर लगाने तथा प्रिक्रिया वा विपणन सुविधाओं को बढ़ाने के लिये समुद्री मछलियों के विकास की योजनायें तैयार की गई हैं । जलागारों व तालाबों के पानी में मछली उत्पादन के कार्य को बढ़ावा दिया गया है ।

(ग) ये योजनायें कई क्षेत्रों में शुरू की जायेंगी । समुद्री मछली के विकास क्षेत्र में चांदीपुर, प्रदीप तथा चांदवली के आस पास के मछली पकड़ने के क्षेत्र शामिल होंगे ।

केन्द्रीय सड़क निधि योजना

2575. श्री रामचन्द्र मलिक : श्री सुधांशु दास :

क्या **परिवहन, उड्डयन नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने 1966–67 के लिये केन्द्रीय सड़क निधि से पूरी की जाने वाली योजनाएं भेज दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सड़क निधि से 1966–67 के लिये अनुदान मांगे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो कुल कितनी राशि मांगी गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी)

(क) से (घ) 1966–67 के दौरान उड़ीसा में आरम्भ की जाने वाली योजनाओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव पास नहीं हुए हैं। तथापि, आरम्भ के वर्षों में केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तपोषण के लिये अनुमोदित उड़ीसा के निर्माण कार्यों पर व्यय के लिये 1966–67 के बजट प्राक्कलनों में 17·00 लाख रु० (15·00 लाख रु० राज्य के आवंटित लेखे से और 2·00 लाख रु० साधारण रक्षित निधि में से) की एक रकम का अनुबन्ध किया गया है।

पर्यटक केन्द्रों के विकास के लिये उड़ीसा सरकार को ऋण

2576. श्री रामचन्द्र मलिक : श्री सुधांशु दास :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार को राज्य में पर्यटक केन्द्रों के विकास के लिये 1964–65 तथा 1965–66 में कोई अनुदान या ऋण दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में कुल कितनी राशि दी गई है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में 1966–67 में उड़ीसा सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है या देने का विचार है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री : (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) जी, हां।

(ख) :

	1964–65	35,948/– रुपये
	1965–66	32,498/– रुपये
	योग	68,446/– रुपये

(ग) रम्भा में एक पर्यटक बंगले (श्रेणी II) के निर्माण और पुरी में मौजूदा पर्यटक बंगले (श्रेणी II) के विस्तार के लिये उड़ीसा सरकार को 1966–67 के वर्ष के दौरान 2,93,322/- रुपये की सहायता देने की व्यवस्था की गई है।

Mile Marks on National Highways.

2577. **Shri P. L. Barupal :**
Shri Chandak :
Shri Sidheswar Prasad :
Shri Naval Prabhakar :
Shri Daljit Singh :
Shri Tula Ram :
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping and Tourism** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that previously mile marks made of stones were erected on the Highways in certain States but now Kilometres marks made from Cement and Concrete are erected in their place; and

(b) if so, the reasons for wasting cement by making Kilometre marks from cement, when there is an acute shortage of cement in the country ?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism : (Shri Sanjiva Reddy):

(a) and (b) : With the switch over to the metric system, distances along National Highways are being indicated in Kilometres. The Kilometre-stones have to conform to the approved type design for highway Kilometre-stones and can be made of any suitable material. Normally they are made of the most economical material available locally. Cement concrete is used where stone is not economical to obtain.

राजभाषा (विधायी) आयोग

2578. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री वारियर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **विधि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभाषा (विधायी) आयोग के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने के बारे में कोई प्रस्थापना है ताकि सभी प्रादेशिक भाषाओं के प्रतिनिधि उसमें शामिल किये जा सकें ;

(ख) क्या यह सच है कि कर्मचारियों की संख्या अपर्याप्त होने के कारण बहुत सी प्रादेशिक राष्ट्रीय भाषाओं में काम में बाधा पड़ती है ; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) :

(क) जी नहीं, क्योंकि विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं का प्रतिनिधित्व तो आयोग में पहिले से ही है।

(ख) जी नहीं ; आयोग इस समय, मुख्यतया, केन्द्रीय अधिनिययों, आदि के हिन्दी रूपान्तर तैयार करने और जहां तक सम्भव हो, सभी प्रादेशिक भाषाओं में प्रयोग के लिये मानक विदि शब्दावली विकसित करने के काम में लगा हुआ है। केन्द्रीय अधिनियमों आदि का, हिन्दी से भिन्न प्रादेशिक भाषाओं में, अनुवाद कार्य भी आयोग द्वारा, जहां तक सम्भव होता है, किया जाता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Development of Effective Insecticide in Czechoslovakia

2579. Shri Bade : Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Czechoslovakia has developed a very effective insecticide, half a tola of which can kill 1 million insects; and

(b) if so, whether Government propose to import it for use in India to offset loss to agriculture caused by insects ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra) : (a) and (b) : A newspaper report has come to the notice of Government. The material is stated to be still under investigation in a Laboratory in Czechoslovakia and does not seem to have been commercially exploited. Published literature and a small sample for trial have been called for.

लेखा पालन व्यवसाय

2580. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **विधि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार भारत में लेखापालन व्यवसाय के क्षेत्र और ढांचे के बारे में विचार करने के उद्देश्य से भारतीय अधिकृत लेखापाल संख्या (इन्स्टीट्यूट आफ चारटर्ड अकाउन्टेन्टस आफ इण्डिया) और भारतीय लागत तथा कार्य लेखापाल संस्था (इन्स्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्कस आफ इण्डिया) की परिषदों की एक संयुक्त समिति बनाने का है ;

(ख) यदि हां तो कब ; और

(ग) इस समिति के सदस्य कौन-कौन होंगे ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभीरामन) :

(क) और (ख) इस वर्ष अगस्त में, सरकार ने भारतीय अधिकृत लेखापालन संस्था (इन्स्टीट्यूट आफ चारटर्ड अकाउन्टेन्टस आफ इण्डिया) और भारतीय लागत तथा कार्य-लेखापाल संस्था (इन्स्टीट्यूट आफ कास्टस एण्ड एण्ड वर्कस आफ इण्डिया) के अध्यक्षों को एक सुझाव दिया था कि यदि वे चाहें तो भारत में लेखापन व्यवसाय का कार्य-क्षेत्र और ढांचा, इसके शिक्षण तथा प्रशिक्षण का स्तर, आधार, प्रकृति योग्यताओं के पदनाम जिसे प्रदान करना चाहिये, वर्तमान रूप में इन दोनों संस्थाओं के कार्य करते रहने की आवश्यकता या अन्यथा, और अन्य सम्बन्धित बातों के लिये दोनों संस्थाओं की एक संयुक्त समिति बनाए। यह सुझाव इन्होंने मान लिया था और दोनों संस्थाओं में से प्रत्येक संस्था के 12 सदस्यों पर सम्मिलित एक संयुक्त समिति की स्थापना की गई थी। इस समिति की पहली बैठक नई दिल्ली में 30 अक्तूबर, 1966 को हुई थी जबकि यह मालूम हुआ था कि वे सिद्धान्त रूप से इस बात पर सहमत हो गए कि लेखापालन व्यवसाय अपने आप से एक और समग्र रूप में अविभाजित है और इस आधार पर उन्होंने इस दिशा में विस्तृत रूप रेखा और शिफारिशें तैयार करने का निर्णय किया।

(ग) संयुक्त समिति के सदस्यों के नाम निम्नलिखित हैं :

भारतीय अधिकृत लेखापाल संस्था के प्रतिनिधि

1. श्री जे. पी. कर्णाडिया
2. श्री जी. वासू
3. श्री एस. वैंग
4. श्री सी. सी. चौकसी
5. श्री सी. पी. मुकर्जी
6. श्री एस. एन. देसाई
7. श्री पी. ब्रह्मया
8. श्री एम. पी. चीतले
9. डा. ग्रार. सी. कपूर
10. श्री रामेश्वर ठाकुर
11. श्री वी. वी. हरिभक्ति
12. श्री एम. के. मथुला

भारतीय लागत तथा कार्य लेखापाल संस्था के प्रतिनिधि

1. श्री जे. एन. बोस
2. श्री डी. डी. कालरा
3. श्री वी. के. श्रीनिवासन
4. श्री ग्रार. एस. सदासिवा ग्रायर
5. श्री जी. के. ग्रभ्यांकर
6. श्री एस. वी. ग्रायर
7. श्री एस. लक्ष्मीनारायनन्
8. श्री ग्रार नाना भाई
9. श्री वी. सी. रंगादुराय
10. श्री बी. के शोमे
11. श्री एल. स्वामीनाथन
12. श्री एन के बोस

इंडिया बैल्टिंग एण्ड कोल्ड स्टोरेज (प्राइवेट) लिमिटेड, सेरामपुर

2581. श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **विधि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडिया बैल्टिंग एण्ड कोल्ड स्टोरेज (प्राइवेट) लिमिटेड, सेरामपुर (पश्चिम बंगाल) के विरुद्ध समवाय विधि बोर्ड के पास शिकायतें की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो समवाय विधि बोर्ड ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त समवाय ने ग्रपनी स्थापना से लेकर ग्रब तक निदेशक मंडल की कोई बैठक तथा कोई वार्षिक सामान्य बैठक नहीं बुलाई है ग्रौर कोई विवरण तथा लेखा-जोखा प्रस्तुत नहीं किया है; ग्रौर

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरायन) :

(क) जी, हां।

(ख) से (घ) वार्षिक सामान्य बैठक न करने ग्रौर कम्पनी के वार्षिक लेखे, संतुलन पत्र ग्रौर लाभ हानि लेखे को समवाय पंजीयक, पश्चिम बंगाल को न देने के सम्बन्ध में कम्पनी ग्रौर दूसरे निदेशकों को पहले से ही सूचनाएं जारी कर दी गई हैं। इन ग्रपराधों के सम्बन्ध में शिकायतें शीघ्र ही न्यायालय में दायर की जायेंगी।

निर्यात के लिये चीनी का समाहार

2582. श्री विभूति मिश्र :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964 तथा 1965 में बम्बई पत्तन से निर्यात करने के लिये उस पत्तन पर विभिन्न फैक्टरियों द्वारा सप्लाई की गई चीनी का रेल तक निष्प्रभार मूल्य क्या था;

(ख) आगामी वर्ष में निर्यात के लिये महाराष्ट्र की फैक्टरियों से कितनी चीनी प्राप्त करने का विचार है; और

(ग) निर्यात के लिये अधिक से अधिक लाभप्रद दर पर चीनी प्राप्त करने के बारे में सरकार की नीति क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) :

(क) 1964 और 1965 में बम्बई पत्तन द्वारा निर्यात की गई कच्ची चीनी का जहाज तक निष्प्रभार मूल्य जिसमें केन्द्रीय उत्पादन शुल्क शामिल नहीं है, निम्न था :

1964 : गन्ना क्रय कर रहित 85/- रुपये प्रति क्विटल।

1965 : गन्ना क्रय कर सहित 92/- रुपये प्रति क्विटल।

(ख) 1967 के दौरान निर्यात के लिये कच्ची चीनी के समाहार पर अभी निर्णय किया जाना है।

(ग) कारखानों से इस बात के टेंडर मांगे गये हैं कि वे यह बतायें कि कच्ची चीनी के बनाने में वे कितनी बचत कर सकते हैं और वे कितनी मात्रा में सप्लाई कर सकते हैं ? उन कारखानों को चुन लिया जाता है जिनका जहाज तक निष्प्रभार मूल्य सबसे कम होता है।

कृषि उपज बढ़ाने वाले सब साधनों का प्रयोग

2583. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : श्री किन्दर लाल : श्री फिरोडिया :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् ने यह सुझाव दिया है कि अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा कर सकने वाले ज़िलों में कृषि उपज बढ़ाने वाले सब साधनों का प्रयोग किया जाये, ताकि पुनः वितरण के लिए बड़ी मात्रा में फालतू अनाज उपलब्ध हो सके; और

(ख) यदि हां, तो परिषद् के इस तथा अन्य सुझावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) :

(क) जी हां।

(ख) सुझावों को नोट कर लिया गया है।

दिल्ली दुग्ध योजना

2584. श्री बाल्मीकी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना आरम्भ होने से लेकर अब तक की अवधि में कुल कितने डिपो मैनेजर नौकरी से हटाये गये अथवा उन्होंने स्वयं अपने त्यागपत्र दिये ;

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा उन डिपों मैनेजरों से कितनी राशि जमानत के रूप में वसूल की गई थी और उन्हें अब तक कितनी राशि लौटा दी गई है;

(ग) कितने डिपो मैनेजरों की जमानत की राशि अब तक वापिस नहीं की गई है तथा कितने डिपो मैनेजरों को छै महीने से अधिक समय तक वह राशि नहीं लौटाई गई और इसके क्या कारण हैं;

(घ) इन डिपों मेनेजरों को जमानत की राशि वापिस न दिये जाने का सबसे पुराना मामला किस तिथि का है; और

(ङ) नौकरी लगवाये जाने अथवा त्यागपत्र दिये जाने की तारीख से दो मास की अवधि तक जमानत की राशि वापिस न किये जाने के कारण 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से दिल्ली दुग्ध योजना को कितनी आय हुई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे) :

(क) 25 नवम्बर 1966 तक 1196.

(ख) प्रत्येक डिपो प्रबन्धक के 200 रुपए की जमानत ली जाती है जिसे 10 रुपए प्रति मास की दर से किस्तों के रूप में लिया जाता है। डिपो प्रबन्धकों को दिल्ली दुग्ध योजना के अध्यक्ष के नाम पर डाक घर में एक सेविंग बैंक खाता खोलना पड़ता है। पहली किश्त नकद जमा कराई जाती है। तत्पश्चात वेतन से किस्तों की कटौती करके उसे डाक खाने में जमा करा दिया जाता है। यह क्रम उस समय तक चलता रहता है जब तक की राशि 200 रुपए न हो जाए। यदि कोई डिपो प्रबन्धक 20 मास की सेवा पूरी होने से पहले सेवा निवृत किया जाता है या वह स्वयं सेवा निवृत हो जाता है तो यह जमानत राशि उसी अनुपात से कम हो जाती है और हिसाब किताब पूरा करके यह राशि वापिस कर दी जाती है। हिसाब लगाया जा रहा है कि भूतपूर्व डिपो प्रबन्धकों ने जमानत के रूप में कितना रुपए जमा कराया है। जानकारी पूरी होते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

227 भूतपूर्व डिपो प्रबन्धकों की जमानते वापिस कर दी गई हैं। हिसाब किताब लगाया जा रहा है कि वास्तव में कितनी जमानत-राशि वापिस की गई है। जानकारी पूर्ण होने पर इसे भी सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(ग) अभी तक 969 भूतपूर्व डिपो प्रबन्धकों की जमानत वापिस नहीं की गई है। 889 व्यक्तियों के मामले 6 मास ने अधिक पुराने हो चुके हैं।

ज़मानत की वापसी में देरी होने का कारण यह है कि डिपोओं से रिकार्ड इकट्ठा करने व जमानत के विषय में कार्यवाही करने में कई प्रकार की अड़चनें अनुभव होती हैं और मेहनत भी बड़ी करनी होती है। हिसाब किताब निपटाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं और ऐसा होते ही संबंधित व्यक्तियों की जमानत वापिस कर दी जायेगी।

(घ) 30 अप्रैल, 1960.

(ङ) दिल्ली दुग्ध योजना को कोई ब्याज नहीं मिला है। यदि कोई ब्याज प्राप्त हो तो जमानत वापिस करते समय यह रकम संबंधित व्यक्ति को वापिस कर दी जाती है।

कृषि भूमि का अर्जन

2585. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि से भिन्न कार्यों के लिए अच्छी कृषि भूमि के **अर्जन** पर कोई प्रतिबन्ध लगाए गए है;

(ख) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के मिदनापुर ज़िले में दिघा पर्यटक केन्द्र में एक कृत्रिम झील बनाई जा रही है और इस कार्य के लिए सैंकड़ों बीघे उर्वरक कृषि-भूमि अर्जित की जा रही है;

(ग) क्या यह काम भारत सरकार की जानकारी अथवा सहायता से किया जा रहा है; और

(घ) क्या यह योजना का एक अंग है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) (क) से (घ) राज्य सरकारों को प्रशासी निदेश दिये गये हैं कि वे जहां तक संभव हो गैर-कृषि प्रयोजनों के लिये अच्छी कृषि भूमि को अर्पित न करें।

2. यह सच नहीं है कि पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में दिघा पर्यटक केन्द्र में एक कृत्रिम झील बनाई जा रही है। तथापि, दिशा का एक समुद्रवर्ती स्वस्थ्यवर्घक केन्द्र के रूप में बिकास करने के लिये 700 एकड़ भूमि अर्जित की जा रही है। क्षेत्र में प्राकृतिक तौर पर नीचे तल वाली भूमि के आस पास के क्षेत्र का विकास करने के लिये नीचेतल वाली भूमि की खुदाई की जा रही है। 300 एकड़ भूमि में विकास कार्य पहले ही आरम्भ कर दिया गया है; इसमें से 60 एकड़ कृषि भूमि है, परन्तु वह किसी भी तरीके से अच्छी कृषि भूमि नहीं है। सूचना मिली है कि इस भूमि के अर्जन का खाद्य उत्पादन पर बहुत मामूली प्रभाव पड़ेगा। मालिकों को भुगतान किये जाने के पश्चात सभी भूमि को भूमि अर्जन अधिनियम. 1994 के अन्तर्गत कब्जे में ले लिया गया है। एक समुद्रवर्ती स्वास्थ्यवर्धक केन्द्र के रूप में दिशा का विकास राज्य योजना में शामिल किया गया है।

Oberoi Intercontinental Hotel

2586. Shri Kishen Pattnayak:

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping and Tourism** be pleased to state :

(a) the amount of loan granted by Government for the construction of Oberoi Intercontinental Hotel, New Delhi and the terms of the loan; and

(b) the number of instalments of the loan paid back so far ?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy) :

(a) Government has not granted any loan for the construction of Oberoi Intercontinental Hotel.

(b) Does not arise.

तूफान के कारण फसलों को हानि

2587. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस माह के दूसरे सप्ताह के आरम्भ में तूफान के कारण मद्रास के तटवर्ती क्षेत्र में फसलों को नुकसान पहुंचा है; और

(ख) यदि हां, तो कितने मूल्य की फसलें नष्ट हुई हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)

(क) से (ख) : नवम्बर, 1966 में दो समुद्री तूफानों के परिणाम स्वरूप अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार मद्रास के दक्षिण आरकोट, उत्तर और चिंगलपट जिलों में फसलों, बागों आदि की अनुमानित क्षति के सम्बन्ध में स्थिति निम्न है:—

धान : 6000 एकड़ भूमि में पानी खड़ा हो जाने के कारण धान की खड़ी हुई फसल बिल्कुल नष्ट हो गई समझी जा सकती है और उसे फिर से बोना होगा। इस 6000 एकड़ भूमि पर नई फसल लगाने के लिये बीज और उर्वरक की लागत लगभग 3·60 लाख रु० होगी। जहां तक इस 6000 एकड़ भूमि का सम्बन्ध है अनुमान है कि 24 लाख रुपये की उपज की हानि हुई है। अनुमान है कि लगभग 2800 एकड़ भूमि में भिन्न-भिन्न मात्रा में रेत जमा हो गई है। लगभग 2,000 एकड़ में कम रेत जमा हुई है, अर्थात्, 3″ से 6″ और लगभग 800 एकड़ भूमि में अधिक रेत जमा है अर्थात्, 6″ से 18″ तक। इस रेत को हटाने की कुल लागत 8·00 लाख रुपये होगी। लगभग 36,500 एकड़ भूमि में उपज पर काफी असर पड़ा है जहां कि उपज पर लगभग 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक की हानि होने की सम्भावना है। अनुमान है कि पैदावार को लगभग 29,20,000 रुपये का नुकसान होगा। इस भूमि में सामान्य के लगभग उपज प्राप्त करने के लिये उर्वरक पर 9, 12,500 रुपये का अतिरिक्त व्यय करना होगा।

नारियल के वृक्ष : लगभग 1·50 लाख नारियल के वृक्ष उखड़ गये हैं या उनको गहरी क्षति पहुंची है। यह अनुमान लगाया गया है कि इससे किसानों की वार्षिक आय में लगभग 37·5 लाख रुपये की कमी होगी। नये पौधों तथा उनको लगाने की लागत ही 3·00 लाख रुपये होगी।

पान की बेलें : लगभग 500 एकड़ में पान की बेलों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। इन क्षेत्रों में पुनः पान की बेलें लगाने के लिये कम से कम 2·50 लाख रुपये के ऋण की आवश्यकता होगी। इससे वार्षिक आय में लगभग 10,00,000 रुपये की कमी होगी।

केले : लगभग 700 एकड़ भूमि में केले की फसल पर बुरा असर पड़ा है। अनुमान है कि

इससे वार्षिक आय में लगभग 7 लाख रुपये की कमी होगी। इन क्षेत्रों में केले की नई फसल लगाने का खर्च 3·50 लाख रुपये होगा।

फल वाले बाग : मुख्य रूप से आम के लगभग 600 एकड़ भूमि के बागों पर काफी बुरा असर पड़ा है। आम की नई पौध लगाने की लागत लगभग 1·80 लाख रुपये होगी। इससे वार्षिक आय में 9 लाख रुपये की कमी होगी।

फराश के बाग : सूचना मिली है कि 350 एकड़ भूमि में फराश के वृक्षों को गहरी क्षति पहुंची है। इससे आय में लगभग 1·75 लाख रुपये की हानि होगी।

मद्रास के लिये केन्द्रीय सड़क निधि में से राशि का नियतन

2588. श्री मुथिया :

क्या **परिवहन, उड्डन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य के लिये केन्द्रीय सड़क निधि के लिये नियतन के अन्त तक चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में सड़कों के लिये मद्रास राज्य के लिये कुल कितनी धन-राशि नियत की गई है ;

(ख) क्या मद्रास के मुख्य मंत्री ने हाल में तिरुनेलवेली जंक्शन के ऊपर पुल पर सड़क बनाने की मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजनावधि में राज्य के आवंटन लेखे में 139 लाख रु. के रखे जाने की संभावना है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बाहानी में कृषि कालेज

2589. श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार से मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर जिले के बौहानी नामक स्थान में, वहां पर पहले से ही उपलब्ध भूमि, इमारत तथा हौसटल का उपयोग करके, एक कृषि कालेज खोलने के लिये अभ्यावेदन किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) जनता द्वारा किये गये अनुरोध के अनुसार कालिज कब खोला जायेगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) :

(क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता

खाद्य नति के सम्बन्ध में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन

2590. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री पन्ना लाल :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य नीति अन्तिम रूप से निर्धारित करने के लिये 16 नवम्बर, 1966 को मुख्य मंत्रियों की एक बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस बैठक का क्या परिणाम रहा तथा निर्धारित की गई नीति का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) :

(क) खाद्यान्न नीति सम्बन्धी समिति, 1966 की सिफारिशों पर विचार करने के लिये 16 नवम्बर, 1966 को मुख्य मंत्रियों की एक बैठक हुई थी।

(ख) मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में जो निर्णय किये गये थे उनके सम्बन्ध में 22 नवम्बर, 1966 को लोक सभा के पटल पर रखे गये विवरण की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें वे निर्णय दिये गये हैं।

लोकप्रिय चिट फण्ड प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली

2591. श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोकप्रिय चिट फण्ड (प्राइवेट) लिमिटेड, फैजरोड, दिल्ली परिसमाप्त हो गई है और समवाय विधि के अन्तर्गत एक परिसमापक नियुक्त किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो परिसमापक नियुक्त किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या कम्पनियों के रजिस्ट्रार ने धन लेनदारों (चट-धारियों) के धन का संरक्षण करने के लिये कोई कार्यवाही आरंभ की है ;

(घ) क्या कम्पनियों के रजिस्ट्रार अथवा सरकारी परिसमापक ने इस कम्पनी की आस्तियों को तथा बैंक में जमा राशि को अपने कब्जे में कर लिया है ; और यदि हां, तो कब्जे में ली गई आस्तियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या सरकार को कम्पनी के कुप्रबन्ध तथा निर्धारित तिथि को देय धन न दिये जाने के बारे में चिट-धारियों द्वारा की गई शिकायतों का पता है और यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

विधि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चे० रा० पट्टाभीरामन) :

(क) जी हां, महोदय । कम्पनी सदस्यों द्वारा स्वेच्छा परिसमापन में चली गयी है और श्री आर० एस० ओवेराय को अपना परिसमापक नियुक्त किया है । फिर भी, समापन की कार्यवाही और परिसमापक की नियुक्ति समवाय अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अनुसार नहीं है ।

(ख) परिसमापन और परिसमापक की नियुक्ति के कारण मालूम नहीं हैं ।

(ग) जी हां । समवाय पंजीयक ने कम्पनी के वित्तीय मामलों के कुछ पक्षों के बारे में स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिये कार्यवाही की है ।

(घ) समवाय अधिनियम में समवाय पंजीयक द्वारा परिसमापन अधीन कम्पनियों की आस्तियों को तथा बैंक में जमा राशि को अपने कब्जे में लेने की व्यवस्था नहीं है । चूंकी कम्पनी स्वेच्छा परिसमापन में है, इसलिये शासकीय पंजीयक परिसमापक द्वारा भी एसी आस्तियों को कब्जे में लिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) जी हां । क्योंकि शिकायत किये गये मामले प्रथम दृष्टि में दीवानी अर्थविवाद सम्बन्धी देयधन के प्रतीत होते हैं, इसलिये शिकायतकर्ताओं को सलाह दी गयी थी कि ये समवाय अधिनियम की धारा 433/434 के अधीन कम्पनी को न्यायालय द्वारा परिसमापन के लिये कार्यवाही या ऐसी कोई अन्य अपेक्षित कानूनी कार्यवाही करें ।

Sugar Mills in Rajasthan on Co-operative Basis

2592. Shri P. L. Barupal :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state ;

(a) whether the scheme formulated by the Rajasthan Government in regard to setting up two Sugar mills on cooperative basis in Sriganganagar, the agriculturally predominant district of Rajasthan State has been postponed;

(b) whether it is a fact that the member-share holders have even deposited their share money with the State Government for an establishment of these sugar mills and if so, the total amount deposited by them; and

(c) if it has been decided not to set up the sugar mills in Sriganganagar, the reasons for not returning the share money deposited by shareholders with Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra) : (a) One application for licence to establish a cooperative sugar factory in Sriganganagar district of Rajasthan State was received from the Krishak Sahakari Sugar Factory Ltd. Gajsingpur duly recommended by the State Government. After on-the-spot examination by the experts of the Central Government, the application was rejected mainly due to inadequacy of cane availability.

(b) Rs. 3.2 lakhs was collected from members. The amount was deposited in the account of the cooperative and not with the State Government.

 (c) Information is being collected from the State Government.

मद्रास में जयन्ती शिपिंग कम्पनी के संस्थान

2593. श्री नम्बियार : श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **परिवहन, उड्डयन नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री** यह बताने का कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा जयन्ती शिपिंग कम्पनी का प्रबन्ध अपने हाथ में लिये जाने के पश्चात मद्रास में स्थित जयन्ती शिपिंग कम्पनी के संस्थान बन्द किये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) कितने कर्मचारियों की छटनी की जा रही है; और

(घ) उन्हें अन्य रोजगार दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) से (घ) बचत के लिये एक उपाय के रूप में मद्रास में स्थित जयन्ती शिपिंग कम्पनी की स्थापना के सभी कर्मचारियों की छंटनी कर दी गयी है । 20 कर्मचारियों पर उसका असर पड़ा है । इन व्यक्तियों को और कोई रोजगार देना संभव नहीं हो सका है ।

भारतीय खाद्य निगम

2594. श्री प्रिय गुप्ता :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के चार क्षेत्रीय खाद्य निदेशालय और समाहार एकक (प्रोक्योरमैंट यूनिट) 1966-67 में भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपने अधिकार में लिये जा रहे हैं;

(ख) क्या प्रारूप भारतीय खाद्य निगम संशोधन विधेयक, जिसमें वर्तमान खाद्य विभाग के कर्मचारियों के तबादला की शर्ते दी गई हैं, कर्मचारियों/संगठनों को उनके विचार जानने के लिये भेजा गया था; और

(ग) यदि हां, तो किस अधिकार के अन्तर्गत स्थायी कर्मचारियों को संविधान के अनुच्छेद 311 के अन्तर्गत प्राप्त रक्षोपाय और उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का, इस प्रस्तावित प्रारूप भारतीय खाद्य निगम संशोधन विधेयक द्वारा उल्लंघन तथा अवहेलना की जा रही है, जो इस सभा में 11 अप्रैल, 1966 को खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा दी गई गारन्टी के भी विरुद्ध है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) :

(क) केवल दक्षिण प्रदेश उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और पंजाब के डिपुओं और आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और पंजाब के समाहार एककों को ही अब तक भारत के खाद्य निगम को हस्तांतरित किया गया है । पश्चिमी और पूर्वी प्रदेशों के डिपुओं को हस्तांतरित करने के लिये अभी तक कोई निश्चित तिथि नहीं रखी गई है । परन्तु अगले वित्तीय वर्ष में इनको हस्तांतरित किये जाने की संभावना है ।

(ख) जी हां।

(ग) यह धारणा गलत है कि संविधान के अनुच्छेद 311 या सभा में राज्य खाद्य मंत्री द्वारा 11 अप्रैल को दिये गये आश्वासन का उल्लंघन करने का प्रस्ताव है।

स्वदेशी काटन मिल, कानपुर

2595. श्री स० मो० बनर्जी :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1964 में जयपुरियासमूह की स्वदेशी काटन मिल, कानपुर तथा उनके अन्य समवायों के मामलों की जांच करने का आदेश दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या जांच पूरी हो गई है ; और

(ग) यदि नहीं तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) :

(क) सितम्बर, 1964 में समवाय अधिनियम की धारा 236 (ख) के अन्तर्गत स्वदेशी काटन मिल्स लिमिटेड और जयपुरिया ब्रादर्स लिमिटेड के मामलों की जांच का आदेश दिया गया था।

(ख) और (ग) बही खातों की जांच पड़ताल और मौखिक साक्ष्य का काम पूरा हो गया है और प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।

चीनी के कारखाने

2596. श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष तथा इस वर्ष सूखा पड़ने के कारण चीनी के कितने कारखाने बन्द करने पड़े ;

(ख) उनके नाम क्या हैं तथा उनके बन्द होने से उन्हें कितनी हानि उठानी पड़ी;

(ग) वे कब पुनः चालू किये जायेंगे ;

(घ) मजदूरों को जबरी छुट्टी की मजदूरी देने के लिए क्या व्यवस्था की गई है; और

(ङ) लाईसेंस जारी किये जाने के लिये राज्य सरकारों द्वारा सिफारिश किये गये कितने आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े हुए हैं, और वे किन स्थानों के बारे में हैं और उनका निपटारा कब किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे) :

(क) और (ख) 1965–66 में सूखे की स्थिति के कारण कोई चीनी मिल बन्द नहीं की गई। 1966–67 में निम्न दो चीनी मिलों ने कहा है कि सूखे की हालत के कारण गन्ने की कमी की वजह से वे काम नहीं करेंगी:–

1. मैसूर शूगर कम्पनी लिमिटेड, मण्डिया (मैसूर राज्य)।

2. सेठ गोविन्दराम शूगर मिल्स, मेहदीपुर रोड (मध्य प्रदेश) यह ज्ञात नहीं है कि इन चीनी मिलों को कितनी हानि होगी।

(ग) आशा है कि ये मिलें अगली फसल अर्थात् 1967–68 में काम करेंगी।

(घ) सम्बन्धित राज्य सरकारें इन प्रबन्धों की जांच कर रही हैं।

(ङ) नई चीनी मिलों की स्थापना के लिये औद्योगिक लाइसेंसों की मंजूरी के लिये राज्य सरकारों द्वारा सिफारिश किये गये 48 आवेदनपत्र लम्बित पड़े हैं। इन आवेदन पत्रों पर तब विचार किया जायेगा जबकि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य के अन्तर्गत और नई मिलों को लाइसेंस देने के लिये निर्णय किया जायेगा इन आवेदन पत्रों की राज्य की स्थिति तथा मिलों के प्रस्तावित स्थान बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-7440/66]

मैसूर में कृषि उत्पादन कार्य-क्रम

2597. श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में मैसूर राज्य के कृषि उत्पादन कार्यक्रम में अधिक उपज वाली किस्मों की फसलों को उगाने का कार्य शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो दिये गये बीजों, आरम्भ की गई नई किस्मों, खेती वाली भूमि का क्षेत्रफल, दी गई केन्द्रीय सहायता और प्राप्त हुए परिणामों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में उस राज्य में अधिक उपज वाली फसलें उगाने का प्रस्तावित कार्यक्रम क्या है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र):

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मैसूर राज्य सहित सभी राज्यों में 1966–67 के खरीफ मौसम से अधिक उत्पादक किस्म कार्यक्रम शुरू किया गया था।

स्टेट प्लानज सम्बन्धी विचार विमर्श के दौरान मैसूर सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये 15·825 लाख एकड़ के लक्ष्य को स्वीकार कर लिया है। गत खरीफ फसल के दौरान राज्य में अधिक उत्पादक किस्म कार्यक्रम के अन्तर्गत जिस भूमि में खेती की गई वह 92,750 एकड़ थी जबकि लक्ष्य 1,65,000 एकड़ का था। 1966–67 रबी/ग्रीष्म का लक्ष्य 1,37,000 एकड़ निर्धारित किया गया है।

मैसूर में राष्ट्रीय राजपथ तथा पुल

2598 **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में मैसूर राज्य में राष्ट्रीय राजपथों और पुलों के लिये कितनी राशि नियत की गई थी ;

(ख) नियत राशि से यदि व्यय कम हुआ है, तो उसके क्या कारण हैं ?

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्य राज्यों के लिये कितनी राशि नियत की गई थी ; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में मैसूर राज्य में राष्ट्रीय राजपथों का क्या कार्य-क्रम है और कितनी राशि खर्च करने की व्यवस्था की गई है ?

परिवहन,उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) और (ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजपथों (मूल), सड़कों और पुलों के निर्माण कार्य के लिये मैसूर राज्य को 103·66 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई थी। इस रकम में से 88·52 लाख रुपये वास्तविक रूप से खर्च किये गये। खर्च में कमी के मुख्य कारण थे (एक) भूमि अर्जन सम्बन्धी कार्यवाही में विलम्ब, (दो) कार्यों के निष्पादन के लिये अभिकरणों का देर से निश्चित किया जाना और (तीन) योजनावधि की समाप्ति के निकट बचत उपायों का किया जाना ।

(ग) मैसूर के अतिरिक्त अन्य राज्यों को राष्ट्रीय राजपथों (मूल) सम्बन्धी कार्यों के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजनावधि में अन्तिम रूप से किये गये आवंटनों को बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 7441/66]

(घ) राष्ट्रीय राजपथों के विकास के लिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

मैसूर राज्य की सहायता

2509. श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से मैसूर राज्य में अयस्क की ढुलाई के काम आने वाली सड़कों के निर्माण के लिये चिरकाल से वित्तीय सहायता मांग रही है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि मांगी गई है और कितना धन देनें का वचन दिया गया है ;

(ग) क्या दिये गये आश्वासन के अनुसार धन दे दिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) जी हां।

(ख) 986·05 लाख रुपये की मांग की गई है और 348·75 लाख रुपये देने का वचन दिया गया है ।

(ग) और (घ) मंजूर किये गये अनुदान की राशि के अन्दर ही अनुमोदित कार्यों पर किये गये वास्तविक व्यय के आधार पर प्रति वर्ष भुगतान किया जा रहा है। 1965–66 के अन्त तक अयस्क ले जाने वाली सड़कों के लिये भारत सरकार द्वारा 144·51 लाख रुपये की राशि देय थी और यह राशि दे दी गई है।

मैसूर में बन्दरगाहें

2600. श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में बन्दरगाहों के विकास कार्य के अन्तर्गत कितना कार्य किया गया है और कितनी राशि खर्च की गई है ?

(ख) उस राज्य में कितने मील लम्बे तट में बन्दरगाह की सुविधाएं उपलब्ध हैं और बन्दरगाहों के नाम क्या हैं ;

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में उनका कितना विकास किया गया था ;

(घ) मंगलौर और कारवार बन्दरगाहों के कार्य की प्रगति धीमी होने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) इन बन्दरगाहों का कार्य कब पूरा हो जायेगा ?

परिवहन उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) मैसूर राज्य में छोटी बन्दरगाहों के विकास के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना के केन्द्रीय क्षेत्र में 59·12 लाख रुपये की राशि रखी गई थी। तथापि राज्य सरकार ने तृतीय योजना-के केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर 62·88 लाख रुपये व्यय किये। निष्पादित कार्य का ब्यौरा इस प्रकार है :—

पत्तन का नाम	निष्पादित कार्य
मंगलौर (वर्तमान पत्तन में सुधार)	कर्मशाला सुविधाओं का विस्तार सभी ऋतुओं में काम करने वाले पत्तन के लिये जांच।
	पुलिन संरक्षण तथा फराश द्वारा हवा रोक।
	दक्षिण रेतीले स्थान पर बागवानी।
	100 हार्स पावर के लांच का अर्जन।
	चलती फिरती क्रेन का अर्जन।
मारवाड़	पाल को उतारने और लाढ़ने के लिये एक घाट।
	माल को जमा करने के लिये एक परिवहन शेड।
	'टग'. 'पायलट लांच' और जल बजरा की व्यवस्था।
होनावर	लाह अयस्क लादने के लिये 4 आर. सी. सी. जेटियां।
सामान्य	एक तलकर्षण एकक, जिसमें एक दो टन का कांटा भाम एक टग,

दो 100 टन वाले साधारण हॉपर नलों और एक भूमि सुधार बजरा शामिल है, अर्जित किया गया है ।

कूंडापुर होनावर, नादरी और बेलीकेरी पत्तनों का जल सर्वेक्षण किया गया था ।

(ख) कुल लम्बाई 155 नौ मील (287 किलोमीटर) है । पत्तनों के नाम ये हैं:—

1. मजाली	2. मारवाड़ जिसमें सदाशिव गढ़ भी शामिल है ।
3. बिंगे	4. चेन्दिया
5. बेली केरी	6. अंकोला
7. गंगावली	8. तादरी
9. कुमता	10. होनावर
11. मानकी	12. मर्देश्वर
13. शिराली	14. भटकल
15. बिन्दूर	16. कून्डापुर
17. हुंगर कट्टा	18. मालेप
19. मंगलौर	

(ग) जानकारी भाग (क) के उत्तर में दे दी गयी है ।

(घ) और (ड़) मारवाड़ पतन के पहले चरण का विकास राज्य सरकार द्वारा तृतीय योजना के दौरान कार्यक्रम के अनुसार आरम्भ किया था । मारवाड़ के दूसरे चरण के विकास के लिये राज्य सरकार ने एक परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया है । । मारवाड़ को सभी ऋतुओं में काम करने वाला पत्तन बनाने पर अनुमानतः 2 करोड़ रु. लागत आयेगी । राज्य सरकार ने सुझाव दिया है कि मारवाड़ के विकास के लिये, जिसमें मशीनों द्वारा अयस्क ढ़ोने की व्यवस्था भी शामिल है । चतुर्थ योजना के केन्द्रीय और क्षेत्र में उपबन्ध किया जाना चाहिये मझौली और चोटी बन्दरगाहों के लिये चतुर्थ योजना सम्बन्धी प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

मंगलौर (वर्तमान पतन) के सम्बन्ध में छोटे पतनों सम्बन्धी अन्य प्राथमिक प्राप्त योजनाओं को शामिल करने के लिये राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र में शामिल की गई कुछ योजनाओं को छोड़ दिया गया था ।

मंगलौर में पानाम्बुर एक नये बड़े पत्तन का भी विकास किया जा रहा है और आशा है यह 1971 तक पूरा हो जायेगा ।

आयातित गेहूं तथा मिलों के विक्रय मूल्य

2601 दी० चं० शर्मा :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयातित गेहूं तथा मिलों के विक्रय मूल्य में वृत्ति करने का निर्णय किया गया है ;

(ख) क्या चावल के विक्रय मूल्य में भी वृद्धि करने का विचार है ; और

(ग) मूल्यों में कितनी वृद्धि की गई है तथा उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी, हां। केन्द्रीय भण्डार से दिये जाने वाले आयातित गेहूं और मिलों के निर्गम मूल्यों में 15. 11. 66 से वृद्धि की गई है।

(ख) चावल के निर्गम मूल्य में पुनरीकरण करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(ग) गेहूं और माइलों के निर्गम मूल्यों में क्रमशः 5.00 रु. और 7.00 रु. प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। आयातित अनाज के दामों में बड़े अन्तर को कम करने के लिये और केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जा रही राज सहायता को भी कम करने के लिये मूल्यों में वृद्धि करनी पड़ी है।

Smuggling of Rice on Indo-Tibet Border

2602. (Shri Shinkre : (Shri Y. D. Singh :
(Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Food. Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some traders on Indo-Tibet boorder are smuggling rice to Tibet;

(b) whether Government are aware that certain Goverment officers are also involved in it; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon) :

(a) No, Sir.

(b) : and, (c) : Do not arise.

Tubewells in Drought Affected Areas

2603. Shri Shinkre : Shri Y. D. Singh :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that the Central Government and Uttar Pradesh Government have made arrangements to instal tube-wells in the drought-affected areas;

(b) if so, the number of tube-wells installed from the 1st October, 1966 till now and also the number of tubewells to which electricity has been supplied; and

(c) the amount invested in them by the Central and State Governments so far separately ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra).

(a) The U. P. Government has planned to construct 90 additional deep tube-wells, 8000 additional shallow tubewells and 30,000 additional bore-cum-dug wells to meet the drought situation in the State. For deep tubewells it has been arranged to send 2 rigs of the Exploratory Tubewells Organisation for operation in the drought affected areas,

For shallow tubewells and bore-cum-dug wells, the State Government has been acquiring additional hand-boring plants and light percussion rigs from the indigenous market. Some rigs have already been procured. Action has also been initiated for effecting import of required rigs on a priority basis.

(b) Information is not available.

(c) An outlay of Rs, 2,130 lakhs for Minor Irrigation was approved for U. P. for 1966-67. Similarly, the existing allocation for rural electrification was Rs. 900 lakhs. The Government of India has since approved the following additional assistance to the State Government for implementing the additional programme of minor irrigation and rural electrification -

1.	Construction of deep tubewells including repair, and extension of water courses ;	Rs. 150 lahks
2.	Shallow tubewells and boring of dug wells etc.	Rs. 335 lakhs
3.	Installation of pumpsets on rivers and streams.	Rs. 25 lakhs
4.	Electrification of tubewells and pumpsets.	Rs, 600 lakhs
		Rs. 1,110 lakhs

भारतीय जहाज और लाइबेरियां के टैंकर जहाज की टक्कर

2604. श्री ब्रजवासी लाल : **श्री विश्वनाथ पांडेय :**
श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा : **श्री राम स्वरुप :**
श्री बाल गोविन्द वर्मा :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगेकि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वाटर वैसल 'जल विक्रय" तथा लाइबेरिया के टैंकर जहाज "जार्ज वर्गोटिस'- के बीच 16 नबम्बर, 1966 को स्वेज नहर के लाल हागर वाले किनारे पर तौफिक बन्दरगाह पर टक्कर हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ; और

(ग) भारतीय जहाज को कितनी हानि हुई ?

परिवहन, उडयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) से (ग) 17 नवम्बर, 1966 इन दो जहाजों में टक्कर हो गयी । हमारे जहाज के बम्बई पहुंचने पर वाणिज्य पोत अधिनियम, 1958 के उपबन्धों के अन्तर्गत वाणिक पोत विभाग एक प्रारम्भिक जांच की जायेगी और टक्कर के कारणों और हानि का अनुमान लगाया जायेगा। तथापि, जान या माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है और न ही किसी को चोट पहुंची है ।

बागालकांट सीमेंट कम्पनी, बीजापुर

2605. श्री उटिया : **श्री मधु लिमये :**

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या मैसूर राज्य की बागालकांट सीमेंट कम्पनी लिमिटेड, बीजापुर ने कम्पनी अधिनियम का कुछ मामलों में उल्लंघन किया है ? और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) :

(क) कम्पनी के प्रबन्धकों द्वारा समवाय अधिनियम की कुछ धाराओं उपबन्धों के उल्लंघन किये जाने की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) कम्पनी के मामलों की जांच करने के लिये समवाय् अधिनियम की धारा 363 (ख) के अन्तर्गत एक निरीक्षक नियुक्त किया गया है।

सड़कों के लिये ऋणों का उपयोग

2606. श्री शिव नारायण :

क्या **परिवहन, उडडयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने सड़कों के लिये ऋणों का उपयोग किये जाने के बारे में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) :

(क) और (ख) विश्व बैंक से भारत को सड़कों के लिये केवल एक ऋण मिला है, अर्थात पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और महाराष्ट्र राज्यों में कुछ चुनी हुई सड़कों और पुलों के निर्माण के लिये विश्व बैंक की सहायक संस्था अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से 6 करोड़ डालर का ऋण बैंक ने इस ऋण के उपयोग पर कोई विशिष्ट प्रतिवेदन नहीं दिया है। तथापि उन कार्यों का समय समय पर निरीक्षण करने के लिये जिनके लिये ऋण दिया जाता है, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त करती रही है और इन निरीक्षणों के आधार पर संस्था भारत सरकार को समय समय पर अपने टिप्पण भेजती रही है। इस पत्र व्यवहार और चर्चा के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था ने मुख्य रुप से भूमि अर्ज़न और निर्माण कार्य और दो पुलों के निर्माण के लिये आयातित उपकरणों के प्राप्त करने में विलम्ब के बारे में बताया है। इस प्रकार के विलम्ब को रोकने के लिये आवश्यक कार्यवाही की गई है।

मैसर्स गोलचा प्रापर्टीज (प्राइवेट) लिमिटेड, दिल्ली

2606-क. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री काशी राम गुप्त :
श्री नरदेव स्नातक :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स गोलचा प्रापर्टीज (प्राइवेट) लिमिटेड, दिल्ली के अनेकों जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए एक प्रशासक नियुक्त करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या योजना है; और

(ग) मूलधन की पहली किश्त कब तक वापिस कर दी जायेगी ?

विधि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री चे०रा० पट्टाभिरामन) :

(क) से (ग) एक निदेशक ने समवाय अधिनियम की धारा 394-क के अन्तर्गत निक्षेप कर्ताओं के साथ प्रबन्ध की एक योजना राजस्थान उच्च न्यायालय को दी है। ऋणदाताओं के हितों की रक्षा करने के लिये समवाय विधि बोर्ड ने समवाय अधिनियम की धारा 394-क के अन्तर्गत अपने अभ्भावेदन में कुछ बातें कहीं हैं। मामला अब उच्च न्यायालय में है।

मैसर्स आनन्द फाईनेंस (प्राइवेट) लिमिटेड, दिल्ली

2606-ख. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : श्री हुकम चन्द कछवाय : श्री काशीराम गुप्त :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के उच्च अधिकारियों ने मैसर्स आनन्द फाइनेंस (प्राइवेट) लिमिटेड, दिल्ली के पास बड़ी मात्रा में अपनी धनराशि जमा कर रखी थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिये सरकार ने एक प्रकाशक नियुक्त किया था;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी अन्य फर्मों के लिए भी प्रशासक नियुक्त करने का है, जिनके पास जनता के करोड़ों रुपये जमा हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और केवल मैसर्स आनन्द फाइनेंस (प्राइवेट) लिमिटेड के लिये ही प्रशासक क्यों नियुक्त किया गया है ?

विधि मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) :

(क) समवाय विधि बोर्ड के पास उन व्यक्तियों की उपलब्ध सूची में, जिनसे कम्पनी ने निक्षेप स्वीकार किये हैं, निक्षेप कर्ताओं का व्यवसाय और उनके पदनाम नहीं दिये गये हैं। इसलिये यह बताना संभव नहीं है कि क्या निक्षेप कर्ताओं में उच्च केन्द्रीय अधिकारी भी शामिल है।

(ख) सरकार ने कोई प्रशासक नियुक्त नहीं किया है। तथापि, एक याचिका पर समवाय अधिनियम की धारा 391 के अन्तर्गत पंजाब के उच्च न्यायालय ने श्री एम. एन. कोल संसद् सदस्य की अध्यक्षता में निदेशकों का एक नया बोर्ड नियुक्त किया है।

(ग) जनता से निक्षेप स्वीकार करने वाली कम्पनियों के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने के लिये सरकार के पास प्रशासकों को नियुक्त करने की कोई शक्ति नहीं है परन्तु न्यायालय से प्राप्त सूचना पर समवाय विधि बोर्ड न्यायालय के विचार के लिये प्रत्येक मामले में उपयुक्त सुझाव दे सकता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मैसर्स वी० धर्मसिंह एन्ड कम्पनी नई दिल्ली

2606. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : **श्री हुकमचन्द सहाय :**
श्री काशीराम गुप्त :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेसर्स वी. धर्मसिंह एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, आसफ अली रोड, नई दिल्ली और उसकी सहायक कम्पनियों ने, जो उन्हीं निदेशकों के नियंत्रणाधीन हैं, लोगों की करोडों रुपये की राशि निश्चित अवधि के लिये अपने पास जमा कर रखी है;

(ख) यदि हां, तो उनके पास इस प्रकार कुल कितना रुपया जमा है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन फर्मों ने मूलधन देने से इन्कार कर दिया है; और

(घ) क्या सरकार का विचार जमा कर्ताओं के हितों की रक्षा करने हेतु उपरोक्त फर्म के संबंध मे भी एक प्रकाशक नियुक्त करने का है, जैसा कि मैसर्स आनन्द फाइनेंस (प्राइवेट) लिमिटेड के मामले में किया गया था ?

विधि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) और (ख) कम्पनी को जनता से कई लाख रुपये के निक्षेप प्राप्त हुए हैं, परन्तु इन निक्षेपों की निश्चित राशि का अभी पता नहीं लगाया जा सका है क्योंकि 1968 से अब तक कम्पनी के लोगों का परिक्षण नहीं किया गया है ।

(ग) समवाय विधि बोर्ड द्वारा प्राप्त शिकायतों से विदित होता है कि कई मामलों में निक्षेपकर्ताओं को भुगतान करने से इन्कार कर दिया है।

(घ) एक याचिका पर समवाय अधिनियम की धारा 391 के अन्तर्गत पंजाब उच्च न्यायालय में आनन्द फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों का एक बोर्ड नियुक्त किया है । कथित नियुक्ति में सरकर का हाथ नहीं है ।

बिहार की सहकारी समितियों को रिजर्व बैंक ऋण

2606. श्रीमती राम दुलारी सिन्हा :

क्या **खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार की सहकारी समितियों को भारत के रिजर्व बैंक का 4 करोड़ रुपये का अल्पकालिक ऋण देने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो ऋण की शर्तें क्या हैं;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए ऋणों की शर्तें पूरी की जायें, क्या कार्यवाही की जायेगी; और

(घ) क्या अल्पकालिक ऋणों को मध्यकालिक ऋणों में बदलने का कोई प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)
(क) जी हां ।

(ख) से (घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE.

संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा अनाज के लदान को स्थगित किये जाने की तथाकथित सम्भावना के समाचार

श्रीमती तारकेश्वरी सिनहा (बाढ़) मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री का ध्यान दिलाती हूं तथा प्रार्थना करतीहूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें:—

"संयुक्त राज्य अमेरीका द्वारा अनाज के लदान को स्थगित किये जाने की तथाकथित सम्भावना के समाचार"

Shri Bagri (Hissar): I rise on a point of order. In this connection calling Attention and Adjournment motions have also been given. I would like to know whether reply to these motions will also be given in the statement ?

Mr. Speaker: I can take one motion at a time. That will be taken at 6 P.M,

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में (श्री एच. सुब्रहनण्यम):

इस समय हम आयातित खाद्यान्नों की अधिकांश मात्राएं पी.एल. 480 के अधीन संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात कर रहे हैं। सितम्बर, 1964 के करार के अधीन जिसमें समय-समय पर पत्र विनिमय द्वारा संशोधन किया गया है, अभी भी उपलब्ध शेष धनराशि से दिसम्बर, 1966 में अमेरिका से लगभग 3.5 लाख मीटरी टन गेहूं का लदान हो सकेगा। जिन मात्राओं का लदान हो चुका है अथवा जिनका दिसम्बर, 1966 में लदान होने की आशा है, उससे जनवरी, 1967 में गेहूं, माइलो और चावल की निश्चित उपलब्धि लगभग 5.6 लाख मीटरी टन होगी। वर्तमान स्तर पर केन्द्रीय भण्डारों से वितरण करने के लिये हमें लगभग 8 लाख मीटरी टन आयातित खाद्यान्नों की प्रतिमास आवश्यकता पड़ती है। अतः हमें जनवरी में लगभग 2·4 लाख मीटरी टन के अन्तर को पूरा करना है और फरवरी 1967 में और इससे आगे के महीनों के लिये आवश्यक आयात करने की व्यवस्था भी करनी है।

2. गत अगस्त में हमने संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार से पी. एल. 480 के अधीन दिसम्बर, 1966 तक लदान करने के लिए 20 लाख मीटरी टन गेहूं और 2.5 लाख मीटरी टन चावल की एक अतिरिक्त मात्रा का आवंटन करने की प्रार्थना की थी। संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार ने लगभग 2 लाख मीटरी टन खाद्यान्स खरीदने के लिए पी. एल. 480 के अधीन अक्तूबर, 1966 में अतिरिक्त धनराशि नियत की थी।

3. हमने सितम्बर, 1966 के अन्त में संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार को पंचांग वर्ष 1967 के लिए पी. एल. 480 के अधीन खाद्यान्न आयात के करने के बारे में एक प्रस्ताव भेजा था।

4. नये करार को अन्तिम रूप देने में देरी शायद अमेरिका के गेहूं के आरक्षित भण्डारों

में कमी हो जाने के कारण प्रतीत होती है। यह नया विधान केवल हाल ही में बनाया गया है। संयुक्त राज्य सरकार भी इस बात की इच्छुक रही है कि क्योंकि उनके अपने गेहूं के भण्डार इस समय बहुत ही कम रह गए हैं, और कुछ प्रमुख रूप से गेहूं पैदा करने वाले देशों में गेहूं की भरपूर फसल हुई है, इस लिए उन देशों को भारत की खाद्य कमी को पूरा करने में अपेक्षाकृत अधिक भाग लेना चाहिए और इस देश को व्यापक आधार पर खाद्य सम्बन्धी सहायता सुलभ करनी चाहिए।

5. संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इस देश को अनाज का लदान विलम्बित करने की कथित सम्भावना के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। जहां तक हमें मालूम हैं संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

6. यदि अगले कुछ दिनों में संयुक्त राज्य सरकार के साथ नया करार नहीं होता है तो दिसम्बर में निस्सन्देह लदान में विघ्न पड़ेगा जिससे जनवरी में सप्लाई में कमी हो जाएगी। इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए हम वाणिज्यिक आधार पर गेहूं की कुछ मात्राएं खरीदने और उन्हें समय पर आयात करने के लिए कदम उठा रहे हैं ताकि जनवरी, 1967 में खाद्यान्नों की उपलब्धि में इस अन्तर को पूरा किया जा सके। अपनी विदेशी मुद्रा की अत्यधिक कठिन स्थिति को देखते हुए हए स्पष्टतः वाणिज्यिक आधार पर कोई बड़े पैमाने पर गेहूं का आयात नहीं कर सकते हैं और हमें आशा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार के साथ यथा शीघ्र नया करार हो जाएगा।

7. हमने कुछ अन्य देशों से भी विशेष शर्तो पर गेहूं की सप्लाई के लिए प्रार्थना की है।

श्री मती तारकेश्वरी सिंहा : क्या तथाकथित नया करार, जिसका ध्यान दिलाने वाली सूचना में उद्दोरक किया गया है, इस बात पर जोर दिये जाने पर कि अनाज की सप्लाई केवल नकद दामों के विरुद्ध ही की जायेगी, के आधार पर है और क्या इस मामले पर गतिरोध उत्पन्न हो गया है जिसके परिणामस्वरुप अमरीका द्वारा पहले स्वीकार की गई सप्लाई भी रोक दी गई है?

श्री चि. सुब्रह्मण्यम : नहीं यह सत्य नहीं है।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) पहले बैल निशा भारत की अनाज की आवश्यकताओं की जांच करने भारत आया था और और अब एक अन्य समिति अथवा मिशन इसी उद्देश्य के लिये भारत आ रहा है। ऐसा कहा जाता है कि हमारी सरकार ने केवल अक्टूबर में अमरीका से अनाज की प्रार्थना की है। इस संदर्भ में क्या मैं यह जान सकता हूं कि हमारी सरकार ने वियतनाम के मामले पर जो नीति अपनाई है उसका अमरीका के इस निर्णय पर कितना प्रभाव पड़ा है?

श्री चि. सुब्रह्मण्यम : मेरे विचार में पी. एल. 480 करार से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता-दक्षिण-पूर्व) अब जबकि यह संकट उत्पन्न हो गया है और जैसा मंत्री महोदय ने कहा कि अगले जनवरी तथा फरवरी महीने में अधिक कठिनाई उत्पन्न होने की सम्भावना है सरकार का उपलब्ध अनाज के अधिक उचित ढंग से वितरण के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है?

श्री चि. सुब्रह्मण्यम : हम वसूली के सम्बन्ध में अधिक प्रयत्न कर रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकारों का कार्य इस बारे में संतोषजनक होगा।

श्री स. मो. बनर्जी (कानपुर) क्या अमरीका विलम्ब के यह हथकण्डे प्रयोग कर रहा और कि चुनाव के पश्चात यदि उसकी इच्छा की सरकार बन जाती है तो वह नियमित रूप से पी. एल. 480 के अन्तर्गत अनाज सप्लाई करेगा।

श्री चि. सुब्रह्मण्यम : मेरे विचार में अमरीका सरकार की यह नीति नहीं है।

श्री आल्वांरस (पंजिम) : अनाज के मामले में अमरीका सरकार की हिचकचाहट बोकारो तथा उर्वरक कारखाने स्थापित करने के बारे में हिचकचाहट के समान है। अब जबकि अमरीका के राष्ट्रपति का एक विशेष मिशन भारत आया है क्या मंत्री महोदय के विचार में अमरीका से अनाज मिलने की पहले से अधिक आशा है।

श्री चि. सुब्रह्मण्यम : मैं प्रत्याशाओं के बारे में अपने वक्तव्य में बता दिया है।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Sir, how will the government reconcile its policy of non-alignment with its attitude of going with a begging bowl to all countries ? It is no policy at all.

श्री पे० वेंकटासुब्बया (अडोनी) : अमरीका की खाद्यान्न देने की नीति को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार अब भी सुरक्षित भंडार बनाने पर गंभीरता से विचार कर रही है तथा रूस जैसे राष्ट्रों से अन्न के बारे में द्वि-राष्ट्रीय समझौता करने के बारे में सोच रही है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : सुरक्षित भंडार वहां नहीं बनाये जा सकते जहां दो वर्षों से लगातार सूखा पड़ रहा हो। द्वि-राष्ट्रीय समझौते के बारे में हमारी यह नीति है कि जहां से भी मिल सके हम अन्न प्राप्त करने को तैयार हैं।

Shri Vishnoi Nath Pandey (Salempur) : In view of the fact that the grant of foodgrains from U. S. A. has beea delayed, will government now resort to cut in ration in the rationing areas and if so what will be the quantity of the cut ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इन सब बातों पर 15 दिसम्बर के बाद पुनः विचार किया जायेगा।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) - In view of the fact that food problem has not only become a question of national politics but of international politics, may I know what steps are government taking to make India self-reliant during the 4th five year plan ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैंने इसके बारे में कई बार कहा है। हमारी चौथी योजना के अन्त तक अन्न में आत्म निर्भर बनने की योजना है।

श्रीमती रेणुका राय (माल्या) : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह 20 लाख टन अन्न समय पर नहीं आयेगा, क्या सरकार अमरीका सरकार को यह कहने वाली है कि इस 20 लाख टन अन्न की अब आवश्यकता नहीं है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम ऐसा रवैया नहीं अपना सकते।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Has the government of USA or some

elements connected with that have suggested to the government of India to ask for foodgrains from USA and if so what is the government's reaction to that?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हमने इस मामले में रूस की सरकार से भी बात की है। परन्तु अमरीका ने हमें ऐसा कोई परामर्श नहीं दिया है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : क्या भारत के लिये अन्न प्राप्त करने में हाल की संयुक्त अरब गणराज्य तथा युगोसलाविया के राष्ट्रपतियों तथा हमारे प्रधान मन्त्री ने जो विज्ञप्ति जारी की है उससे रुकावट पैदा हो गई है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मेरे विचार में इस विज्ञप्ति का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : क्या अमरीका द्वारा अन्न देना "देना" (फ्रीज़) कर दिया है तथा क्या रूस से अन्न प्राप्त करने के बारे में बात की है और यदि हां तो क्या प्रतिक्रिया है?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हमने रूस की सरकार से अन्न देने के लिये विशेषकर गेहूं देने के लिये कहा है परन्तु उनका कोई उत्तर नहीं आया है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : क्या सरकार यह स्पष्ट रूप से कहने को तैयार है कि उनके द्वारा जमा खोरों से अन्न प्राप्त करने के प्रयत्न असफल रहे तथा जनवरी फरवरी में जो कठिनाई अनुभव की जाने वाली है इसके लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं? क्या इसका निर्वाचनों पर भी प्रभाव पड़ेगा?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जनवरी, फरवरी के लिये हम अन्न प्राप्त करने का प्रयप्न कर रहे हैं। जमा हुए अन्न के बारे में हमारे प्रयत्न कुछ राज्यों में तो सफल हुए और कुछ राज्यों में असफल रहे। इसका निर्वाचन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

श्री महेश्वर नायक (मयूरभंज) : समाचार पत्रों में यह आया है कि अमरीका के राष्ट्रपति ने भारत सरकार से कहा है कि वे अन्य स्थानों से अन्न प्राप्त करे। क्या यह सच है?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : अमरीका के राट्रपति ने कभी ऐसा परामर्श नहीं दिया।

सभा के कार्य के बारे में

BUSINESS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : श्री माथुर ने एक पत्र मुझे लिखा हैं कि विद्यार्थियों में असन्तोष के बारे में जो चर्चा है उसे 4·30 बजे शाम को लिया जाये। इस लिये उसे 4·30 बजे लिया जायेगा।

Shri Maurya (Aligarh): what about the drought conditions in U. P. and Bihar.

Mr. Speaker: I have not called you.

डा० कर्णी सिंह जी (बीकानेर) : महोदय मैंने भारत के एशियाई खेलों में भेजे जाने वाले दल के बारे में एक अविलम्बनीय लोक महत्व का नोटिस दिया है। मुझे पता लगा है कि उसे रद्द कर दिया है। मैं चाहता हूं कि वह एक वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : समय थोड़ा होने के कारण हमें यह देखना है कि कौन सा प्रश्न अधिक

महत्वपूर्ण है, अन्यथा मैं उसे अवश्य स्वीकार कर लेता ।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : वह एक वक्तव्य तो दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं उसके लिये प्रयत्न करूंगा ।

श्री यलमंदा रेड्डी (मारकापुर) : श्रीमान, श्रीमती विमला देवी ने एक "अनियत दिन वाले प्रस्ताव" की सूचना दी थी, परन्तु मुझे पता लगा है कि उसे इस लिये स्वीकार नहीं किया क्योंकि सभा के नेता ने उसे स्वीकार नहीं किया है । नियमों के अनुसार केवल अध्यक्ष को ही यह अधिकार है । आन्ध्र प्रदेश में स्पात के कारखाने के बारे में यहां एक चर्चा के बारे में हमने बहुत प्रयत्न किया है तथा अल्प सूचना प्रश्न की भी सूचना दी है । परन्तु सरकार इसके लिये तैयार नहीं है । इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करें क्योंकि वहां तीन व्यक्तियों की जान पहिले ही जा चुकी है ।

अध्यक्ष महोदय : पहले मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उनका विचार क्या है ?

संसद कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मुझे दुख से कहना पड़ता है कि सरकार के पास दस अनियत दिन वाले प्रस्ताव के लिये कोई समय नहीं है ।

श्री ही० ना० मुखर्जी (कलकत्ता-मध्य) : महोदय इस विषय में सदन के नेता आपको केवल परामर्श दे सकते हैं परन्तु निर्णय आपको ही करना है ।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिये समय सरकार के समय में से ही निकालना होगा । मैंने तो इसे स्वीकार कर लिया है । इसे उस समिति के पास भेजा था और उन्होंने भी इसे स्वीकार कर लिया था ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : You should exercise your discretionery power.

श्री रंगा (चत्तूर) : आप कह सकते हैं कि सभा एक घण्टे देर तक बैठे ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है ।

श्री यलमंदा रेड्डी : महोदय इसके बारे में सदन नेता ने कई बार वचन दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : हां मैंने इसको भी देखा है परन्तु इसमें मैं क्या कर सकता हूं ?

Dr. Ram Manohar Lohia : Mr. Speaker the injustice done to Andhra is a part of general injustice prevailing in the country, Government is deliberately doing injustice to Andhra Pradesh.

श्रीमती विमला देवी (एलुरन) : हम चाहते हैं कि इस पर शीघ्र विचार किया जाये । हमने बहुत समय तक इन्तजार किया है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचना

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे) : महोदय मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) जी० एस० आर० 1761 जो दिनांक 18 नवम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) पश्चिमी बंगाल धान कूटने की मशीनें (चलाने पर नियंत्रण) आदेश, 1966 जो दिनांक 18 नवम्बर 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी. एस. आर. 1762 में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) मक्का क्षेत्र (वहन नियंत्रण) आदेश, 1966 जो दिनांक 19 नवम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी. एस. आर. 1763 में प्रकाशित हुआ था।

(चार) आयातित खाद्यान्न (अनधिकृत बिक्री का निषेध) संशोधन आदेश, 1966 जो दिनांक 26 नवम्बर, 1966 भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी. एस. आर. 1806 में प्रकाशित हुआ था। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7431/66**]

केरल मोटर गाड़ी नियम, 1961 में करने के सम्बन्ध में अधिसूचनायें

परिवहन तथा उड्डयन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : मैं राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति जिनके द्वारा केरल मोटर गाड़ी नियम, 1961 में कतिपय संशोधन किये गये—की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:—

(एक) एस. आर. ओ. संख्या 413/66 जो दिनांक 1 नवम्बर, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) एस. आर. ओ. संख्या 414/66 जो दिनांक 1 नवम्बर, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

वृत्त-चित्रों तथा समाचार दर्शन (न्यूज रील्ज) के बारे में प्रसारण तथा सूचना माध्यम सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

श्री चे० मु० पुनाचा : मैं श्री राज बहादुर की ओर से निम्न की एक-एक प्रति सभापटल

पर रखता हूं —[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7432/66]

(1) वृत्त- चित्रों तथा समाचार दर्शन (न्यूज रील्ज़) के बारे में प्रसारण तथा सूचना माध्यम सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7433/66]

(2) विज्ञापन तथा दृष्टिक प्रचार के बारे में प्रसारण तथा सूचना माध्यम सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7434/66]

(3) वर्ष 1966 के समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार के वार्षिक प्रतिवेदन (भाग 2) की एक प्रति। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7435/66]

(4) रेडियो तथा टेलीविज़न के विषय में प्रसारण तथा सूचना माध्यम सम्बन्धी समिति की सिफारिशों पर, 1 नवम्बर 1966 तक किये गये अग्रेत्तर निर्णय दिखाने वाला एक विवरण।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7436/66]

श्रीमती विमला देवी : आप उन्हें आज ही वक्तव्य देने को कहें......

श्री यलमंदा रेड्डी : मंत्री को वक्तव्य देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही में शामिल न किया जाये।

श्री यलमंदा रेड्डी : ... ...

श्रीमती विमला देवी : ... ...

(उसके पश्चात श्रीमती विमला देवी तथा श्री यलमंदा रेड्डी सभा भवन से बाहर चले गये)

(Shrimati Vimla Devi and Shri Yallamanda Reddy then left the House)

× × कार्यवाही के वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

× × NOT RECORDED

भारतीय केन्द्रीय मसाला तथा काजू समिति के 1964-65 (हिन्दी संस्करण) की वार्षिक रिपोर्ट

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधरमिश्र) : मैं भारतीय केन्द्रीय मसाला तथा काजू समिति के 1964-65 (हिन्दी संस्करण) की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7437/66]

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

कार्यवाही-सारांश

श्री सिदयनंजप्पा (हसन) : मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति की 24 और 25 नवम्बर, 1966 को हुई क्रमशः अठ्ठाइसवीं और उनत्तीसवीं बैठकों के कार्यवाही-सारांश को सभा पटल पर रखता हूं।

राज्य सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय विधेयक

सचिव : महोदय मुझे सचिव, राज्य सभा से प्राप्त निम्न सन्देशों की सूचना देनी है—

(एक) कि लोक-सभा द्वारा 16 नवम्बर, 1966 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय विधेयक, 1966 में किये गये संशोधनों से राज्य-सभा अपनी 24 नवम्बर, 1966 की बैठक में सहमत हुई ।

(दो) कि लोक- सभा द्वारा 15 नवम्बर, 1966 को पास किये गये राज्य कर्मचारी राज्य-बीमा (संशोधन) विधेयक, 1966 के राज्य-सभा अपनी 24 नवम्बर, 1966 की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हुई ।

(तीन) कि राज्य-सभा ने अपनी 22 नवम्बर 1966 की बैठक में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्था, चण्डीगढ़ विधेयक, 1966 को पारित किया ।

स्नातकोत चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्था चण्डीगढ़ विधेयक

POST GRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH-CHANDIGARH BILL.

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में

सचिव : मैं राज्य-सभा द्वारा पारित किये गये रूप में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्था, चण्डीगढ़, विधेयक, 1966 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

एक सौ नौवां प्रतिवेदन

श्री केदरिया (मांडवी) : भूतपूर्व श्रम तथा रोजगार मंत्रालय—कलकत्ता, मद्रास, और बम्बई के गोदी श्रमिक बोर्डों के बारे में प्राक्कलन समिति के 66वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में प्राक्कलन समिति का एक सौ नौवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE.

तिरेसठवां प्रतिवेदन

श्री मुरारका (झुंझुनू) : परिवहन तथा उड्डयन (परिवहन तथा नौवहन विभाग) और

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय के विषय में विनियोग लेखे (सिविल), 1964-65, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), 1966 और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), 1966 पर लोक लेखा समिति का तिरेसठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) Which are the subjects disclosed in there reports and why it has taken so long to present it.

अध्यक्ष महोदय : यह सदस्यों को भेज दी जायेगी । मैं उनसे इसे पढ़ने को नहीं कह सकता ।

तारांकित प्रश्न संख्या 298 के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO S.Q. NO. 298.

खाद्य कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) 15 नवम्बर, 1966 को तारांकित प्रश्न संख्या 298 के उत्तर के सम्बन्ध में जो विवरण सभापटल पर रखा गया था उसके प्रथम अनुबन्ध में कुछ अशुद्धियां हो गई हैं उसमें भण्डारों की संख्या 17 बताई गई हैं जबकि वास्तव में भण्डारों की संख्या 19 हैं । जबकि क्रम संख्या 17 (सुपर बाज़ार-हैदराबाद) का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए था तथापि उसमें भदुरें, कोयम्बतूर और त्रिवेण्ड्रम के तीन भण्डारों के नाम शामिल किया जाना चाहिए था । 15 नवम्बर, 1966 तक खोले गए विभागीय भण्डारों के नाम का पुनरीक्षित विवरण में सभापटल पर रखता हूं ।

15 नवम्बर 1966 तक दिल्ली तथा भारत में अन्य स्थानों में खोले गये विभागीय स्टोरों की संख्या

दिल्ली	1. सुपर बाज़ार
	2. अपना बाज़ार
	3. कोआंपस
बिहार	4. विभागीय स्टोर, धनबाद
केरल	5. सहकारी विभागीय स्टोर, एर्णाकुलम
	6. उपभोक्त सुपर मार्कीट कोट्टायम
	7. सुपर मार्केट, त्रिवेन्द्रम
मध्य प्रदेश	8. सहकारी बाज़ार, भोपाल
	9. सहकारी बाज़ार, इन्दौर
मद्रास	10. कामधेनु, दक्षिण मद्रास
	11. विभागीय स्टोर, तिरुचिरापल्ली
	12. सहकारी सुपर मार्केट, मदुराई
	13. सहकारी विभागीय स्टोर, कोयम्बतूर
जम्मू तथा काश्मीर	14. विभागीय स्टोर, श्रीनगर
पंजाब	15. सुपर मार्केट, लुधियाना
	16. सहकारी सुपर मार्केट, जालन्धर

उत्तर प्रदेश	17. विभागीय स्टोर, देहरादून
पश्चिमी बंगाल	18. समावायका, कलकत्ता
मैसूर	19. विभागीय स्टोर, बंगलौर ।

श्री हरिविष्णु कामत (होशंगाबाद) : निदेश 16 के अनुसार ऐसी कार्यवाही 24 घण्टों के अन्तर्गत की जानी चाहिये थी। मैं पहले भी यह कई बार कह चुका हूं कि विलम्ब के कारण बताने वाला वक्तव्य पृथक से दिया जाना चाहिए इस उत्तर की अशुद्धियों को ठीक करने में एक महीना लग गया है। यह बताया जाना चाहिए कि इन गलतियों के लिये कौन जिम्मेदार हैं। क्या ऐसे उदक्ष व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर में 15 नवम्बर, 1966 को शुद्धि कर दी गई थी। क्या इसमें एक महीने से अधिक लगा है।

श्री हरि विष्णु कामत : मुझे खेद है। कुछ दिनों की बात है। परन्तु उत्तर में शुद्धि 24 घण्टों के अन्तर्गत की जानी चाहिए थी।

श्री श्यामधर मिश्र : स्पष्टरूप में यह कार्यालय की गलती है। उन्होंने भण्डारों की संख्या 17 बता दी। वास्तव में भण्डारों की संख्या 19 है। यह एक तारांकित प्रश्न था और मौखिक उत्तर के लिये नहीं उठाया गया था।

Shri Madhu Limaya (Monghgr) : He should not throw the responsibility on the Secretary. This is his responsibility and he should have admitted it.

Mr. Speaker. There is no doubt that this is the responsibility of the said minister. But there is also no harm in saying that the mistake is committed in the Secretarat.

Dr. Ram Manohar Lohia (Farukhabad) Tha Hon. Minister is responsiblo for the mistakes committed Secretarat. He should apologies for the same.

Mr. Speaker : The hon. Minister has already corrected the mistake.

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह समझ लिया जाये कि माननीय मंत्री लोग निदेशों की जटीलतायों से अवगत नहीं हैं। मेरा विचार में उन्होंने निदेशों को कभी पढ़ा ही नही है।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में निश्चित निदेशक हैं कि शुद्धि 24 घंटे के अन्दर–अन्दर की जानी चाहिए। उत्तर में शुद्धि करने के लिए इतने दिन नहीं लगने चाहिए। भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उत्तर में शुद्धि करने में इतना विलम्ब न हो।

निवारक निरोध (ज़ारी रहना)
विधेयक-आदि

Preventive Detention (Continuance) Bill-Contd.

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री चव्हाण द्वारा 21 नवम्बर 1966 को प्रस्तुत किये गयें निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगी :

"कि निवारक निरोध अधिनियम 1950 को अतिरिक्त अवधि के लिये जारी रखने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

श्री जी० भ० कृपलानी (अकवांहा) कुछ दिन पहले इस विषय पर मैंने भाषण दिया था उस समय आप उपस्थित नहीं थे। मैंने हांगकांग से अपनी पत्नी के नाम एक पत्र लिखा था जिसको सरकार ने मार्ग में ही खोल लिया। मेरी पत्नी सत्तारूढ़ दल की सदस्य है और एक प्रांत की मुख्य मंत्री भी है। मैंने इस बात की ओर भी सभा का ध्यान दिलाया था कि मेरे टेलीफोन को टेप किया जाता है।

श्री मि० च० चटर्जी (बदवनि) : उस समय उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था कि वह समूचे मामले को अध्यक्ष के समक्ष रखेंगे तथा इस पर कार्यवाही की जायेगी। क्या यह मामला आपके पास आया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने गृह-कार्य मंत्री को तथ्यों का पता लगाकर मुझे सूचना देने के लिये कहा है। जैसे ही मुझे उत्तर मिलेगा मैं माननीय सदस्य को सूचित कर दूंगा।

श्री स० मो० बनर्जी : (कानपुर) माननीय गृह-कार्य मंत्री इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि संचार मंत्री को इसका उत्तर देने के लिये कहा जाये।

श्री उमानाथ : (पुद्दकोरै) माननीय गृह-कार्य मंत्री ने विधेयक प्रस्तुत करते हुए कहा था कि निवारक निरोध अधिनियम एक साधारण कानून बन गया है। जो सरकार श्रमिकों, किसानों, मध्यम श्रेणी के कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों के लोकतन्त्रात्मक आन्दोलनों का दमन करना अपना कर्तव्य समझती है उसके लिये यह कानून एक साधारण कानून ही है।

निवारक निरोध अधिनियम के दुरुपयोग के कई उदाहरण मिलते हैं। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में 30,000 विद्युत चालित करघा कर्मचारियों ने दूकान अधिनियम को अपने पर लागू कराने के सम्बन्ध में हड़ताल की थी। महाराष्ट्र सरकार ने दूकान अधिनियम को लागू करने के बजाये उनके छः नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और उनके संघ के सचिव को तो हड़ताल समाप्त होने के पश्चात इस कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था। इसी प्रकार दिल्ली में बहुत से इन्जीनियरिंग कारखाने मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं इसके यहां आन्दोलन चल रहा है। सरकार ने उस सिफारिशों को लागू करने के स्थान उनके संघ के सचिव, श्री पूरनचन्द को निवारक निरोध अधिनियम के अधीन गिरफ्तार कर लिया। इसी कानून के अधीन विद्यार्थियों के नेता श्री राम आसरा को गिरफ्तार करके सरकार ने उत्तर प्रदेश की किसी जेल में भेज दिया है। उन्होंने पकड़े गये विद्यार्थियों को छोड़ देने तथा चार मामलों में न्यायिक जांच की मांग की थीं।

सरकार संसद् सदस्यों के विशेषाधिकारों की उपेक्षा करने के लिये भी निवारक निरोध अधिनियम का प्रयोग कर रही है क्योंकि इस बात का मुझे व्यक्तिगत रूप से अनुभव है। 1965 में जब मैं उच्चतम न्यायालय में अपने मुकदमें के सम्बन्ध में 'पेरोत' पर दिल्ली आया था तो मुझे दिल्ली में ठहरने की अनुमति दी गई थी। परन्तु दो दिन पश्चात ही यह अनुमती रद्द कर दी गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि गृह-कार्य मंत्री ने इस बारे में मूढ़स सरकार को लिखा होगा।

अनेक बार यह कहा गया है कि निवारक निरोध अधिनियम को लागू करने का एक उद्देश्य साम्प्रदायिक शक्तियों का दमन करना है। यह सच है कि साम्प्रदायिक तथा प्रतिक्रियावादी शक्तियों ने कांग्रेसदल के नेता श्री कामराज की हत्या करने का प्रत्यन किया था। परन्तु कुछ अन्य बातों को भी सुनाया नहीं जा सकता। 1962 में इन शक्तियों ने हमारे कार्यालय को आग लगा कर जला दिया था तो किसी ने कुछ नहीं कहा था। इन वर्षों में अब तक घटी घटनाओं से यह बात स्पष्ट है कि सरकार इस उद्देश्य को प्राप्त करने में न केवल असफल रही है बल्कि उन शक्तियों को अधिक सुदृढ़ बना दिया गया है। कुछ सदस्यों ने हमें चीन के एजेन्ट आदि कहा है परन्तु स्वयं कांग्रेस दल के दिल्ली कार्यालय में पिछले कई वर्षों से एक पाकिस्तानी जासूस काम कर रहा है। सरकार ने इस पाकिस्तानी जासूस के विरुद्ध इस कानून के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं की है। देश के भीतरी भागों में बड़े बड़े जमींदार लूट मार करने वाले सशान्त दलों की सहायता कर रहे हैं। इस कानून को न तो इन जमीदारों और न ही गुण्डों के विरुद्ध प्रयोग किया जा रहा है। वास्तव में सत्तारूढ़ दल के अनेक नेता गुण्डों को आश्रय देते हैं। स्वयं दिल्ली के कांग्रेस दल के अध्यक्ष ने इस बात को स्वीकार किया है कि दिल्ली में वाल्काट जैसे कई समाज विरोधी तत्व पनप रहे हैं और कि मंत्री लोग उनके साथ फोटो आदि खिंचवाते हैं। इसलिये मैं कहूंगा कि निवारक निरोध अधिनियम का जारी रहना नागरिकों की स्वतंत्रता तथा संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों के लिये बहुत खतरनाक है। इसलिये इस कानून को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

Shri Vishwanath Pandey (Salempur): I think that this Act is being continued to maintain law and order and also for proper running of democracy in this country. In 1950 when the iron man of India Sardar Patel first moved this Bill, he stated that he has to move for the passage of this Bill in the interest of the country; His predecessor also moved for the passage of this Bill. Recently many violent agitations have taken place in the country. Violent incidents are on the increase in our country. These reactionary forces intend to create disorder in the country. There has been a constant effort on the part of these forces to create disorder and change the constitutionally established government in the country. Therefore, Preventive Detention Act is necessary to maintain law and order and for creating harmonous atmospheres in the country. Our country cannot progress unless the democracy is allowed to function properly. Inspite of all the existing laws, there is a need of some special law to curb the anti-social activities. Moreover Preventive Detention Act is not put permanently on the Statute Book. Its period is being extended only for three years.

If we look at the statistics we will find that this Act is not being misused. 516 persons were arrested for violence, 65 for goondaism and 5 others for giving help to decoits etc were also arrested under this Act.

The country is still faced with many internal and external problem such as threat from China and Pakistan, Mizo and voga problems. Hoarders, profiteers and black marketers are also anti-social elements. To deal with all these problems and anti-social elements it is necessary to have a comprehensive Act such as Preventive Detention Act. People have the full rights to demonstrate and agitate in constitutional manner. I would request the hon, Minister to use this Act only when it becomes absolutely necessary.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। आरम्भ में यह कहा गया था कि यह एक अस्थायी व्यवस्था है और जैसे ही वातावरण अनुकूल होगा इसको समाप्त 2514

कर दिया जायेगा। आज जब कि आम चुनाव निकट आ रहे हैं और राजनैतिक दलों को लोगों के पास मतों के लिये जाना है अनेक राजनैतिक नेता इस अधिनियम के अन्तर्गत जेल में बन्द हैं। जुलाई 1966 में जब वामपक्षी राजनैतिक दलों ने उत्तर प्रदेश बन्द का नारा लगाया तो पांच नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। उनके विरूद्ध जो आरोप लगाये गये थे वे झूठे तथा मनगंठत थे। इसलिये पुनर्विलोकन समिति के समक्ष अवसर देने से पूर्व ही उनको रिहा कर दिया गया। इस समय भी जबकि उत्तर प्रदेश में विद्यार्थियों की कोई हड़ताल नहीं हो रही है, वामपक्षी नेता श्री राम स्वरुप मिश्र, जेल में हैं। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करुंगा कि वह ऐसे राजनैतिक नेताओं की गलत नज़रबन्दी के विरूद्ध जांच के आदेश दे।

आज भी उत्तर प्रदेश की जेलें विद्यार्थियों से भरी पड़ी हैं। इनमें अधिकांश की आयु 13 वर्ष से भी कम है। इनके विरुद्ध हिंसा तथा लूटमार के आरोप लगाये गये हैं। कुछ वामपंक्षी नेताओं को दण्ड संहिता की धारा 332 और 333 के के विरुद्ध अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है।

देश में वर्तमान अव्यवस्था के लिये केवल सरकार ही जिम्मेदार हैं। सरकार लाठी तथा गोली से आन्दोलनों को दबाना चाहती है। मुझे विश्वास है कि एक दिन सरकार स्वयं यह महसूस करेगी कि किसी भी आन्दोलन को लाठी अथवा गोली से नहीं दबाया जा सकता। देश में लाखों लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी भी सरकार पर ही है।

मैं सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि भूख और क्रोध एक बिन्दु पर आ मिले तो स्थिति निवारक निरोध अधिनियम, भारत रक्षा नियमों अथवा गोलियों के प्रयोग से सुधर न पायेगी।

अब बन्दियों को सरकार स्वयं ही छोड़ रही है। जैसे उत्तर प्रदेश में 90 बन्दी हाल ही में छोड़े गये। परन्तु सरकार उन्हें स्वेच्छा से क्यों छोड़ रही है। इसका कारण है कि उन्होंने निवारक निरोध अधिनियम को गलत और अनुचित रूप से प्रयोग किया है और उन्हें बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर किये जाने का डर है। सरकार इसकी अवधि 3 वर्ष और बढ़ाना चाहती है, परन्तु क्यों ? सरकार यह तर्क देती है चोर बाजारी, मुनाफाखोरी और जमाखोरी को रोकने के लिये तथा जासूसों से निबटने के लिये इस अधिनियम की अवधि बढ़ाई जा रही है। परन्तु खेद की बात यह है कि इसको असली देश द्रोहियों के विरुद्ध काम में नहीं लाया जाता। श्री सुनील दास और मोहित चौधरी जैसे जासूसों को संरक्षण देने वालों के विरुद्ध यह इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि उनमें से कुछ कांग्रेसी हैं विपक्षी दलों को इसका शिकार बनाया जाता है।

देश में विभिन्न प्रकार के आन्दोलन चल रहे हैं, हड़ताल हो रही हैं जैसे हिन्दुस्तान एरोनाँटिक्स कानपुर में भी आन्दोलन हुआ और 80 कर्मचारी नौकरी से हटा दिये गये, उनमें से कुछ को निवारक निरोध अधिनियम के अधीन बन्दी बनायें गये थे परन्तु बाद में उन पर धारा 151 और अन्य उपबन्ध लागू किये गये।

इस प्रकार से इस अधिनियम का दुरुपयोग किया जा रहा है। अत: मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करुंगा कि वे इस विधेयक को वापिस ले लें क्यों कि अपराधों से निबटने के लिये तो दंड प्रक्रिय संहिता और भारतीय दंड संहिता के उपबन्ध ही पर्याप्त है।

श्री बासका (तिपतुर) : यह सभी मानते हैं कि यह विधेयक उचित नहीं है और यह विधान

एक असाधारण विधान है। मैं भी यह मानता हूं परन्तु आज की परिस्थिति में यह एक आवश्यक बुराई बन गयी है। आज की परिस्थिति भी कुछ असाधारण सी बनी हुयी है। देश में इस समय आन्दोलनों की भरमार हो रही है। विद्यार्थी आन्दोलन, गोरक्षा आन्दोलन भाषा सम्बन्धी पागलपन और इस्पात कारखाने के प्रश्न पर बड़ी हठ धर्मी से काम लिया जा रहा है। इसी प्रकार के अन्य आन्दोलन या हड़ताले भी जन्म ले सकती है। इसके अतिरिक्त बिगड़ी हुयी खाद्य स्थिति में चोर बाजारी, मुनाफाखोरी और जमाखोरी का बोल बाला है। चीन और पाकिस्तान के साथ तनातनी चल रही है। देश में जासूसों का जाल फैला हुआ है। यह एक असाधारण परिस्थिति हैं जिसमें यह सब रोकने के लिये, देश की प्रतिरक्षा और जनता की सुरक्षा के लिये, समाज में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि कोई एक असाधारण कानून हो और निवारक विरोध अधिनियम के रुप में ऐसा कानून हमारे पास मौजूद है। जिससे यह असाधारण स्थिति संभाल सकती है। ऐसी स्थितियों में यदि कुछ लोग या असामाजिक तत्व विधि-व्यवस्था अपने हाथ में ले लेते हैं तो उनसे निपटने के लिये ऐसे ही कानून की आवश्यकता है। अतः उक्त कानून की अवधि वर्तमान परिस्थिति में अवश्य बढ़ाई जानी चाहिये।

साथ ही एक बात है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिये। सरकार को कुछ उपाय ऐसे खोजने चाहिये जिनसे उक्त कानून का गलत प्रयोग रोका जा सके। उदाहरणार्थ लोगों को यह डर है कि आम चुनाव निष्पक्ष रूप से नहीं होंगे और चुनाव के दौरान उक्त अधिनियम का उपयोग सत्तारुढ़ दल के हित में और विपक्षी दलों के अहित में किया जायेगा। परन्तु बात ऐसी नहीं है। जो भी समाज विरोधी या राष्ट्र-विरोधी कार्य करेगा उसी पर यह अधिनियम लागू होगा चाहे वह कांग्रेसी हो या गैर-कांग्रेसी। इस अधिनियम का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिये, हालांकि इतने बड़े देश में दुरुपयोग के इक्का-दुक्का मामला तो हो ही जाता है।

विपक्षी दलों के सदस्य यह तर्क देते हैं कि देश के साधारण कानून ही काफी हैं फिर इस असाधारण कानून की क्या आवश्यकता है। साधारण कानून और इस कानून में अन्तर है। साधारण कानून अपराधियों को अपराध कर लेने के बाद ही दंड दे सकता है जबकि असाधारण कानून एक एहतियाती किस्म का विधान है जिसके आधार पर असामाजिक तत्वों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ ही प्रत्येक मामले में न्यायिक जांच की जाती है तथा सलाहाकार समितियों की सलाह ली जाती है और जिस मामले में इसका दुरुपयोग समझा जाता है उस बन्दी को छोड़ दिया जाता है। सरकार के इसके प्रयोग में बहुत ही सतर्कता बरतनी चाहिये।

कुछ लोग यह भी कहते हैं कि भारत में 'पुलिस राज, है और स्वतंत्रता का अभाव है। परन्तु मैं यह दावे से कहता हूं कि हमारे देश में समाचार पत्रों और विपक्षी दलों को जितनी स्वतंत्रता है उतनी विश्व के किसी भी अन्य भाग में नहीं है। अतः यहां 'पुलिस राज' बताना बिल्कुल गलत है। देश में असंतोष फैला हुआ है और इसे दूर करने के लिये देश को जो प्रगति करनी चाहिये उसमें देश के सामने विद्यमान बाह्य और आन्तरिक खतरों तथा असामाजिक तत्व बाधक सिद्ध हो रहे है। अतः जब तक ऐसी नाजुक स्थिति बनी हुई है तब तक यह कानून बना रहना चाहिये।

Shri J. P. Jyotishi (Sagar) : I am not very happy in supporting this Bill. But in the circumstances as exist today, necessitate the presence of such an act as the Preventive Detention Act and thus justify the passing of a Bill which seeks to extend

the life of the Preventive Detention act. If its presence was required in 50-60, it is required more now; when there is danger to law and order on account of unrest, agitations or hartals etc. At the same time it is also necessary that it should not be used indiscriminately or wrongly. No particular man or political party should be made its target. Its operation should be limited to eliminate the anti-national and anti-social elements. It should be applied so as infiltrators, traitors and corrupt officials may be made target of it. It is meant for dealing with the atmosphere created by present extraordinary situation. It is for putting an end to corruption, injustice and disruptive tendencies. Govt. should be given more powers to meet such a situation. It will help in improving the present atmosphere of the country and have way for fair general elections. From this point of view I support this Bill.

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सर्वश्री उमानाथ और स० मो० बनर्जी के भाषण सुने हैं, उन्होंने एक पाकिस्तानी जासूस का उल्लेख किया है और उसके सम्बन्ध में कांग्रेस दल पर आरोप लगाया है। यह मामला न्यायाधीन है इसलिये इसका उल्लेख न करके वक्ताओं को न्यायालय की प्रतिष्ठा बनाये रखनी चाहिये, क्योंकि इस बात को वे स्वयं भी मानते हैं कि देश की न्याय व्यवस्था के बारे में संदेह नहीं किया जाना चाहिये। इन्हें इसके लिये तो सरकार को भी बधाई देनी चाहिये कि उन्होंने ऐसी निष्पक्ष न्याय-व्यवस्था की स्थापना की है।

यह शिकायत की जा रही है कि राजनीतिक दलों के विरुद्ध इस कानून का प्रयोग किया जायेगा। परन्तु जब सत्तारुढ़ दल जनता से अपील करके ही विपक्षी दलों को हरा देता है तो उसे असाधारण कानून का आश्रय लेने की आवश्यकता ही क्या है ? दूसरे समाचार पत्रों में भी यह राय व्यक्त की जा रही है कि वर्तमान स्थिति में निवारक निरोध अधिनियम जैसा कानून देश में होना चाहिये।

प्रश्न यह उठता है कि उक्त कानून ठीक प्रकार से लागू किया जाता है या नहीं। यह कार्य तो गृह-कार्य मंत्रालय का है। परन्तु जिस उद्देश्य से यह सभा में पेश किया गया है, उसके बारे से संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि इस विधेयक के उपबन्धों के अधीन आने वाले प्रत्येक मामले में सम्बन्धित मंत्री को स्वयं जांच करनी चाहिये तथा स्थानीय पुलिस अधिकारियों की रिपोर्टों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिये। मंत्री द्वारा जांच किये जाने के बाद मामला सलाहाकार समिति को सौंपा जाना चाहिये। इस प्रक्रिया को अपनाने पर इस अधिनियम के दुरुपयोग का डर बहुत कम हो जायेगा।

सीमावर्ती क्षेत्रों में इस प्रकार के कानून की और भी अधिक आवश्यकता है क्योंकि वहां पर पुलिस अधिकारियों को बड़ी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है परन्तु कुछ मामलों में ये पुलिस अधिकारी भी कई बार निर्दोष व्यक्तियों को सताते हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह सुझाव देता हूं कि इन अधिकारियों को एक वर्ष से अधिक एक स्थान पर न रहने दिया जाय। इस प्रकार इसका गलत प्रयोग काफी हद तक रोका जा सकेगा।

Shri Tulsidas Jadhav (Nanded) : It is not good for a country to extend the period of operatiin of Preventive Detention Act again and again. But there are somethings which we have to do unwillingly. In the same way for maintaining the law and order in the country the Govt. have to apply this act unwillingly in some cases. Figures available show that a number of 586 people were detained in the country from 1-10-1963 to 30-9-1966. Among them 516 were detained for violent activities, 65 for goondaism

and 5 for harbouring dacoits. Some others numbering about 72 were arrested for reasons connected with maintenance of supplies and services essential to the community. It shows that it has been operated properly during this period.

Indian atmosphere has been vitiated by holding demonstration-protest-marches and taking recourse to violent activities for right or wrong cause. I feel sorry for the incident of 7th instant. It is beyond understanding why these detached people or Sadhus take part in such kind of demonstrations. All other countries laugh at the state of affair prevailing here. We have adopted democratic system which allows every body or party to express their views or feelings at every issue. But we should be limited in our actions and have patience. We should adopt the persuasive method and not coersive or violent method, otherwise we will be marring this democratic way of life. We should try to persuade the Govt. to agree with our view points and thus try to make the democracy a success in our country. I also make appeal to hon. Home Minister to see that this law is not applied indiscreminately. It should be operated only in the cases where there is no other alternative. In this way democracy will prove to be a success.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह संविधान की भावना के विपरीत है कि गृह-कार्य मंत्री यह दावा करते हैं कि निवारक निरोध अधिनियम एक सामान्य प्रकार का विधान है। सरकार को उस विधान को साधारण विधान नहीं बताना चाहिये जो आपात कालीन परिस्थियों में बनाया गया था। इस प्रकार के कानून को सामान्य कानून का रूप दे देना वांछनीय नहीं है। हमने देखा है कि जब भी इस विधान की अवधि बढ़ायी जाती है तभी गृह-मंत्री इसकी अवधि को बढ़ाते समय क्षमा याचना करते हैं और इस बात का आश्वासन देते हैं कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा।

यह निवारक निरोध कानून इस देश में उस समय पास किया गया था जिस समय राष्ट्र की सुरक्षा को चारों ओर से खतरा पैदा हो रहा था। परन्तु उसी प्रकार की स्थिति आज भी है, यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। फिर भी यह निश्चय रूप से कहा जा सकता है कि इस विधान का हमेशा सदुपयोग नहीं किया गया है। यदि सरकार के विचार में वही स्थिति आज भी विद्यमान है तो सरकार को इस स्थिति को दूर करने की असामाजिक तत्वों का दमन करने की कोशिश करनी चाहिये ताकि ऐसे विधान की आवश्यकता ही न रहे।

दूसरी ओर यह भय व्यक्त किया जा रहा है कि राजनैतिक नेताओं को गिरफ्तार किया जायेगा और किसी दल या वर्ग विशेष पर पाबन्दी लगा दी जायेगी। यह उनके जनतांत्रिक अधिकारों पर कुठाराघात होगा। हमने जनतन्त्र को अपनाया है और उसे बनाये रखने के लिये सभी को दृढ़ संकल्प रहना चाहिये। सरकार को भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिये जिससे जनसाधारण के जनतान्त्रिक अधिकारों का हनन हो, साथ ही जनता को भी लोकतन्त्रीय व्यवस्था की रक्षा करनी चाहिये।

विधिवेत्ताओं के अन्तर्राष्ट्रीय आयोग ने भी इस विधान को संविधान के प्रतिकूल बताया है। क्योंकि इससे मौलिक अधिकारों का हनन होता है। अन्य सभी लोकतंत्रीय देशों ने इसकी निन्दा की है। अतः सरकार को इस कानून को बनाये रखने के औचित्य को स्पष्ट रूप से और पूर्णतः बताना चाहिये। यह भी कहना ठीक है कि उच्चतम न्यायालय ने इस विधि को शक्ति

वाह्य नहीं बताया है, उसके अनुसार इस कानून में कुछ उपबन्ध ऐसे है जो सामान्य स्वतन्त्रताओं की रक्षा करते हैं। परन्तु कुछ राजनीतिक नेताओं विशेषतया संसद सदस्यों की सामान्य स्वतन्त्रताओं को तो इस अधिनियम के अधीन छीन लिया गया है। उदाहरणार्थ कई सदस्यों के व्यक्तिगत पत्रों की भी सरकार द्वारा जांच कराई जाती है। उनके सार्वजनिक जीवन पर प्रतिबन्ध लगा दिये जाते हैं। इस प्रकार विधिमान्यता की आड़ में जनतन्त्र की भावना की हत्या की जाती है। हमें लोकतन्त्रीय पद्धति नागरिक अधिकारों और सामान्य स्वतन्त्रताओं की रक्षा करनी चाहिये। अतः गृह-कार्य मंत्री को यह बताना चाहिये कि किन कारणों से इस असाधारण कानून की अवधि बढ़ाई जा रही है और इस बात पर भी प्रकाश डालेंगे कि किस रीति से लागू किया जा रहा है। साथ ही उन्हें यह प्रयास करना चाहिये कि इस कानून का दुरुपयोग न हो तथा इस प्रकार लोकतन्त्र की भावना की प्रतिष्ठा करनी चाहिये।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं आरम्भ में उन शब्दों का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं जिस के बारे में माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है। "देश के सामान्य कानून" शब्दों का प्रयोग मैंने बहुत सीमित अर्थों में किया है। हमने विधेयक को केवल तीन वर्षों के लिए आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा हैं। यह तथ्य ही इस बात का प्रमाण है कि हम इसे देश का सामान्य कानून नहीं बनाना चाहते हैं;

देश की आज की परिस्थितियों में ऐसा विधान बिलकुल उचित है। पिछले 16 वर्षों के दौरान इस विधि में कई संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं और 1950 में प्रस्तुत विधेयक तथा वर्तमान विधेयक में बहुत अन्तर हो गया है। आरम्भ में परामर्श दाता बोर्ड को सरकारी निर्णय पर मतदान का अधिकार नहीं था परन्तु बाद के एक संशोधन द्वारा परामर्श बोर्ड अपना मत दे सकता है। अधिनियम में यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। परामर्शदाता बोर्डों द्वारा मतदान के अधिकार क्षेत्र में भी वृद्धी हुई है। अब सभी श्रेणियों के सामने उन्हें भेजे जाते हैं। बोर्ड के सदस्यों की संख्या भी 2 से बढ़ा कर 3 कर दी गई हैं। यदि विरूद्ध व्यक्ति व्यक्तिगत सुनवाई चाहता हो तो बोर्ड द्वारा सुनवाई का यह अधिकार भी दूसरे संशोधन द्वारा प्राप्त किया गया है। यह सभी संशोधन इस विचार से प्रस्तुत किये गये हैं कि कार्यपालिका देश के नागरिकों की स्वतन्त्रता के साथ खिलवाड़ न कर सके।

देश की वर्तमान स्थिकिओं में विधेयक को जारी रखना आवश्यक है। यदि इसकी 1950 में आवश्यकता थी तो 1966 में इसकी और अधिक आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि 1968–69 में इस अधिनियम की अवधि में और विस्तार की आवश्यकता न रहे। इसी कारण मैंने यह संशोधन संशोधक विधेयक सभा के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया हैं।

हम किसी विशेष विचार धारा रखने वाले व्यक्ति को दंड नहीं देना चाहते। यह केवल कुछ परिस्थितियों तथा गतिविधियों को रोकने के लिए है। इनका प्रयोग किसी विशेष दल के विरुद्ध नहीं किया जाना है। इसकी क्रियान्विति के दौरान इस प्रकार इसका प्रयोग कभी नहीं किया गया है। मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में भी इस अधिनियम का प्रयोग किसी विशेष विचार-धारा अथवा दल के विरुद्ध नहीं किया जायेगा।

कुछ निजी मामलों का उल्लेख किया गया है। उन मामलों के तथ्य मेरे पास नहीं हैं।

यदि सरकार की जानकारी में कुछ तथ्य लाये गये तो हम उनकी जांच करेंगे और यह बात ध्यान में रखेंगे कि इस अधिनियम का प्रयोग उन प्रयोजनों के लिए न किया जाये जिनके लिए इसे बनाया नहीं गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री विश्वनाथ पाण्डेय का संशोधन सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है; "कि विधेयक को उस पर राय जानने के लिए 2 दिसम्बर, 1966 तक परिचालित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखा गया।

लोक सभा में मत (विभाजन हुआ।)

The Lok Sabha divided :

पक्ष में **25** विपक्ष में **81** **Ages : 25; Noes : 81**

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विश्वनाथ पाण्डेय का संशोधन अस्वीकृत हो जाने के कारण श्री स० मो० बनर्जी का संशोधन अवरुद्ध हैं। प्रश्न यह है ; "कि निवारक निरोध अधिनियम, 1950 को अतिरिक्त अवधि के लिये जारी रखने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided

पक्ष में **77;** विपक्ष में **28; Ages : 77; Noes : 28;**

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि खंड विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 विधयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2 was added to the Bill

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause the Enacting formula and the title were added to the Bill

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि विधेयक को पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ : "कि विधेयक को पारित किया जाये।"

श्री रंगा (चित्तूर) : मुझे यह सुनकर दुख हुआ है कि गृह-कार्य मंत्री ने यह कहा है कि इस प्रकार का कानून अप्राकृतिक नहीं है। आरम्भ में भी जब यह विधेयक लाया गया था तो हम में से बहुत ने विरोध किया था। परन्तु सरकार इस प्रकार का कानून चाहती थी। इसलिये, यह निर्णय हुआ था कि यह कानून स्थायी नही होगा और इसे सीमित अवधि के लिये अस्थायी रुप में

रखा जायेगा। हमें इस में संदेह नहीं कि जब इसे पारित कर दिया जायेगा। यद्यपि सरकार ने आश्वासन दिये हैं कि इसका दुरुपयोग नहीं किया जायेगा तथा इसका प्रयोग राजनैतिक विरोधियों के विरुद्ध नहीं किया जायेगा तथापि लोगों के लिये सरकार के इन आश्वासनों पर विश्वास कर लेना सरल नहीं है। मुझे आशा है कि अगले चुनाव के बाद ऐसे लोकतंत्र विरोधी तथा बदनाम कानून का निरसन सम्भव हो सकेगा।

Shri Sarjoo Pandey (Rasra): It is unforunate that such a Bill has come before this House. It cannot be termed as a law. This is being repeatedly used by the congress party to suppress the opposition. It violates the provision of the constitution which provides for equality before law. All kinds of criminals are allowed to offer their defence but the persons arrested under this Act are deprived of such an opportunity. This is a blot on the democracy. I request the hon. Minister to withdraw this Bill.

Shri Madhu Limaye (Monghyr): It appears from the speech of the hon. Minister that he is introducing this bill only to discharge his duties and in fact he is not in favour of such a legislation. The hon. Minister has assured that this Act will not be used to suppress any ideology or party, but I would like to tell him that the State Governments are also empowered under this Act. They are not covered by this assurance. The Government of Uttar Pradesh arrested some student leaders in connection with the agitation of 18th November under this black law. This blot on our country is going on for the last fifteen years. I strongly oppose this Bill and request the hon. Minister to withdraw it.

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान): माननीय मंत्री ने इस विधेयक के पक्ष में जो तर्क दिये हैं, उनसे मैं बिलकुल प्रभावित नहीं हुआ हूं। हम लोकतन्त्र इसलिए चाहते हैं क्योंकि इस के अन्तर्गत कुछ ऐसे अधिकार मिलते हैं जिनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ऐसे अधिकार संविधान में दर्ज हैं परन्तु उनका उल्लंघन किया जा रहा है।

स्वतन्त्र भारत में मुझे निवारक विरोध अधिनियम के अन्तर्गत विरुद्ध किया गया था। यह कहने का कोई लाभ नहीं कि परामर्शदाता बोर्ड में दो अथवा तीन सदस्य हैं। इस के अन्तर्गत प्रक्रिया पूर्णतया गलत है। विरुद्ध व्यक्ति को परामर्शदाता बोर्ड के समक्ष लाया जाता है और उसके जाने के बाद उसके विरुद्ध आरोप लगाये जाते हैं। क्या यह न्याय है?

यह लोकतन्त्र विरोधी कानून हैं और न्याय के मूल भूत सिद्धान्त तथा विधि के शासन की जड़े काटता है। इसलिए मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि इसे तीन वर्ष के लिए न बढ़ाया जाये मंत्री महोदय को यह सिद्ध करना चाहिये कि सामान्य विधि पर्याप्त क्यों नहीं है। हम इस विधि का विरोध करते हैं।

श्री शिकंरे (मरमागोआ): मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। देश की विधि तथा व्यवस्था की स्थिति के कारण ऐसा कानून आवश्यक है। परन्तु सरकार को तीन वर्ष की वृद्धि की बजाये एक वर्ष की वृद्धि की मांग करनी चाहिये थी। बाद में आने वाली सरकार को इस मामले में बाध्य नहीं करना चाहिये।

श्री यशवन्तराव चव्हाण: मैंने कभी यह दावा नहीं किया कि यह आदर्श कानून है। परन्तु

तर्क में यह सिद्ध नहीं किया जा सका है कि यह अधिनियम आवश्यक नहीं है। मैं सभा को यह विश्वास दिलाता हूं कि जब इस विधि की आवश्यकता नहीं रहेगी तो सरकार स्वयं सभा में इस बात की मांग करेगी कि इसे समाप्त किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि विधेयक को पारित किया जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha Divided

पक्ष में 90; विपक्ष में 31

Ages : 90; Noes : 31;

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुजा) : इसके विरोध में हम सभा से बाहर जा रहे हैं।

इसके पश्चात श्री वासुदेवन नायर तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।)

Shri Vasudevan Nair and some Members then left the House

Shri Bagri (Hissar) I walk out as a protest against this black Bill (Interruptions (

(इसके पश्चात श्री बागड़ी सभा भवन से बाहर चले गये)

Shri Bagri then left the House

उपज उपकर (संशोधन) विधेयक

Produce Cess (Amendment) Bill

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि उपज उपकर अधिनियम, 1966 में संशोध नरखे रहने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

वर्तमान उपज उपकर अधिनियम, 1966 में पांच कृषि उत्पादों पर उपकर लगाने, कृषि के साधनों का विकास करने और उनका सुधार करने, कपास, तेल, खोपरा, लाख तथा रद्दी लाख जैसे उपज के विक्रम और उन पर अनुसन्धान करने का उपबन्ध किया गया है। अब उपज उपकर (संशोधन) विधेयक में काजू पर बढ़ी हुई दरों से सीमा शुल्क के रूप में उपकर लगाने के उपबन्ध किये गये हैं। काजू पर ½ प्रतिशत यथामूल्य उपकर के मुकाबले में बढ़ा हुआ उपकर टैरिफ मूल्य के 1 प्रतिशत जितना होगा। इसके अलावा उपज उपकर अधिनियम, 1966 की धारा 2, 3, 11 तथा 30 में भी संशोधन विधेयक द्वारा संशोधन किये गये हैं।

सरकार को काजू पर उपकर लगाने के लिये शक्ति देने के लिये संशोधन लाने की आवश्यकता का कारण यह है कि इस निर्यात किये जाने वाली और विदेशी मुद्रा कमाने वाली वस्तुत के विकास तथा अनुसंधान के लिए अधिक धनराशि की व्यवस्था करना आवश्यक है। इसके

परिणामस्वरूप मिलने वाले अधिक आय द्वारा काजू के विकास के लिए और प्रयत्न किये जायेंगे। इस बढ़े हुए उपकर का काजू के निर्यात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि अतिरिक्त दर से 1 क्विटल काजू पर 554 रुपये के वर्तमान प्रशुल्क मूल्य में केवल 2.75 रुपये प्रति क्विटल की वृद्धि होगी।

वसूल किये जाने वाले उपकर की एक अलग राशि रखी जायेगी तथा प्राप्ति और भुगतान का पृथक लेखा रखा जायेगा। अनुसंधान तथा विकास पर 30 लाख रुपये प्रतिवर्ष की दर से आवर्ती व्यय होगा। इसके इलावा मसालों के साथ काजू के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन एक अनुसंधान संस्था स्थापित की जायगी जिन पर 4 वर्षों में 20 लाख रुपये का आवर्ती व्यय होगा।

हमारा काजू का उत्पादन 1.35 लाख टन है और चतुर्थ योजना के अन्त तक इसे बढ़ा कर 3.20 लाख टन करने की योजना बना दी गई है। उसकी उपज 13.3 लाख एकड़ भूमि के अन्तर्गत किया जा रहा है इस में 4.5 लाख एकड़ की वृद्धि करके उसे 17.8 लाख एकड़ किया जा रहा है। उपकर से प्राप्त होने वाली राशि मुख्य रूप से अनुसंधान और विकास कार्यों पर खर्च की जायेगी। उससे होने वाली आय मुश्किल से 27.28 लाख रुपये प्रति वर्ष होगी और हमें कुछ राशि भारत की संचित निधि में से लेनी होगी। हम $1\frac{1}{2}$ प्रतिशत की दर से उपकर लगाने का अधिकार ले रहे हैं ताकि बाद में इस दर से उपकर लगाया जा सके। यदि इस प्रकार का निर्णय किया गया तो एक अधिसूचना सभा-पटल पर रखी जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय (सलेमपुर) : मैं संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि विधेयक पर 1 दिसम्बर 1966 तक काम जानने के लिये उसे परिचालित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक तथा संशोधन दोनों सभा के समक्ष हैं।

श्री रंगा (चित्तूर) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि इस प्रकार के उपकर की कोई औचित्य नहीं है। इससे अधिक बुरी बात यह कि की सरकार जब कभी आवश्यक समझे एक अधिसूचना के द्वारा इसके आगे बढ़ाये जाने की संभावना होती है। यदि सरकार ने किसान को लगान तथा अन्य केन्द्रीय तथा राज्य के करों से मुक्त कर दिया होता, तो किसान को लगान तथा अन्य केन्द्रीय तथा राज्य के करों से मुक्त कर दिया होता, तो किसान से यह आशा की जा सकती थी कि वह अपनी फसल के अनुसंधान कार्य तथा विकास के लिये कुछ वित्तीय सहायता देगा, परन्तु जब सरकार ने उस पर सब प्रकार के कर लगाये हुये हैं, तो इस प्रकार का उपकर लगाने का कोई औचित्य नहीं है।

यह किसी भी सरकार के लिये लज्जाजनक है कि वह 4,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष विभिन्न परियोजनाओं पर खर्च करे, किन्तु 30 लाख रुपये न मुहैया कर सके। सरकार निर्यात में वृद्धि करने के लिये बहुत उत्सुक है। यह एक ऐसा सुन्दर निर्यात द्वारा धन कमाने का उद्योग है, जिस से प्रतिवर्ष 18 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। सरकार को इस फसल के विकास एवं अनुसंधान के लिये न केवल 30 लाख अपितु एक करोड़ रुपये खर्च करने चाहियें ताकि उत्पादक अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें तथा सरकार को अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सके। अन्य फसलों के उत्पादन का निर्यात करना बहुत कठिन है, क्योंकि एक तो मांग की कमी है और दूसरे

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगता है, फिर भी उनके निर्यात के लिये भांति भांति के प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं। चीनी के कारखानों को राज सहायता दी जा रही हैं ताकि उन्हें हानि न उठानी पड़े और विदेशी बाजार में भी इसे सस्ते भाव पर बेचा जा रहा है। यह बड़े खेद की बात है कि एक ओर तो सरकार अन्य फसलों के बारे में ऐसी उदार नीति अपना रही है और दूसरी ओर काजू के बारे में ऐसी संकुचित नीति अपना रही है।

उप मंत्री महोदय ने कहा है कि इस उपकर को अलग से रखा जायेगा तथा इस धन का इस्तेमाल केवल उस फसल के विकास के लिये ही किया जायेगा। इस प्रकार के वायदे पहले भी हम सभा में तथा केन्द्रीय विधान सभा में किये गये थे, जब बहुत से कृषि उपज उपकर विधेयक पास कराने के लिये प्रस्तुत किये गये थे। परन्तु बिहार तथा उत्तर प्रदेश सरकारों ने चीनी उपकर वसूली से प्राप्त धन को आम उपायों में इस्तेमाल किया है और इस बात की क्या गारंटी है कि इस उपकर से वसूल किये गये धन का प्रयोग अन्य प्रयोजनों के लिये नहीं किया जायेगा।

यह विश्वास करना कठिन हैं कि इसका कर-भार अत्यधिक नहीं होगा। वास्तव में जब तक यह वस्तु बाजार में पहुंचती है, तब तक इसका मूल्य उस मूल्य से जिस पर इसे सरकार ने प्राप्त किया है तिगुना हो जायेगा। इसके अतिरिक्त काजू का उत्पादकों, इसे तैयार करने वालों तथा इसकी बिक्री करने वालों के लिये एक प्रतिशत अथवा आधा प्रतिशत के लिये अलग लेखा रखना असंभव होगा और वे इस अवसर का लाभ उठाकर मूल्यों में वृद्धि कर देंगे, जैसा कि अन्य फुटकर व्यापारी बाटों तथा नाप में परिवर्तन होने लाभ उठा कर दाम बढ़ा देते हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उन सब वस्तुओं के बारे में जिन पर वह उपकर ले रही है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्यों के विवरण ही नहीं, अपितु उन कार्यों के परिणामों के विवरण भी सभा पटल पर रखना चाहती है। यह कहने से कोई लाभ नहीं होता कि वहां एक अनुसंधान केन्द्र खोला गया है तथा परीक्षण कार्य किया जा रहा है। अभी तक ऐसा कोई विवरण सभा पटल पर नहीं रखा गया है।

इन सब कारणों से तथा बहुत से अन्य कारणों से मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं तथा आशा करता हूं कि सरकार इस विषय में यथा शीघ्र फिर से विचार करेगी।

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur) : Although I agree with the arguments put forward by the hon. Minister, while moving the Produce cess (Amendment) Bill for consideration and support this bill, yet I want to point out that the Government should realise that the country is already over-burdened with texation. I am of the opinion that the levy of produce cess will not result in the development of any industry, but on the othe hand it will have a detrimental effect over production. The hon. Minister has stated that produce cess has already been imposed five commodities and it would be the sixth commodity to be cessed. It is our experience that production does increase after the levy of cess, whatever efforts may be made by Government to increase production. Take for instance cotton. Cess has been levied on cotton and it has appeared in newspapers that mills are going to be closed down due to shortage of cotton. This evidently shows that the levy of cess will not help in increasing production.

The hon. Minister had stated that the funds collected as a result of this levy would be utilised for research work in this crop and this would result in increased production. But we have a five year plan of over 2000 crores of rupees and this amount could easily

be allocated out of the Plan estimates. At the time of devaluaion it was said that incentives would be given for export earning commodities, but it is just a contradictory thing that instead of giving incentive, cess is being levied on cashew which is a foreign exchange earning commodity. What is needed in that loans should be given to Agriculturists, grants should be given to them, so that they may increase their production. It is gratifying to note that we are exporting 90% of the cashew nuts of the total trade of this commodity. In order to encourage exports Government should give some facilities. Instead of levying a cess, Government should give money out of the Plan allocations for the development of the industry. We have a five year plans of over 2000 crores of rupees and this amount could easily be allocated.

It is a serious matter and it should be reconsidered. Public gets horrified when they hear amount a tax and that is why I have moved an amendment that the bill be circulated for the purpose of eliciting public opinion.

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : गत 15 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा देश में पर्याप्त काजू के वृक्ष लगवाने तथा राजसहायता देकर काजू की खेती का विकास करने और काजू के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये प्रयत्न किये जाने चाहियें थे। परन्तु सरकार ने काजू की खेती के विकास के लिये कुछ नहीं किया है तथा यह उद्योग खटाई की हालत है। थांगला कुंजु मुदालियार के लगभग 18 कारखाने बन्द कर दिये गये हैं और वहां आन्दोलन किये जा रहे हैं। अन्य काजू के कारखानों के मालिकों ने भी यह निर्णय किया है कि यदि उन पर यह कानून लागू किया गया तो वे अपने कारखाने बन्द कर देंगे। मिल मालिकों ने अवमूल्यन के समय भारी मुनाफे कमाये हैं, परन्तु सरकार ने उन मुनाफों में से कोई भाग नहीं लिया है। यदि ऐसा किया जाता और उनके लाभ का कुछ अंश सरकार द्वारा लिया जाता, तो मैं उस का समर्थन करता।

इस उद्योग की वर्तमान स्थिति यह है कि यह उद्योग दक्षिण-पूर्व-अफ्रीका में इटली की सहायता से यन्त्रीकृत आधार पर चल रहा है। यह इतिहास में पहला अवसर है कि विश्व के किसी भाग में इस उद्योग की मशीनीकृत आधार पर चलाया जा रहा है। अफ्रीका में इस उद्योग के विकास से दक्षिण भारत के और विशेषतया केरल के इस उद्योग पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और यह उद्योग समाप्त हो जायेगा क्योंकि अब तक तो भारतीय श्रमिक काजू को तैयार करने के लिये अपने हाथों से ऐसा कार्य करते थे, जिसे अफ्रीका के लोग सख्त हाथ होने के कारण नहीं कर सकते थे, परन्तु अब इटली वालों की सहायता से वे इस उद्योग का विकास कर रहे हैं। इस लिये इस संकटपूर्ण स्थिति में जबकि वह उद्योग खटाई में पड़ा हुआ है, देश को प्राप्त होने वाली 28 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा को भी खतरा पैदा हो गया है तथा इस सम्पूर्ण उद्योग की स्थिति अनिश्चित है, सरकार के लिये इस उद्योग पर उपकर लगाना अबुद्धिमतापूर्ण तथा अविवेकपूर्ण होगा। ऐसा कानून डूबती हुई किश्ती में अधिक बोझ डाल कर उसे और शीघ्र डुबोना होगा।

भारत में योजनाबद्ध उत्पादन होने के बावजूद भी देश पर अमरीका तथा अन्य देशों का 8,000 करोड़ रुपये का ऋण हो गया है और अब भी हमें खाद्यान्न की अपनी दैनिक आवश्यकता के लिये अमरीका से भीख मांगनी पड़ती है। कपास के बारे में भी यही स्थिति है।

[श्रीमती रेणुका राय पीठासीन हुईं]
[Shrimati Renuka Ray in the Chair]

गत 15 वर्ष के योजनाबद्ध विकास के बाद भी हमारे कपड़े के उद्योग की स्थिति दयनीय

हो गयी है। केन्द्र सरकार ने केरल के उद्योग को समाप्त होने देने का जान्बय अपराध किया है। आज से छः वर्ष पहले केरल का खनिज उद्योग समाप्त हो गया और तदुपरान्त नारियल उद्योग को भारी हानि उठानी पड़ी और धीरे धीरे वह भी खत्म हो रहा है। काजू उद्योग केरल के लोगों के लिये अन्तिम आशा है और अब इसको भी समाप्त किया जा रहा है। इस पर 80,000 परिवारों की जीविका निर्भर है। इस में गरीब लोगों को रोजगार मिलता है। अब इसी उद्योग को समाप्त होने दिया जा रहा है। यह बड़ा अमानवीय कार्य है तथा उद्योगपति और श्रमिक दोनों इसका विरोध करेंगे। केरल के लोग इसका विरोध करेंगे क्योंकि 99 प्रतिशत यह उद्योग केरल में और केरल के लोगों के लिये यह जिन्दगी और मौत का सवाल है।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : मैं उपज उपकर का (संशोधन) विधेयक का स्वागत करता हूं। हमारा देश संसार की काजू की कुल मांग की 90 प्रतिशत पूर्ति करता है और विदेशी मुद्रा का जिस की हमें बहुत अधिक आवश्यकता है, अर्जन करता है। विदेशी मुद्रा का अर्जन करने के उद्देश्य से हम इस उद्योग की वर्तमान व्यवस्था में सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं और यह आवश्यक है कि हम इस उद्योग का, जिस से हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है विकास किया जाये। परन्तु हमारा वर्तमान काजू उद्योग पूर्वी-अफ्रीकी देशों से आयात किये जाने वाले कच्चे काजू पर निर्भर है। कुल भाग के केवल एक तिहाई भाग की देश में पूर्ति होती है। हमें और अधिक कच्चे काजू का उत्पादन करना है और इस की क्षमता को बढ़ाना है। आवश्यकता को सहायता देने के लिये विस्तृत अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रमों को लागू करने का प्रस्ताव है ताकि देश में कच्चे काजू के उत्पादन को प्रोत्साहन मिल सके और पूर्वी अफ्रीकी देशों से आने वाले माल पर हम कम निर्भर रहें।

प्रस्तावित विधेयक के अन्तर्गत हमारे देश से निर्यात किये जाने वाले काजू पर सीमा-शुल्क के रूप में उपकर लगाने की व्यवस्था की गई है। काजू की खपत अमरीका में बहुत अधिक हो गई है और वहां यह प्रचार किया जा रहा है कि काजू बहुत पौष्टिक पदार्थ है इत्यादि इत्यादि। इस से हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। आन्ध्र प्रदेश में काजू से शराब भी बनाई जाती है। प्रस्तावित उपकर से आवश्यक धन राशि लगातार प्राप्त होती रहेगी जिससे काजू का कृषि सम्बन्धी तथा तकनीकी अनुसंधान और उसकी खेती, उसके तैयार करने और विक्रय करने के साधनों का विकास और उनमें सुधार लाया जा सकेगा।

वर्तमान समाहरता अधिकरणों के माध्यम से जो धन प्राप्त किया जायेगा उसे भारत की रक्षित निधि में जमा कर दिया जायेगा। हमारा सब राजस्व पहले भारत की रक्षित निधि में जमा किया जाता है और तदुपरान्त हम उस से धन निकालते हैं। अनुसंधान कार्य करने के लिये उपज उपकर अधिनियम, 1966 की धारा 5 के उपबन्धों के अन्तर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को आवश्यक विनियोजन करने के उपरांत सहायता अनुदान देने का प्रस्ताव है तथा अन्य विशिष्ट विकास परियोजनाओं के लिये कृषि विभाग द्वारा धन दिया जायेगा। वर्तमान उत्पादन तथा निर्यात के आधार पर इस उपकर से अनुमान 27 लाख रुपये प्रतिवर्ष राजस्व के रूप में प्राप्त होंगे, जबकि काजू के विकास तथा अनुसंधान कार्यक्रम का आवर्ती व्यय 30 लाख रुपये प्रतिवर्ष होंगे। इसके अतिरिक्त 20 लाख रुपये अनावर्ती व्यय के रूप में खर्च होने का अनुमान है। यह सब खर्च करने के बाद हम अपना उत्पादन एक तिहाई बढ़ा सकेंगे।

भविष्य में पूर्वी-अफ्रीकी देशों से भी कम अपना आयात समाप्त कर सकेंगे और इस समय

अर्जित की जाने वाली विदेशी मुद्रा की तुलना में और अधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन कर सकेंगे।

श्री मुहम्मद कोया (कोजी कोड) : काजू एक ऐसा उद्योग है, जो पहले ही समाप्त हो रहा है। इस उद्योग का बहुत बड़ा हिस्सा पहले ही बन्द हो चुका है और क्विलोन के बहुत से कारखाने अब नहीं चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रस्तावित उपाय द्वारा केन्द्र ने केवल नाश में ही अपना अशंदान दिया है। काजू की निर्यात से हम 24 करोड़ रुपये कमा रहे हैं। क्या सरकार उस कमाई में से उसके अनुसंधान के लिये केवल 30 लाख रुपये भी खर्च नहीं कर सकती ? यदि उस विदेशी मुद्रा से सरकार 30 लाख रुपये भी खर्च नहीं करती है तो मैं समझता हूं वह उस मुर्गी को मार रही जो सोने के अडे देती है।

विधेयक में उल्लिखित शब्दों में भी कोई बुद्धिमता नहीं दिखाई गई है। उदाहरणार्थ विधेयक में कहा गया है कि हम पूर्व अफ्रीकी देशों पर निर्भर नहीं रह सकें। इसका प्रभाव यह होगा कि हमारा उत्पादन ऐसे स्तर पर पहुंचने से पहले, जब हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं, जिसके होने में हमें कई वर्ष लगेंगे, पूर्वी अफ्रीका के देश और कहीं बाजार ढूंढ लेंगे। यदि इस पंक्ति को विधेयक में शामिल नहीं किया होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पूर्वी अफ्रीका के देश इसको एक चेतावनी समझेंगे और वे सोचेंगे कि भारत में उनका बाजार खत्म होने जा रहा है और इस लिये वे और कहीं अपने बाजार ढूंढ लेंगे। हमारा उत्पादन बढ़ने से पहले ही वे अन्यत्र बाजार ढूंढ लेंगे और हमारे कारखानों में क्षमता बेकार पड़ी रहेगी।

यह भी याद रखना चाहिये कि जब किसानों को एक बार यह ज्ञात हो जायेगा कि काजू का उत्पादन उन के लिये लाभदायक नहीं है, तो वे अन्य वस्तुओं का उत्पादन आरम्भ कर देंगे। अन्ततः किसान को इस बात में दिलचस्पी नहीं है कि काजू से देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, उसे तो इस बात से दिलचस्पी है कि उसके लिये कौनसी वस्तु का उत्पादन अधिक लाभदायक है। जिन क्षेत्रों में काजू का उत्पादन किया है, वहां रबड़ तथा तोपिया का उत्पादन अधिक लाभदायक हो सकता है। अतः यदि अच्छे मूल्यों अथवा किसी प्रलोभन के द्वारा किसानों को प्रेरणा तथा उत्साह नहीं दिया गया तो वह किसी दूसरी वस्तु की उपज आरम्भ कर देगा और जो थोड़ा बहुत उत्पादन कर रहा है, वह भी समाप्त हो जायेगा। फिर भी सरकार उसे कोई सहायता अथवा प्रोत्साहन देने की बजाय उलटे उससे ही कुछ वसूल करना चाहती है। सरकार को चाहिये कि इस उद्योग के विकास के लिये एक काजू बोर्ड स्थापित करे और उसका खर्च स्वयं वहन करे।

मैं आशा करता हूं कि सरकार इस उपकर के लगाने की अनावश्यकता को समझेगी और इस विधेयक को वापिस ले लेगी।

Sri Sinhasan Singh (Gorakhpur) : I was surprised to note that any bill has been brought orward in order to raise an amount of Rs. 27 lakhs for research in connection with cashew-nut cultivation. It is a very paltry amount and that much money could very easily be saved by effecting economy in the working of the Department.

I want to draw the attention of the hon. Minister that no subsential results have so far been achieved in the field of research in our country. I want to know what research has been done by our All India Research Institute. I know that a cess was levied in U. P. in 1937 on sugarcane for the development of roads an sugarcane, but inspite of that the yield per acre of sugar cane has not registered any substantial

increase and the roads also are more or less in the same condition as they were before. Our average yield per acre of sugarcane is only 250 to 300 maunds, where as it is much more in other countries. Same is the condition of research in the fiield of wheat and paddy. Our scientists have not so far been able to find out any high yielding indeginious variety of wheat or paddy. What we are doing is that we are only adopting foreign varieties just as taichune paddy or maxican wheat. We are only copying the varities of other countries and no other research is being done. It was said that we would be self-sufficient in food after our first five year plan, but though our three five year plans are already over and we are just to launch our fourth five year plan. Our food situation had not improved. The research programmes so far undertaken have not yielded any fruitful results. We are too much dependent on foreign countries in this regard. The people engaged in research work should show some concerete work.

I could have understood if the funds collected by the levy of this cess would have been kept separtely for cashew-nuts, but I fail to under stand why that amount is going to be credited to the General consolidated Fund of India. By their crediting to the General Consolidated Fund the very purpose of imposing this levy would be defeated. So far many cesses have been levied on the name of research, but they have all been credited to the consolidated Fund of India and the result was that they could not be utilised for the purpose they were levied. If a cess is levied for some specific purpose, it should be kept apart and spent on that very item. The proposed cess should be kept apart and not credited to the Consolidated Fund.

So far the above two reasons I oppose this bill.

Shri Sarjoo Pandey (Rasra) : All the hon. Member who took part in the debate on this bill except the one belonging to congress party havo opposed this bill and though that hon. Member said that he welcomed this bill, it was evident from his speech that he too was opposing this bill. The hon. Member who proceeded me had told what research was being done in our country. The Government has become too much faratic for foreign exchange that every thing, whether it be sugar or shoes or cashew-nuts is being argued that all this is being done for development purposes. I would request the hon. Minister that he should take pity on the farmers and should not bring distinction in the country by leving such taxes. As many hon. Members have state a cess was levied on sugar cane in order to develop sugar industry, but the industry has not developed rather it has deteriorated.

No new research is being done in the country and new departments are opened only to provide employment to some persons. I think it would have been better if instead of leving cess some incentives or some financial assistance would have been given to the farmers so that it would have been possible for them to increase their production. We are spending so much amount on wheat import under P. L. 480. Had this much amount would have been spent on irrigation, our condition would have not been so bad as it is to-day.

I would like to say to the hon. Minister that he should take pity on this country and such taxes should not be imposed on farmers. I would appeal to him that he should not be guided by the I. C. S. officers who prepare imaginary plans, but should work according to his own wisdom. I know that this bill will be passed, but I want to point out that this is not the way of developing cashew industry.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : देश की किसी निर्यात की वस्तुओं में काजू का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है तथा काजू के महत्व को देखते हुए उपमन्त्री महोदय ने विधेयक के जो उद्देश्य

बताये हैं वे स्वागत योग्य एवं आशाजनक हैं। किन्तु यह बड़े दुःख और आश्चर्य की बात है कि मन्त्री महोदय ने जिस विकास कार्य-क्रम का उल्लेख किया है, उसे वर्षों पहले क्रियान्वित नहीं किया गया। इससे ऐसा प्रतीत होता है और एक प्रकार से सरकार ने यह स्वीकार भी किया है कि सरकार ने एक प्रकार से काजू उद्योग की उपेक्षा की है तथा इस प्रकार विदेशी मुद्रा की पर्याप्त राशि खो दी है।

माननीय उपमंत्री ने स्वयं कहा है कि काजू एक ऐसी वस्तु है जिस पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में लगभग हमारा एकाधिकार है और फिर भी हमें इसके लिये पूर्वी अफ्रीकी देशों से कच्चे माल की आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। गत कुछ वर्षों में हमारी आयात निर्भरता घटने की बजाय बढ़ी है। भारत की मुख्य समस्या है कि प्रयोगशालाओं में किये गये वैज्ञानिक अनुसंधान को खेतों तक पहुंचाया जाये तथा वैज्ञानिकों द्वारा किये गये अनुसंधान को किसानों तक पहुंचाया जाये। जब तक भारतीय कृषि की उन्नति के लिये वैज्ञानिकों के ज्ञान को किसानों तक नहीं पहुंचाया जायेगा, तब तक भारतीय कृषि की हालत नहीं सुधर सकती और इसके लिये एक बहुत व्यापक कार्यक्रम की आवश्यकता है। उपकर से जिस धन की वसूली अनुसंधान के लिये की जायेगी, वह धन अनुसंधान के लिये नहीं के बराबर होगा। उस धन से काजू उद्योग के लिये किसी प्रभावशाली कार्य-क्रम के कार्यरूप में परणित होने की संभावना नहीं है। मैं समझता हूं कि अनुसंधान कार्य की उपेक्षा की गई है और उसे उचित प्राथमिकता नहीं दी गई है। उपकर की वसूली के परिणाम-स्वरूप केवल 28 लाख रुपये प्रति वर्ष प्राप्त होंगे और इस मामूली सी राशि से इस विधेयक के प्रयोजन हल नहीं हो सकेंगे। 28 लाख रुपये प्रति वर्ष की एक छोटी राशि नियत करने की अपेक्षा इस दशा में एक बहुत बड़ा प्रयत्न करना होगा और मैं आशा करता हूं कि वादविवाद का उत्तर देते समय माननीय मन्त्री इस बात का आश्वासन देंगे।

मंत्री महोदय को यह आश्वासन भी देना चाहिये कि अधिसूचना अधिकारों अथवा अधि-सूचना के आधीन दिये गये अधिकारों का मनमाने ढंग से प्रयोग नहीं किया जायेगा और अधिसूचना को तुरन्त सभापटल पर रखा जायेगा। ताकि यदि यह सभा चाहे तो उसमें रूपभेद कर सके अथवा उसे रद्द कर सके।

यदि काजू के उत्पादन को बढ़ाने के लिये वैज्ञानिक अनुसंधान आरम्भ किया जाता है तथा उसे प्रोत्साहन देने के लिये बाजार विकसित किया जाता है तो मुझे विश्वास है कि इस हमारे निर्यात व्यापार को विश्व में पर्याप्त प्रोत्साहन मिलेगा। मैं आशा करता हूं कि इस विधेयक का उद्देश्य केवल उपकर लगाना नहीं है, बल्कि विकास के लिये एक व्यापक वैज्ञानिक अनुसंधान आरम्भ करना है।

श्री व० बा० गांधी (बम्बई नगर-मध्य दक्षिण) मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। भारत संसार की 90 प्रतिशत मांग की पूर्ति करता है। किन्तु हमारे देश का उत्पादन विश्व की काजू की 90 प्रतिशत मांग की पूर्ति के लिये निर्यात किये जाने वाले काजू के बराबर नहीं है। हमारा काजू का उत्पादन निर्यात किये जाने वाले काजू का मुश्किल से एक तिहाई है तथा शेष दो तिहाई काजू का अफ्रीकी देशों से कच्चे रूप में आयात करना पड़ता है, तब कहीं हम उस का निर्यात कर सकते हैं। भारत जैसे देश के लिये जब कि हमारे नियंत्रण में इतना बड़ा बाजार यह अच्छी स्थिति नहीं है कि हम आवश्यकता से अधिक दिनों तक अपनी निर्यात के लिये आयात पर

निर्भर करें। अतः हमारे देश के उत्पादन को अवश्य बढ़ाया जाना चाहिये कि हम इस को शीघ्रातिशीघ्र बढ़ायें। मंत्रालय ने यह विधेयक प्रस्तुत करके बड़ी बुद्धिमता का परिचय दिया है क्योंकि इस के परिमाणस्वरूप जो उपकर लगाया जायेगा उस से सरकार को लगातार धन प्राप्त होता रहेगा जिस से हमारा अनुसंधान कार्य चलता रहेगा और हमारे उत्पादन में वृद्धि होगी।

इस विधेयक के बारे में कुछ शब्द कहने में मेरी दिलचस्पी है, क्योंकि मुझे ज्ञात है कि कितने कठोर परिश्रम के बाद भारत अमरीका में काजू के बाजार पर अपना नियंत्रण कर सका है। मैं सोभाग्य से उस व्यक्ति को जानता हूं जिसने अनथक परिश्रम करके अमरीका में हमारे लिये काजू का बाजार ढूंढा था। उनका नाम श्री रामालू है और वह मद्रास के रहने वाले हैं। 46 वर्ष पूर्व वह मुझे न्यूयार्क में मिले थे और मुझे उन्होंने बताया था कि अमरीका के लोगों में काजू का प्रचार करने के लिये उन्हें कितना अनथक परिश्रम करना पड़ा था। अब हमारे हाथ में इतना सुन्दर बाजार है तथा अपनी लापरवाही के कारण उसे नहीं गंवाना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक समर्थन करता हूं।

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra) : I am thankful to the hon. Members who have supported my arguments and this bill. I understand that the hon. Members have in mind that it is a new bill and a new cess is being imposed and it will have a detrimental effect on our production and industry. It also seems that they think that our exports have not increased and our research and devolopment programmes have also not made any head way. I want to assure the hon. Members that it is not a new legislations and 1/2 levy had already been imposed on 21 commodities including cashew Kernels and some fruits according to Agricultural Produce Cess Act, 1940. Under that act it is not possible to levy cess at an enhanced rate on a single commodity as it provided for uniform levy on all commodities covered by it. We did not consider it desirable that cess should by enhanced on all commodities and that is why we have to bring forward the present Bill.

The main reason why cess is being enhanced on cashew Kernals is that Government wants to encourage research and development programme for improvement and development of the methods of cultivation, manufacturing and marketing of cashew. It is not correct as the hon. Members think that our expenditure will be increased by Rs 25 lakhs or 30 lakhs. I have already stated during my speech that apart from an expenditure Rs 30 lakhs this year there would be a securing expenditure of Rs. 20 lakhs per annum for four years. Apart from that there is a development programme of Rs 11 crores during the Fourth Five Year Plan, where as we have spent Rs 2 crores during the third Plan. I also want to tell the hon. Members that the export of cashew Kernel had increased appreciably during the third Plan period. It had gone up to Rs 28 crores by the end of third five year Plan from Rs 13 crores in 1961-62. Our target of export for the Fourth Plan is sixty five thousand tones of cashew Kernel whose value at the present rate comes to Rs 35 to 40 crores.

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : क्या आप देश की आन्तरिक उत्पादन स्थिति सम्बन्धी आंकड़े प्रस्तुत कर सकते हैं।

Shri Shyam Dhar Misra : I am coming to that what I want to tell you is that the Government want to encourage research and the development work. They also aim to improve the cultivation, manufacturing and marketing of cashew. We actually wanted

to increase indigenous production cashew rawnuts. We had an idea to reduce its import by the end of the fourth plan. During the third plan the export of the cashew Kernel have increased to reconsiderable extent. Probably it has gone up to the Rs 28 crores by the end of the third Five years plan period. 1961-62 it was of 13 crores of rupees. Our target of export for the Fourth Plan is Rs 35 to 40 crores. It have been contended that a sum of Rs 30 lakhs will be inadequate for research programme. We should not forget that after all we have to move in the direction with slowly and step by step.

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में उपकर उत्पादकों और कारखानों की सहायता करेगा और यह उन लोगों के लिए भार नहीं होगा। उपकर लगभग 2.74 प्रति क्विन्टल की दर से लागू किया जावेगा और यह हिसाब लगाया गया है कि इस तरह केवल 2 या 3 पैसे प्रति किलोग्राम का अतिरिक्त भार पड़ेगा। यह भी समझना चाहिए कि यह उपकर उत्पादक पर नहीं लगाया गया प्रत्युत निर्यात कर्ता पर लगाया जा रहा है। इस लिए मेरा निवेदन यह है कि जब अधिक निर्यात किया जायेगा तो काजू तैयार करने वाले उद्योग को सहायता मिलेगी। और जब उद्योग को कोई सहायता मिलेगी तो उत्पादक को भी उससे लाभ होगा ही। इस लिए मेरी प्रार्थना है कि केरल के माननीय सदस्यों को अपनी भ्रांति दिमाग से निकाल देनी चाहिए और इस विधेयक को ऐसे का ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिए।

सभा पति महोदय : प्रश्न यह है : "कि विधेयक पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

पुलिस बल (अधिकारों का निर्बन्धन) विधेयक

Police Forces (Restriction of Rights) Bill

सभा पति महोदय माननीय मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) :

मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त कतिपय अधिकारों को उन बल सदस्यों को, जो लोक व्यवसथा बनाये रखने का भार-साधन करते हैं, लागू होने के सम्बन्ध में इस प्रकार निर्बन्धित करने के लिए कि उनके कर्तव्यों का समुचित निर्वहन और उनमें अनुशासन बनाए रखना सुनिश्चित किया जा सके, उपबन्ध करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाये।

मैं इस सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहता हूं कि विधेयक में, संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त कतिपय अधिकारों को, बल के उन सदस्यों पर जो लोक व्यवसथा बनाये रखने के भार साधन है, लागू होने के सम्बन्ध में इस प्रकार निर्बन्धित करने के लिए कि उनके कर्तव्यों का समुचित निर्वहन और उनमें अनुशासन बनाये रखना सुनिश्चित किया जा सके, उपबन्ध किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पुलिस बल तथा इस की प्रशंसनीय परम्परा को मजदूर संघ के कार्यों से खराब न किया जाय जिससे इस सुन्दर पुलिस बल में अनुशासन भंग न हो।

यह भी उल्लेखनीय है स्वतन्त्रता के बाद भारत में पुलिस बल, सब मिलाकर उत्कृष्टतम

बलों में एक सिद्ध हुआ है। किन्तु हाल ही में इस बल में कुछ मजदूर संघ के कार्यों को शुरू करने की प्रवृत्तियां सामने आईं। संविधान के निर्माताओं ने किसी विशेष स्थिति में आवश्यक होने पर संविधान-प्रदत्त मूल अधिकारों को निर्बन्धित करने के बारे में विचार किया था। संविधान में दो सेवाओं के बारे में विचार किया गया था जिसमें मूल अधिकारों को निर्बन्धित करना आवश्यक हो सकता है। एक उनमें से सशस्त्र सेना है तथा दूसरे वे बल हैं जो सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने के प्रभारी हैं। सशस्त्र सेना के लिए अनुच्छेद 33 के अन्तर्गत कानूनों पर विचार किया गया है। किन्तु जो बल सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने के प्रभारी हैं उनके लिये अब तक कोई ऐसा कानून नही बनाया गया है। इस का कानून अब बनाया जा रहा है।

पुलिस बल की निश्चत रूप से कल्याण सम्बन्धी कुछ समस्यायें हैं जिन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। अतः इस प्रयोजन के लिये कुछ व्यवस्था करना आवश्यक है। इस प्रयोजन के लिए वे निश्चित ही केन्द्रीय सरकार की पत्रे तथा निश्चित अनुमति से किसी प्रकार का संघ बना सकते हें। किन्तु हमारा विचार इसे किसी प्रकार के मजदूर संघ कार्य करने की अनुमति देने का नहीं है जिससे उन्हें आन्दोलनात्मक कार्यों में प्रवृत होने का प्रोत्साहन मिले क्योंकि इससे बल की शक्ति एवं अनुशासन का ह्रास होगा जोकि देश में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन हैं।

सशस्त्र सेना का योग निश्चित रूप से अत्याधिक महत्वपूर्ण है। विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा करने का आधार आन्तरिक सुरक्षा की गारण्टी है और पुलिस बल ही जो देश का सर्वोत्तम अनुशासित बल है, उसकी गारण्टी है। दुर्भाग्यवश हमें पुलिस बल की शक्ति एवं अनुशासन के साथ खिलवाड़ करने की प्रवृत्तिया दिखाई देती है। अतः सरकार यह सोचती है कि यदि वह वर्तमान कानून बनाने के लिए सभा से मंजूरी नहीं लेती है यो वह अपने कर्त्तव्य से गिर जायेगी।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

श्री त्यागी (देहरादून) : क्या मंत्री महोदय सदन को यह आश्वासन दे सकते हैं कि वह पुलिस की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैं पुलिस वालों की समस्याओं को जानता हूं और उस पर पूरी सहानुभूति से विचार करूंगा।

श्री स० मौ० बनर्जी (कानपुर) : मेरा निवेदन यह है कि संविधान के अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत इस विधेयक पर विचार नहीं हो सकता।

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr Speaker in the chair

इस विधेयक द्वारा लोगों को उनके मूल अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। 1950 से 1966 तक तो यह विचार नहीं आया था, पर अब यह हो रहा है। इससे पूर्व पुलिस वालों का कोई संघ ही नहीं था। एक बात से मैं सहमत हूँ कि काम का ठप हो जाना कभी भी सहन नहीं किया जाना चाहिए। पुलिस वालों ने अपनी हड़ताल करने का हक भी छोड़ दिया है।

अध्यक्ष महोदय : विधेयक पर कोई अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता नहीं। विधेयक सदन के सामने है, इसे अस्वीकार भी किया जा सकता है और स्वीकार भी।

श्री नम्बियार : मेरा निवेदन यह है कि इस विधेयक पर अनुच्छेद 33 के अन्तर्गत चर्चा ही नहीं हो सकती । इस बारे में जो कुछ मंत्री महोदय ने कहा है वह सन्तोष जनक नहीं है ।

Shri Bagri (Hissar): This Bill is apart the constitution. Until and unless you change the constitution, you cannot move this Bill. The arguments the honourable Minister has advanced are not convincing and do not satisfy us at all. Constitution is above all. But I am not in positution to declare it ultra vires.

Mr Speaker: This is the work of the court.

यह खेद का विषय है कि हम इस स्थिति में पहुंच गये हैं कि पुलिस बल को कानून द्वारा मजदूर सघ बनने से रोका जा रहा है । इससे यह पता लगता है कि देश की स्थिति सन्तोष जनक नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकेंगे ।

हाल ही के महीनों में विद्यार्थियों में असंतोष के सम्बन्ध में प्रस्ताव जारी

Motion Re. Student Unrest in recent months.

अध्यक्ष महोदय : श्री उमा नाथ भाषण जारी रखेंगे

श्री स० मौ० बनर्जी (कानपुर) हमें भी इस प्रस्ताव पर मदद दिया जाना चाहिए ।

श्री उमानाथ (मुद्दुकोट्टै) : जैसा कि मैंने पिछले दिन कहा था कि विद्यार्थियों में कोई निराशा तथा विकृति का भाव नहीं है । विद्यार्थियों ने आजादी के आन्दोलन में भाग लिया है । अतः उनका यह विचार था कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सरकार उन की समस्याओं को पूरी तरह हल करने का प्रयास करेगी । परन्तु ऐसा किया नहीं गया । बीस बरस व्यतीत हो जाने के बाद विद्यार्थियों को यह ज्ञात हुआ है कि स्थिति काफी बिगड़ गयी है इससे विद्यार्थी वर्ग में काफी निराशा का वातावरण पैदा हुआ और वह सब संगठित होकर अपना एक बल बनाने का प्रयास करने लगे हैं । उनका यह ख्याल है कि इस तरह से वह अपने भाग्य को अपने हाथों से निर्माण कर सकेंगे उनकी इच्छा अच्छी सुविधाओं को प्राप्त करना तथा लोकतंत्रात्मक के अधिकारों को प्राप्त करना है । आज जो विद्यार्थियों का आन्दोलन चल रहा है इसकी पृष्ट भूमि में यही बात काम कर रही है ।

इस दिशा में मेरा यह निवेदन है कि ग्वालियर, उज्जैन, इन्दौर और भोपाल में हाल की घटनाओं से यह स्पष्ट है कि पुलिस द्वारा किये गये जुल्म के कारण, जोकि उसने ब्रिटिश राज से विरासत में प्राप्त किया है, सारी गड़बड़ी फैली है । सरकार ने पुलिस बल का पुनर्गठन करने के बजाय सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को यह आदेश दिये कि वह दृढ़ रहें । अतः यह स्वभाविक ही था कि पुलिस बल, जिसने ब्रिटिश राज में जुल्म करना सीखा था, और भी साहसी हो जाये और यह सब घटनायें हुई ।

सारे मामले को देखते हुए यह प्रश्न पैदा होता है कि इस सब का हल क्या है ? केवल शिक्षा मंत्रालय का पुनर्गठन कर देने से समस्या हल नहीं हो सकती । मेरा मत तो यह है कि यदि इस प्रकार की दमनकारी नीति चलती रही तो यह आन्दोलन बन्द नहीं हो सकता । मैं इस बात पर भी बल देना चाहता हूं कि पुलिस बल का पुनर्गठन होना चाहिए । यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है ।

कालिज अधिकारियों के द्वारा पद रोब के कारण ही आज सारा कलकत्ता विश्व विद्या-

लय बन्द हो रहा है। प्रेसीडैन्सी कालिज से कुछ छात्रों को निकाल दिया गया है। एक अन्य कालिज मे एक छात्रा को निकाल दिया गया। सरकारी होस्टल में भी विद्यार्थियों और सुपरिटेंन्डैंट में कुछ नकरार हो गया। इस तरह झगड़ा बढ़ता चला गया। मेरा कहना यह है कि सरकार विद्यार्थियों की शिक्षा सम्बन्धी मांगों की नितान्त उपेक्षा करती रही है। स्थिति इसी प्रकार चलती रही है। उस का उपचार करने की दिशा में सरकार की ओर से कोई कार्यवाही न की गई। स्थिति और बिगड़ी है। विद्यार्थियों ने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए दृढ़ निश्चय किया। सरकार ने धारा 144 लगा दी, भावनायें भड़क उठी, परिणाम यह हुआ कि हिंसात्मक घटनायें हुई।

अब मैं भ्रष्टाचार की बात को लेता हूं। आज पाठ्य पुस्तकों के मामले में बहुत ही अधिक भ्रष्टाचार चल रहा है। जो लोग अधिक घूस देते हैं उनकी किताबें स्वीकृत कर ली जाती हैं। छः किताबें विद्यार्थी एक साथ पढ़ भी नहीं पाते। पर इस तरह विश्वविद्यालयों में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उससे विद्यार्थियों में असन्तोष की भावना और बढ़ गई है। इस सन्दर्भ में यह भी पूछा गया कि विद्यार्थी खाद्य आन्दोलनों में क्यों शामिल होते हैं। इस दिशा में यह समझ लिया जाना चाहिए कि खाद्य तथा मिट्टी का तेल लेने के लिए विद्यार्थियों को कई घंटे लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है। अतः यह स्वाभाविक ही है कि इस स्थिति का उन पर भी प्रभाव पड़ता है। मेरा कहना यह है कि जब तक सरकार अपनी खाद्य नीति का पुनः गठन नहीं करती अथवा इसे मूलभूत परिवर्तन नहीं कर देती, तब तक विद्यार्थी भी खाद्य आन्दोलनों से प्रभावित होते ही रहेंगे। यदि इस मामले में अध्यापक स्थिति को सुधार कर सरकार की कुछ सहायता करना चाहे तो वे भी कुछ नहीं कर सकते। आज उनमें भी असन्तोष की एक प्रबल लहर चल रही है। वे स्वयं भी हड़ताल की बात सोच रहे हैं।

विद्यार्थी राजनीति में भाग न ले, इस बारे में स्थिति यह है कि स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान जब कि दासता और स्वतन्त्रता का झगड़ा था, विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। आज जब कि हम महत्वपूर्ण मामले का निर्णय करने जा रहे हैं, कि हमें अपनी समस्याओं का हल पूंजीवादी तरीकों से करना है अथवा समाजवादी ढंगों से, उस समय विद्यार्थी वर्ग और नई पीढ़ी को इस प्रकार के संघर्षों से भाग लेने से रोका नहीं जा सकता। हमारा विचार यह है कि हम अपने विद्यार्थी वर्ग का बड़ा अनुचित लाभ उठा रहे हैं यह कहना बहुत ही निराधार है। हम लोग केवल उनकी न्याय संगत और उचित मांगों का ही समर्थन करते हैं। क्या हमारी सरकार इस बात को भूल गई है कि जब केरल में साम्यवादी दल सत्तारूढ़ था तो कांग्रेस दल वाले वहां के स्कूलों के बच्चों को साम्यवादी सरकार के विरूद्ध आन्दोलन में भाग लेने के लिए उकसाता था। अतः यदि यथार्थ दृष्टि से देखा जाय तो पता चलेगा कि विद्यार्थियों का अनुचित लाभ विरोधी दलों ने उठाया है न कि कांग्रेस ने। मामला बड़ा साफ है, और निष्पक्ष भाव से देखने की जरूरत है।

मैं पुनः इस बात को कहता हूं कि सरकार को पहले अपने पुलिस बल को पुनः गठन करना चाहिये। उसे विद्यार्थियों और अध्यापकों की शिकायतों को दूर करने के लिए उचित पग उठाने चाहिए। शिक्षा का भी पुनर्गठन किया जाना चाहिए। स्कूलों और कालिजों के संघों को उचित मान्यता दी जानी चाहिए। मेरा पक्का मत है कि यदि यह सब किया जायेगा तो विद्यार्थियों में व्याप्त असन्तोष का कोई हल निकल पायेगा और यदि ऐसा न किया गया तो वह समस्या हल नहीं हो सकेगी।

Shri Bade (Khargone) : I thank Mr Mathur for this Resolution regarding the Students, Unrest. What ever is being done as Stunts in the country will come on the fore, by this Resolution. What ever discontent, unrest are there amongst the Students, these are encouraged by the teachers also. This has become very clear that teachers in our country are very much discontented. It is natural that the unrest of the teachers has its effect on the Students as well. The costly education is also responsible for this wide spread discontentment.

Let me also point out that although students should study political currents and keep themselves in touch with political development, but they should not take part in politics very actively. Today we should also feel that the country is passing through a critical situation and there are serious problems before the country. In the circumstances it is difficult for students to keep themselves away from the happenings in the country. There is a feeling in the country that the Government has yielded to the violence. But that is also a fact that this Government alone is responsible for creating a situation in the country.

Certain incidents took place in Gwalior on the 12th of this month. The Police did not handle the situation properly. The complaint by the students in connection with the incident involving collision of a truck against the gate of a college was not properly attended to. At the sametime the behavior of the police with the students was very bad. If the police had treated the students considerately, the situation had not taken such a serious turn. This is also a fact that the students did not break any law. They grew restless and resort to violence, for their grievances were not properly attended to. I want to urge upon the authorities that we, to establish a machinary in the States, so that grievances of the students may be looked into immediately.

Efforts should be made so that the closed educational institutions may be opened immediately and the situation returns to normal soon.

Shri B. S. Pandey (Guna) - If we hear the speeches of the honourable members of the opposition, one feels that the responsibility of the discontentment and unrest is due to ths failings of the Congress Party. And all troubles are increased by the mishandling of the police. But I feel there is a moral crisis in the country. There has been an erosion of moral authority in the country which is responsible for the trouble. My submission is that steps should be taken to restore that moral authority. This is a big task and all the leaders, the teachers and the parents will have to cooperate in gigantic task in the collective interest of the country as a whole. It is our duty to to explain to the students that they should not resort to violent methods. They should adopt peaceful means to get their grievances redressed. We know it fully well that educational facilities have expanded in the country like anything after independence. Even now education is expanding day by day. And with this expansion of education people are becoming enlightened. And with this comes the awakening amongst the younger people, the students. It is our duty to see that this awakening takes the proper course in the students communities. We must remember that it is the student community which is going to be the future leaders of the nation. If they are not properly guided and go astray, the future of the country will be doomed. They will have to be provided with the proper leadership and it is the responsiblity of the Government to see that they follow the right path.

There is also, an atmosphere of uncertainty in which the young boy coming from the rural area finds in the University Campus. Psychologically this creates the sense of frustration and unrest I urge upon the Government to impart technical training to these youngmen in arts and crafts after they pass their entrance examination. We should not allow everybody to go in for higher education. Only there should be allowed to pursue their studies further who really deserve it. We must create such circumstan-

ces that the students community may play significant role in shaping the future destiny of our beloved motherland.

श्री हेम बरुग्रा (गौहाटी) : मैंने श्री माथुर के प्रस्ताव का काफी गहन अध्ययन किया है। उन्होंने इसके अन्तर्गत सभी प्रकार के विद्यार्थियों को लेने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। परन्तु जो कुछ इस प्रस्ताव में कहा गया है, उसे बहुत इस देश के विद्यार्थी नहीं मानते। इसमें कोई सन्देह नहीं कि देश में नयी पीढ़ी के लड़के लड़कियों के लिए बहुत सुविधाओं की अवस्था हो रही है। परन्तु स्थिति यह है कि कहीं तो कुछ भी नहीं है और कही बहुत कुछ है। क्या शिक्षा मंत्री यह जानते हैं कि ऐसे कौन से कालिज हैं जहां पढ़ने लिखने की उचित सुविधायें नहीं है। आज जो देश में विद्यार्थियों में अशांति का वातावरण पाया जाता है उसका कारण यही है कि उन्हें शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध नहीं हो रही। विद्यार्थियों की वास्तविक शिकायतें भी है परन्तु खेद की बात यह है कि हमारे अधिकारी उनकी ओर से नितान्त उपेक्षित है। और यह बात आम देखने में आई है कि जिन संस्थाओं में सभी प्रकार की अच्छी अव्यवस्था है वहां के विद्यार्थियों में कोई असन्तोष नहीं है और वे इन गड़बड़ियों में भाग नहीं लेते।

यह सत्य है कि आज विद्यार्थी वर्ग के राह में कठिनाइएं है। कठिनाइयां बड़ी भी हैं और छोटी भी। मेरा कहना है कि यदि कोई विद्यार्थी खाद्य के बारे में शिकायत करें तो होस्टल के सुपरिटैन्डैन्ड को तुरन्त इसके लिए कोई कार्यवाही करनी चाहिए। इस समय जो असन्तोष विद्यार्थियों में पाया जाता है यह भी उसी समस्या की एक अभिव्यक्ति मांग है जो आज हमारे समूचे समाज को खाये जा रही है। आज देश अनैतिकता के गर्त में जा रहा है। राजनितिक और शिक्षा दोनों ही क्षेत्रों में नैतिकता का अभाव हो रहा है। और देश में आज कोई नेता नहीं जो पथ प्रदर्शन कर सके, और जिसमें इन आन्दोलनों का सामना करने की क्षमता हो। क्या 7 नवम्बर के दिन कोई माई का लाल था जो बाहर जा कर कहता कि यह सब गलत हो रहा है। नेतृत्व का युग श्री नेहरू के निर्वाण के साथ समाप्त हो गया। उस समय किसी भी तरह के आन्दोलन को शान्त किया जा सकता था। आज देश में कोई ऐसा नेता नहीं जिसकी सब सुने।

जब मैं देश में नेतृत्व के नितान्त अभाव की बात करता हूं तो केवल राजनैतिक क्षेत्र की ही बात नहीं है, जीवन के लगभग सभी अंगों में यही बात है। यह ठीक है कि हमारा अतीत बड़ा शानदार है पर क्या हमने उसी भावना का अब भी लोगों में संचार किया। आज तो हमारे मूल्यों का भी अवमूल्यन हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि साधुओं से प्रेरणा प्राप्त की जा सकती है। परन्तु मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि ये नागे साधु कितनी गन्दी भाषा बोलते हैं। मेरे विचार में ये साधु हमारे युवकों को कोई स्फूर्ति प्रदान नहीं कर सकते। हमारे नेताओं को अपने जीवन से लोगों के सामने कुछ आदर्श पेश करना होगा।

मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने अखबारों में यह पढ़ा कि भूतपूर्व गृह मंत्री ने पुलिस के महा निरीक्षकों की एक सभा बुलाई है। मेरे विचार में यह समस्या इस प्रकार की नहीं है। सरकार को यह समझ लेना चाहिए कि लाठी और गोली से यह समस्या हल होने वाली नहीं। शिक्षा अधिकारियों को छात्रों की कठिनाइयों को और तुरन्त ध्यान देना होगा और बड़ी सहानुभूति से उसे हल करना होगा।

शैक्षणिक अधिकारियों से विद्यार्थियों की शिकायतों पर तुरन्त तथा सहानुभूतिपूर्वक ध्यान

देना चाहिये। सरकार को शिक्षा संस्थाओं की कठिनाइयों की ओर ध्यान देना चाहिये। देश में स्थान स्थान पर स्कूल तथा कालेज खोले जा रहे हैं परन्तु विद्यार्थियों की कठिनाइयों तथा आवश्यकताओं की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों की नियुक्ति राजनैतिक आधार पर की जाती है। उन लोगों की उपकुलपत्ति के रूप में नियुक्ति की जाती है जिनका शिक्षा से कोई सम्बन्ध नहीं होता। केवल गोली चलाने से तो कोई समस्या हल नहीं हो सकती।

श्री जोकीम अल्वा (कनारा) : मैंने अपना नाम आप को दिया था। मुझे इस समस्या पर बहुत कुछ कहना है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। अब और समय नहीं दिया जा सकता।

श्री जोकीम अल्वा : आप विरोधी दल के आगे झुक जाते हैं परन्तु जब हम समय मांगते हैं तो आप इन्कार कर देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस बात पर आपत्ति है। मेरे पास कोई समय नहीं है।

श्री जोकीम अल्वा : आप जान बूझकर ऐसा कर रहे हैं। मैं सभा से जा रहा हूं।

(इसके पश्चात् श्री जोकीम अल्वा सभा भवन से बाहर चले गये।)

(Sbri Jochim Alva then left the House.)

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : दुर्भाग्य से शिक्षा मंत्री बीमार हैं और मैं उनकी ओर से इस विषय पर बोल रहा हूं। प्रस्तावक ने कहा है कि छात्रों की समस्या को आज की विश्व प्रवृत्तियों का केवल एक भाग समझकर हमें इसे मामूली तरीके से नहीं निपटाना चाहिये। मेरा यह सुझाव नहीं है कि मामूली तथा एक विश्व घटना समझकर यह समस्या हल की जाये किन्तु हम इस बात से अपनी आंखें बन्द नहीं कर सकते कि समूचे विश्व में युवक समुदाय वास्तव में विक्षुब्ध है। एक नये समाज का निर्माण हो रहा है। युवकों के दिमागों में किसी प्रकार की संदिग्धता है और हमारे लोग भी इन से अप्रभावित नहीं रह सकते।

यह बात बार बार कही गई है कि देश की शिक्षा प्रणाली को नये विकसित देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं बनाया गया है। यह नहीं कहा जा सकता कि शिक्षा के लिए हमने सब कुछ किया है परन्तु स्पष्ट है कि ऐसे दो तरीके हैं जिनमें हम विस्तार कर सकते हैं—एक गुणों का विस्तार और दूसरा संख्या में वृद्धि। देश के समक्ष प्रथम समस्या साहित्य और शिक्षा को अधिकतम फैलाने के निदेशिक सिद्धान्त को कार्यान्वित करना हैं। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों की जांच से यह स्पष्ट हो जायेगा कि इस विषय में बहुत कुछ किया गया है। 1950-51 में प्राथमिक तथा मिडिल और माध्यमिक विद्यालयों की कुल संख्या 230,682 थी जो 1965–66 में बढ़कर 503,000 हो गई है। कालेजों की संख्या 195C–51 में 563 थी और 1965–66 में यह बढ़कर 20,96 हो गई है। अध्यापकों की संख्या 750,000 हो गई है।

यह मान लेना ठीक नहीं है कि राष्ट्र ने शिक्षा के स्तर के क्षेत्र में कोइ प्रगति नहीं की है। समस्या शिक्षा की औपनिवेशिक पद्धति में परिवर्तन की थी। इस लिये एक के बाद दूसरा आयोग तथा समिति नियुक्त की गई। जो कुछ नहीं किया गया, मैं उसके लिए क्षमायाचना का प्रयास नही

कर रहा हूं परन्तु समस्या बहुत उलझी हुई है। प्रस्तुत किये गये अनेक सूत्रों और विकल्पों में से कोई भी ऐसा नहीं है जिससे समूचा देश, आयोजक और संसद प्रभावित हो। अतः जो कुछ किया गया है, उस में केवल समस्या की सतह को ही छुआ जा सका है। एक और आलोचना अध्यापकों तथा प्राध्यापकों के वेतनों के सम्बन्ध में की गई है। केन्द्रीय सरकार इस विशिष्ट मामले में सदा बचनबद्ध रही है। शिक्षाप्रणाली के सम्बन्ध में जो कुछ किया जा सकता था, किया गया है।

छात्र दोषरहित नहीं हैं। उन्हें भी बताना होगा कि कुछ बातों का उन्हें भी ध्यान रखना होगा। छात्र संघों में निर्वाचन की राजनीति के गम्भीर मामले हैं और उन पर गम्भीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों में वर्तमान असंतोष से प्राथमिक मिडल तथा माध्यमिक विद्यालयों के छात्र अलग रहे हैं। विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में भी कुछ क्षेत्रों में ही असंतोष है और वहां दुर्भाग्य पूर्ण घटनायें हुई हैं। इस लिए, हम सभी छात्रों की निन्दा नहीं कर सकते। हमें उनके साथ सहानुभूति होनी चाहिये। हमें समूची समस्या को वास्तविक दृष्टिकोण में देखना चाहिये।

इस आरोप के बारे में विचार करने तथा जांच करने की बहुत आवश्यकता है कि उपकुलपतियों की नियुक्ति राजनैतिक प्रभाव के अधीन की जाती है। मैं यह नहीं कह सकता कि सभी उपकुलपतियो की नियुक्ति में ऐसा होता है। बहुत से उपकुलपति प्रसिद्ध व्यक्ति तथा शिक्षा शास्त्री हैं। कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें शिकायतों के उचित कारण हों।

शिक्षा सस्थाओं में शिक्षकों तथा छात्रों के बीच सम्पर्क स्थापित करना बहुत आवश्यक है, चाहे ऐसा किसी प्रकार भी किया जाये। छात्र–शिक्षक परिषदें मनोनीत करने की सिफारिश की गई है और इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। इस में शिकायतों की जांच की जा सकेगी और इस सम्पर्क के लिए आधार बनाया जा सकेगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है।

एक अन्य महत्वपूर्ण मामला अवकाश के समय का, विशेष रूप से लम्बी छुट्टियों का उचित प्रयोग करने का है। विख्यात शिक्षा शास्त्री श्री रामचन्द्रन ने कहा है कि हमें देश की परिस्थितियों में परिवर्तन करना चाहिये। नेताओं को अनुशासन, आत्म–बलिदान तथा लगन का एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये। देश में नेता इस के उदाहरण कहां प्रस्तुत कर रहे हैं।

Shri Maurya (Aligarh): It is not worse than corruption ... (Interruptions).

श्री राज बहादुर: मैं यह कह सकता हूं कि यह विद्यार्थियों के लिए उदाहरण नहीं है।

श्री मौर्य: कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। इस प्रकार के व्यक्तिगत आरोप यहां नहीं लगाये जाने चाहियें।

Shri Maurya: Not recorded.

श्री राज बहादुर: मैंने माननीय सदस्य का नाम नहीं लिया परन्तु यदि यह बात उन पर ठीक बैठती है, तो उन्हें आपत्ति नहीं होनी चाहिये **(अन्तर्बाधायें)**।

Shri Bagri (Hissar): He should not teach discipline ... (Interruptions).

Mr. Speaker: Kindly sit down.

श्री राज बहादुर: लोकतन्त्र तथा अन्य शासन प्रणालियों में एक आवश्यक अन्तर है। लोकतन्त्र को बनाये रखने के लिए अनुशासन बहुत आवश्यक है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : माननीय मंत्री ने कहा है कि छात्रों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। क्या मैं जान सकता हूं कि यह वृद्धि समूचे देश में समान रूप से हुई है। दक्षिण में छात्रों की संख्या में उतनी वृद्धि नहीं हुई है जितनी कि पूर्व में हुई है। छात्रों में अनुशासनहीनता उन राज्यों में सबसे अधिक है जिनमें शिक्षा की सुविधायें सब म अधिक है। मद्रास में केवल एक बार भाषा के प्रश्न पर गड़बड़ हुई थी।

सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उप-कुलपतियों की नियुक्ति केवल योग्यता के के आधार पर ही हो। यदि हमारे उपकुलपति शिक्षा जगत में सम्मान प्राप्त हो तो आधी समस्यायें समाप्त हो सकती हैं। अधिकांश रूप से छात्रों का हृदय स्वस्थ होता है। विश्वविद्यालयों में गड़बड़ के जिम्मेदार आवसायिक छात्र हैं। ऐसे विद्यार्थी छात्र संघों में निर्वासित होने के इच्छुक होते हैं। वे कुछ निहित स्वार्थों के प्रतिनिधि होते है। ऐसे छात्रों से छुटकारा पाने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिये।

किसी भी परिस्थिति में छात्रों को हमारे जीवन की मुख्य धारा से पृथक नहीं किया जा सकता। उन्हें देश की राजनीति को समझना चाहिए परन्तु उन्हें राजनीति का खिलौना नहीं बनाया जाना चाहिये। एक आदर्श विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा सरकार को छात्रों से कहना चाहिये कि वे शैक्षणिक जीवन पर किसी राजनैतिक दल का प्रभाव न पड़ने दे। छात्रों को विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा दी जाने वाली राशि पर भी प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये। पुलिस का सिपाही प्रदर्शनों तथा गड़बड़ियों से निपटने के लिये उचित व्यक्ति नहीं है। दिल्ली, लखनऊ और इलाहाबाद जैसे बड़े नगरों में ऐसे विशेष पुलिस दस्ते होने चाहिए जो प्रदर्शनों पर कम से कम बल का प्रयोग करके उन पर नियंत्रण कर सकें।

मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह उन परिवारों का ध्यान रखते हुए जिनके युवक मरे हैं, इनके बारे में जांच करायें। आप उनके जीवन को तो वापिस नहीं ला सकते परन्तु उनकी भावनाओं को सान्तवना देने के लिए यह जांच करा सकते हैं। आचार्य कृपलानी को यह मानना पड़ेगा कि जनता गड़बड़ नही करती। कुछ शरारती तत्व ही गड़बड़ करते हैं।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad): Poeple have lost their lives and you call it only mischief.

श्री ज० भ० कृपलानी (अमरोहा) : कांग्रेस के पास पुलिस सेना तथा धन है। उन्हें चाहिये था कि कुछ बदमाशों को दंड देते। यदि आप शरारतियों को नहीं रोक सकते तो राज्य कैसे करेंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : जहां तक पब्लिक स्कूलों का सम्बन्ध है, मैं इतना कहूंगा कि जो विद्यार्थी इन स्कूलों में से पास होकर जायेंगे, वे कभी भी देश के नेता नहीं बन सकेंगे क्योंकि वे जनता के बारे में बहुत परिचित नहीं होते। वे तो अच्छे नौकर ही बन सकते हैं।

मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न को दलों का प्रश्न न बनाया जाये। इसे राष्ट्रीय प्रश्न समझा जाये।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री प्रकाशवीर शास्त्री तथा विश्वनाथ पाण्डेय के स्थानापन्न प्रस्तावों को सभा के मतदात के लिए प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The motion were negatived

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ।

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

बिहार की स्थिति

Shri Bagri (Hissar) : I call the attention of the Food, Agriculture, Community Development and cooperation to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon :—

"Widespred starvation condition in Bihar and the statement of the Bihar Chief Minister holding central Government responsible for it."

The Minister of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation

(Shri C. Subrmnaniam) : सरकार ने बिहार के मुख्य मंत्री का कथित वक्तव्य समाचार-पत्रों में पढ़ा है परन्तु जब तक हम सरकारी रूप से उनकी प्रति नहीं ले लेते, उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते ।

सरकार बिहार को अधिक से अधिक अन्न देने का प्रयत्न कर रही है परन्तु उसे अन्य राज्यों की न्यूनतम मांगों का भी ध्यान रखना है । बिहार में अन्न भेजने की मात्रा में बढ़ोत्तरी हुई है । और वहां अक्तूबर में 72,000 टन, नवम्बर में 110,000 टन तथा दिसम्बर में 150,000 टन अन्न भेजा । निस्संदेह बिहार सरकार अधिक अन्न मांग रही हैं परन्तु कुछ दूसरे राज्यों की भी स्थिति संतोषजनक नहीं है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में भी स्थिति गंभीर है यद्यपि वह इतनी गंभीर नहीं जितनी कि बिहार की हैं । अन्य राज्यों की न्यूनतम मांगें हैं जिन्हें पूरा करना है बिहार की मांग को अधिक पूरा करने के हेतु कुछ अन्य राज्यों की मांग को भी ध्यान में रखना है । हमने कुछ अन्य राज्यों के राशन में भारी कटौती भी कर दी है ।

भारत सरकार बिहार की स्थिति से भली भांति परिचित है । साथ ही यह भी ध्यान में रखना है कि जितनी सहायता दी जा रही है उसको ठीक प्रकार से उपयोग करना है ।

Shri Mauria (Aligarh) : I have a point of order. The reason in statement was that Central Government is not accepting the statement of the Chief Minister of Bihar. That is against the veiws of the Central Government.

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री चि० सुब्राह्मण्यम : मैंने उनके टेलीफोन पर बात करने का प्रयत्न किया परन्तु उन्होंने कहा कि वे मेरी आवाज नहीं सुन सकते थे । खैर अब तो वक्तव्य बिहार के मुख्य मंत्री ने दिया, उसके लिये वह बिहार विधान सभा को उत्तरदायी है । उससे स्थिति नहीं बदलती है ।

Shri Bagri : I also have a point of order to raise. when there is no co-operation between the Central and State Government, why should not the Minister resign ?

Mr. Speaker : I am prepared to postpone it till tomorrow if they can give more information.

श्री रंगा (चित्तूर) समाचारपत्रों के अनुसार बिहार के मुख्य मंत्री ने कहा है कि भुखमरी की मृत्यु के लिये केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार है । मंत्री महोदय को चाहिये कि इस वक्तव्य की प्रति प्राप्त करें ।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह मुख्य मंत्री से इस वक्तव्य की प्रति प्राप्त कर सकते हैं ?

श्री चि० सुब्राह्मण्यम : महोदय मुख्य मंत्री के वक्तव्य से स्थिति बदल नहीं सकती। मैं मानता हूं कि हमारी भी जिम्मेदारी है। वहां अन्न भेजने के मैंने आंकड़े भी प्रस्तुत किये हैं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : महोदय हम दो दिन तक इन्तजार कर सकते है यदि वह बिहार के मुख्य मंत्री का वक्तव्य प्राप्त करें।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) Since deaths have taken place. It is your responsibility now.

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार को दोषी ठहराया है। साथ ही श्री जयप्रकाश नारायण ने भी कहा है कि भुखमरी से मौत हुई हैं।

श्री चि० सुब्राह्मण्यम : मृत्यु के केवल समाचार है परन्तु हमें उनकी जांच करनी है।

श्री हेम बरुआ : मंत्री महोदय की मुख्य मंत्री से भुखमरी की मौत का ब्यौरा प्राप्त करना चाहिये और सभा को सूचित करना चाहिये।

श्री चि० सुब्राह्मण्यम : मुख्य मंत्री ने भी यह नहीं कहा है कि भुखमरी से मौतें हुई हैं। उन्होंने कहा है कि इसकी संभावना है। यदि मौत होनी हैं तो उसके लिये केन्द्र की भी जिम्मेदारी है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Drought and scarcity is none different than famine.

श्री हेम बरुआ : आप बिहार के प्रति बहुत अनउदार हैं।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह संसद स्वयं देख सकती है कि मैंने जो पग उठाये हैं वे समस्या का सामना करने के लिये पर्याप्त हैं अथवा नहीं।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : I want to raise a point of order under Rule 257 and 256 according to which the executive power of the union shall extend to the giving of such directions to a state as may appear to the government of India to be necessary for that purpose. But the relations between the centre and the state are not cordial; as is evident from the fact that the Bihar Chief Minister could not understand as to what the Union Minister was telling him over the phone. In such circumstances you are not supposed to tolerate this habit of destruction.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : टेलीफोन पर मुख्य मंत्री से बात नहीं की गई थी। हमने तो सचिव से स्थिति का पता पूछा था।

Shri Bagri (Hissar) : There is a direct telephone line between Delhi and Patna. Then why this matter of not being able to hear came up. Will the present minister be able to save the starving people of this country. I have received reports of signs of a big civil war in Bihar from my party people.

Shri J. B. Kripalani (Amroha) : I have learnt that the problem is not so much of food as of distribution. It is said that the government there is not working well and some Officers are being sent from the centre. What has happened to that ?

Mr. Speaker : We will consider it later on.

श्री रंगा (चित्तूर) : दो प्रश्न उत्पन्न होते हैं—एक मंत्री महोदय के वक्तव्य के अनुसार यह कि केन्द्रीय सरकार को क्या करना चहिये । दूसरा यह कि मुख्य मंत्री के कथित वक्तव्य के अनुसार केन्द्रीय सरकार का क्या रवैया है !

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मेरी ओर से आप इस आधार पर प्रश्न कर सकते हैं कि वह वक्तव्य मुख्य मंत्री ने दिया है ।

Shri Maurya (Aligarh) : The minister has deliberately concealed the truth from the House about the chief minister's statement because he has said that he could not listen to fully on phone what the Bihar authorities told him. Now he says that he is prepared to reply to questions on the basis that the Bihar Chief Minister has made that statement as came in the newspapers.

Mr. Speaker : This cannot be an allegation.

श्री रंगा : परन्तु मंत्री को यह बात पहले ही स्वयं कहनी चाहिये थी ।

Shri Bagri : The Food Minister is very careless in this regard. The Bihar Chief Minister wanted 1 lakh ton of foodgrains but centre granted only 60,000 tons of the quota. Is the minister in a position to give us figures as to why many people have left Bihar and what steps have been taken to prevent them from leaving Bihar ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मेरे पास जो लोग चले गये हैं उनके आंकड़े नहीं हैं । कुछ लोग कठिनाईयों के कारण बाहर जा रहे हैं ।

Shri Madhu Limaye : There are strained relations between the centre and the state and it is said that there was talk of imposition of President's Rule. I want the minister to enlighten the House about the number of deaths taken place due to starvation which minister may call malnutrition, scarcity or distress.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हमारे आपस के बहुत अच्छे सम्बन्ध हैं । राष्ट्रपति शासन लागू करने का कोई प्रश्न ही नहीं था ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं । विरोधी दल के सदस्यों के वक्तव्य असत्य हैं । आज के टाईम्ज आफ इंडिया में छपा है कि वहां कोई श्री बिमाने जोकि बम्बई नागरिक अकाल सहायता समिति के सचिव हैं तथा जिन्होंने बिहार का दौरा किया है के अनुसार, वहां अकाल की स्थिति नहीं है परन्तु गलत प्रकार से अन्न बांटने की समस्या है ।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

Dr. Ram Manohar Lohia : Two types of news are emanating from the famine stricken areas— one that the Harijans Adivasis and small farmers who have nothing to eat harvest the crops of those who are a bit better off and this results in fighting and as a result thereof, the people have died. The second type of news are that the well to do farmers especially young people have taken these Advasis to the officers and cordoned them off and demanding foodgrains. I want the minister to inform the House about it and whether cases of arson and loot are not taking place there ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुझे ऐसे किसी समाचार का पता नहीं है ।

Dr. Ram Mohan Lohea (Farrukhabad) : This is no answer.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : श्री नरेन्द्र सिंह महीडा ने पहले ही समाचारपत्रों से इन समाचारों का उल्लेख कर दिया है।

श्री रंगा (चित्तूर) : माननीय मंत्री ने श्री बागड़ी के विरूद्ध बहुत ग्रापत्तिजनक टिप्पणी की है। परन्तु हमने उसे सहन कर लिया। डा० राम मनोहर के उत्तर में उन्होंने जो वक्तव्य दिया है वह भी बहुत ग्रापत्तिजनक है। उन्होंने कहा कि यद्यपि ग्रभी तक कोई गड़बड़ी नहीं है तथापि वह लोगों को उत्तेजित कर रहे हैं ताकि गड़बड़ी हो ग्रौर पुलिस कार्यवाही करे। उनके लिए ऐसा कहना उचित नहीं है।

श्री जी. भ. कृपलानी (ग्रमरोहा) : ग्रध्यक्ष महोदय ग्राप मंत्री महोदय को परामर्श दें कि वह राज्य सरकार के साथ विचार विमर्श करने के पश्चात कोई बात कहें। केन्द्र तथा राज्य सरकार दोनों को एक ही ग्रावाज में बोलना चाहिए ताकि कोई भ्रम उत्पन्न न हो।

ग्रध्यक्ष महोदय : हमारी भी यही इच्छा है कि उनको एक ग्रावाज में बोलना चाहिए।

श्री जी. भ. कृपलानी : यदि वे एक दल हो कर नहीं बोलते तो विरोधी दल जो कह रहे हैं उनको वैसा कहने से रोका नहीं जा सकता। हम नहीं जानते कि वितरण ठीक नहीं हो रहा ग्रथवा सप्लाई ठीक नहीं हो रही है पहले यह भी कहा गया था कि वहां पर राष्ट्रपति का शासन लागू किया जायेगा। फिर यह कहा गया कि इसकी ग्रावश्यकता नहीं है केन्द्र से केवल कुछ ग्रधिकारी भेजे जायेंगे। हम जानना चाहते हैं कि वहां पर वास्तव में क्या किया गया है।

श्री चि. सुब्रह्मण्यम : मुझे प्रसन्नता है कि श्री कृपलानी ने यह सुझाव दिया है कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार में ग्रधिक समन्वय होना चाहिए। हम भी ऐसा ही करने का यत्न कर रहे हैं। हमने ग्रधिकारियों का एक दल वहां पर स्थिति का पता लगाने के लिये भेजा है ताकि यदि ग्रावश्यक हो तो हम कोई सुधारात्मक कार्यवाही कर सके। हम यह भी पता लगाने का यत्न कर रहे हैं कि वितरण ठीक प्रकार होता है ग्रथवा नहीं।

ग्रध्यक्ष महोदय : क्या दुख की बात नहीं कि राज्य के मुख्य मंत्री केन्द्रीय सरकार के विरूद्ध कुछ कह रहे हैं ग्रौर केन्द्रीय सरकार उसके विरूद्ध कोई बात कह रही है।

श्री चि. सुब्रह्मण्यम : वह भी एक व्यक्ति ही हैं ग्रौर उनको घटनास्थल पर स्थिति पर ध्यान रखना है इसलिये शायद वह चाहते हों कि केन्द्रीय सरकार को ग्रधिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हो सकता है इस दृष्टिकोण से उन्होंने कुछ कहा हो।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : माननीय खाद्य मंत्री ने पिछली बार जो वक्तव्य दिया था उससे यह प्रभाव उत्पन्न हुग्रा था कि बिहार सरकार उचित ढंग से वितरण न करने के लिये दोषी है। इससे बिहार सरकार पर भी प्रभाव हुग्रा कि उनके मुख्य मंत्री ने जो मामला उठाया है केन्द्रीय सरकार उस बारे में पहले से ही कुछ ग्रनुमान लगाये हुए हैं। हम जानना चाहते हैं कि इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने के क्या कारण हैं।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हमें यह भी देखना है कि लाखों लोगों के जीवन को जोखिम न हो। इस लिये यदि मैं महसूस करता हूं कि वहां पर कुछ प्रशासनिक त्रुटियां हैं तो मुझे इन त्रुटियों को दूर करने के लिये वहां के मुख्य मंत्री के साथ इस मामले को उठाना है। इस लिए हमने ग्रपने

अधिकारी वहां परभेजे हैं इसमें राज्य तथा केन्द्रीय सरकार की प्रतिष्ठा का कोई प्रश्न नहीं है। आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

Shri Bagri (Hissar) : I rise on a point of order. The hon. Minister in his statement had stated that Bihar Government has failed.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैंने ऐसा नहीं कहा है।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : The Chief Minister of Bihar did not vote for Smt. Indra Gandhi. I would like to know whether on that account 5 crores people of Bihar are being made to starve ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कहना उचित नहीं है।

श्री चि० सुब्रहमण्यम : मुख्य मंत्री का वोट नहीं होता।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) ; I would like to know whether President's rule will be imposed there or not. One of the Ministers told me that there is no other way except President's rule.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : बिहार सरकार ने अनाज की जो कम से कम आवश्यकता बताई थी क्या उतना अनाज सप्लाई कर दिया गया है और दूसरे राज्य सरकार को क्षेत्रीय किसानों से बाहर जाकर अनाज खरीदने की अनुमति दी गई है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम . बिहार सरकार ने प्रति मास चार लाख टन अनाज की मांग की थी। उत्पादन की वर्तमान स्थिति को देखते हुए हम इतना अनाज सप्लाई नहीं कर सकते। हमारा अनुमान यह है कि यदि हम कम से कम 5 किलो ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमास दें तो स्थिति का मुकाबला किया जा सकता है यद्यपि कहीं कहीं कुछ कठिनाई होगी। इस हिसाब से जनवरी फरवरी में स्थिति का मुकाबला करने के लिये हम उनको 2 लाख टन अनाज दे रहे हैं। परन्तु महत्वपूर्ण बात यह है कि अनाज सबको बराबर मिले। बिहार सरकार पर हम इसी बात के लिये जोर दे रहे थे और उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है।

श्री प्र० र० चक्रवर्ती : बिहार सरकार को अन्य क्षेत्रों से अनाज वसूल करने सम्बन्धी अनुमति दी गई है अथवा नहीं।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम भी अन्य राज्यों से तथा आयात करके ही अनाज उनको दे रहे हैं। यदि वह स्वयं अनाज क्रय करेंगे तो अन्य राज्यों में भी कमी की शिकायत होगी। इस लिये हम भोजनाबद्ध कार्यक्रम के अनुसार अनाज के वहन के बारे में कार्य कर रहे हैं।

Shri Maurya (Aligarh) : I would like to know whether any measures have been taken to save the scheduled castes and scheduled tribes, old men and pregnant women from starvation. I would also like to know the quantity of foodgrains mentioned in the report of the officer who was sent there and how much the Central Government is supplying to them ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : बिहार सरकार की मांग तथा सप्लाई के बारे में मैंने पहले ही आंकड़े बता दिये हैं। गर्भवती माताओं तथा बच्चों के लिये हमने विशेष कार्यक्रम बनाया है।

Shri Bagri (Hissar) : Shri Maurya wanted to know the facilities provided to the

pregnant and and expectant women, children and old men ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम बच्चों, बुढ़े तथा कमजोर लोगों के लिये मुफ्त खाना दिया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पाउडर का दूध तथा अन्य पोषटिक पदार्थ दिये जा रहे हैं।

Dr. Ram Manohar Lohia : There is only one minister who can answer these questions and he is our Jagjiwan Ram. Please ask him to tell us what facilities have been provided to women, children and scheduled caste people.

Mr. Speaker : He cannot answer this question.

श्री रंगा (चित्तूर) : न केवल राज्य तथा केन्द्र सरकार में कुछ मतभेद हैं बल्कि स्वयं केन्द्रीय सरकार में भी कुछ मतभेद है।

यदि माननीय मंत्री के पास इस समय पूरी जानकारी नहीं है तो वह सत्र की समाप्ति से पूर्व पूर्ण जानकारी अर्थात बच्चों महिलाओं कृषि मजदूरों तथा अन्य लोगों को कितनी मात्रा में राशन दिया जाता है। भारत सरकार को बिहार में अकाल स्थिति की कब सूचना मिली तथा उस समय सरकार ने अनाज के वितरण के बारे में क्या क्या सुझाव दिये थे। यह भी जानकारी दी जानी चाहिये कि बिहार तथा केन्द्रीय सरकार में किस अवस्था में मतभेद उत्पन्न हुआ था। यह बात किस सीमा तक सच हैं कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा सप्लाई किया जाने वाला अनाज चोर बाजार में तथा समाज विरोधी तत्वों के हाथों में जा रहा है। इन सब बातों पर हम पूर्ण जानकारी चाहते हैं।

केन्द्रीय सरकार को स्थानीय सरकार पर निर्भर न कहकर समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को वहां की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिये कहना चाहिये।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हमने 5000 टन गेहूं मुफ्त आंवटन के लिये बिहार सरकार को दिया है और जब यह अनाज समाप्त हो जायेगा और अधिक अनाज दिया जायेगा। उनको 700 टन दूध का पाउडर भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त 'केयर' ने 900 टन दूध का पाउडर दिया है। बच्चों तथा महिलाओं को दूध सप्लाई करने के लिये 'केयर' को ही भारसाधक बनाया गया है। वास्तव में कितने दूध का आंवटन किया जा चुका है इस बारे में मेरे पास अभी आंकड़े नहीं हैं। बच्चों कमजोर तथा बूढ़े व्यक्तियों की देखभाल के लिये श्री जयप्रकाश नारायण की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। इसी आधार पर वह सहायता कार्य कर रहे हैं। हम यथासम्भव सामान सप्लाई करने का यत्न करेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : क्या मंत्री महोदय का ध्यान मुख्य मंत्री के प्रैस सम्मेलन की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि केन्द्रीय सरकार न तो आवश्यकतानुसार अनाज दे रही है। और न ही राज्य सरकार को स्वयं क्रय करने की अनुमति दे रही है उन्होंने आगे कहा कि नवम्बर के लिये केन्द्रीय सरकार ने केवल 1·07 लाख टन अनाज दिया है और दिसम्बर के लिये 1·5 लाख टन। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस सीमित राशन से लोगों में कुपोषण फैलेगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस प्रकार की कोई प्रार्थना की है क्योंकि वहां के 37 जिलों को अकाल की स्थिति का सामना है। यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कितना अनाज मांगा है और उनको नवम्बर में कितना अनाज सप्लाई किया गया है तथा और अधिक अनाज सप्लाई करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : उत्तर प्रदेश के बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। प्रश्न के ऊपरी भाग का उत्तर पहले दिया जा चुका है कि विभिन्न राज्यों से फालतू अनाज एकत्र करके ही बिहार राज्य को सप्लाई किया जा रहा है। हम किसी विशेष राज्य को दूसरे राज्य से अनाज क्रय करने की अनुमति नहीं दे सकते।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : माननीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि वितरण व्यवस्था में कुछ खराबी है। मैं जानना चाहती हूं कि उनको किस प्रकार यह पता चला है क्योंकि इस बारे में केन्द्रीय तथा राज्य सरकार में मतभेद है।

आधे घंटे की चर्चा

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

स्कूटर दिये जाने के बारे में

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : इस बात को देखते हुए कि स्कूटरों की अत्यधिक कमी है और कि हजारों व्यक्ति के नाम प्रतीक्षा सूची में हैं। स्कूटरों के सामान वितरण के लिये कुछ शर्तें लगाना बहुत ही कठिन है। सरकार ने काफी ध्यान देने के पश्चात सरकारी कर्मचारियों को स्कूटर दिये जाने के बारे में कुछ नियम बानये हैं। एक शर्त यह है कि रिहायश के स्थान से फासला पांच किलोमीटर का होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि एक नियत सीमा पर वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारी ही स्कूटर के लिये आवेदन पत्र दे सकते हैं। मूलरूप से मैं इस सिद्धांत के विरुद्ध हूं क्योंकि सरकार वर्गहीन समाज में विश्वास रखती है। इसलिये मैं जानना चाहती हूं कि इस प्रकार वेतन पर आधारित स्कूटरों के लिये सरकार कहां तक ठीक है। सरकार ने स्कूटर के लिये पहले 500 रुपये तथा बाद में 350 रुपये सीमा नियत की थी। जब तक कोई व्यक्ति इतना वेतन नहीं लेता वह स्कूटर के लिये अधिकारी नहीं है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति 350 रुपये से कम वेतन पाते हैं वे इस सुविधा के लिये अधिकारी नहीं हैं। मैं सरकार के इस रवैये के प्रति कड़ा विरोध करती हूं सरकार को इस प्रकार की शर्तें नहीं लगानी चाहिये। यह बात स्कूटर क्रय करने वाले व्यक्ति पर छोड़ दी जानी चाहिये कि वह स्कूटर क्रय कर सकता है अथवा नहीं। मुझे आशा है कि सरकार अपने निर्णय पर पुनः विचार करेगी।

यदि गरीब व्यक्ति स्कूटर रख सकते हैं तो उनको स्कूटर रखने का अधिकार दिया जाना चाहिये। सदा ऐसा नहीं होता कि 350 रुपये पाने वाले कम वेतन पाने वालों से अधिक धन बचा सकते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि सभी व्यक्तियों को स्कूटर खरीदने की अनुमति दी जानी चाहिये यदि स्कूटरों की कमी है तो एक हजार में से बीस व्यक्तियों को स्कूटर दिया जा सकता है परन्तु उन बीस व्यक्तियों का चुनाव सरकार को नहीं करना चाहिए। यदि सप्लाई सीमित है तो प्राथमिकता के आधार पर स्कूटरों का आवंटन किया जा सकता है परन्तु वेतन के आधार पर किसी को लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात स्कूटरों के आवंटन के बारे में नियम बनाये जाने चाहिए।

नियमों में प्रतिदिन परिवर्तन करना भी उचित नहीं है। ऐसा नियम बनाया गया था कि

पांच किलोमीटर से दूर रहने वाले स्कूटर के लिये ग्रावेदन दे सकते है। स्कूटर ग्रावेदन पत्रों की प्राथमिकता के ग्राधार पर दिये जाते थे। इसी बीच सरकार ने नियमों में परिवर्तन कर दिया। इस परिवर्तन से लोगों की प्राथमिकता पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इस नियम को बनाये रखा जाना चाहिए क्योंकि सरकार का ग्राशय वास्तव में दूर रहने वाले कर्मचारियों को स्कूटर रखने की सुविधा देना ही है। सरकार ने ग्रधिसूचना में ऐसा कहा है कि दूरी जानने के लिये सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि सरकार के पास प्रत्येक कर्मचारी के घर का पता होता है उससे दूरी का पता लगाया जा सकता है। इसलिये माननीय मंत्री से मेरा ग्रनुरोध है कि वह इस नियम को बनाये रखे। यदि कुछ कारण वश इस नियम में परिवर्तन करना ग्रावश्यक हो तो पहले की प्राथमिकता में गड़बड़ी नहीं की जानी चाहिए।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं जानना चाहता हूं कि 350 रुपये की वेतन सीमा निर्धारित करने के क्या विशेष कारण है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : ग्राधे घण्टे की यह चर्चा ग्रातारांकित प्रश्न पर ग्राधारित है जिसका पहले भी उत्तर दिया जा चुका है। इसका सम्बन्ध 5 किलोमीटर की दूरी में कुछ छुट देना है

श्रीमती सिन्हा ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि सरकार 350 रुपये वेतन पाने वालों तथा इससे कम देतन पाने वालों के बीच कोई विभेद रखती है। ऐसी भावना उत्पन्न करना, ठीक नहीं है। श्री बनर्जी ने तो यह प्रयत्न किया है कि केवल प्रथम श्रेणी के कर्मचारी ही स्कूटर पाने के योग्य हैं, ये दोनों बाते गलत हैं। 1960 में जब से केन्द्रीय सरकार नियन्त्रण ग्रादेश जारी हुग्रा है प्रतिवर्ष स्कूटरों के लिए ग्रावेदन-पत्रों में वृद्धि हुई है। 1965 में लगभग 17,700 ग्रावेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं। सरकार इतनी मांग को पूरा नहीं कर सकती क्योंकि बहुत कम संख्या में स्कूटर उपलब्ध हैं। केन्द्रीय सरकार के कोटे में प्रति तीन मास बाद 1600 स्कूटरों, 600 मोटर साईकल उपलब्ध होते हैं। लम्बी-लम्बी सूची बनाये रखने का कोई लाभ नही है क्योंकि सरकार स्कूटरों की इतनी संख्या में मांग को पूरा नहीं कर सकती। इसीलिये यह विचार किया गया है कि इस परिस्थिति को देखते हुए स्कूटरों के न्यायपूर्ण ढंग से वितरण के लिये कुछ मार्ग-दर्शन नियम बनाये जाने चाहिए ग्रौर इसी कारण कुछ नियम बनाये गये हैं। सर्वप्रथम यह फैसला किया गया था कि 500 रुपये से ज्यादा वेतन पाने वालों को ही स्कूटर दिये जायें क्योंकि यह विचार किया गया था कि स्कूटर खरीदने के लिए किसी व्यक्ति के साधनों पर भी विचार किया जाना चाहिए। ग्रधिकांश सरकारी कर्मचारी स्कूटर खरीदने के लिए सरकार से ऋण लेते हैं। सरकार स्कूटर खरीदने के लिए ग्रधिक से ग्रधिक 2750 रुपये देती है ग्रौर इस ऋण को 50 किस्तों में वापस करना होता है। इस ऋण पर $5\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज भी लिया जाता है।

इसके पश्चात सभा के दोनों सदनों में इस प्रश्न को उठाया गया कि 500 रुपये की सीमा बहुत ग्रधिक है। इसलिये इस सीमा को कम करके 350 रुपये कर दिया गया। यह कहना ठीक नहीं है कि 350 रुपये से कम वेतन पाने स्कूटर लेने के हकदार नहीं हैं। ऐसे व्यक्ति किसी व्यापारी से स्कूटर खरीद सकते हैं।

लम्बरेटा तथा वैस्पा स्कूटरों के ग्रतिरिक्त दो ग्रन्य प्रकार के स्कूटर भी सरकारी कोटा मे

उपलब्ध हैं। इनके लिए सरकार का 100 स्कूटरों का कोटा है परन्तु इनके लिये कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं।

5 किलोमीटर दूरी वाली शर्त को कार्यान्वित करना बहुत कठिन हो गया था क्योंकि लोगों को स्कूटर पाने में एक दो वर्ष लग जाते हैं और इस बीच में उनका कार्यालय बदल जाता है अथवा निवास स्थान में परिवर्तन हो जाता है। केवल इस नियम को लागू करने के लिए कोई व्यापक व्यवस्था करना उचित नहीं समझा गया। इसलिए इस नियम को हटा दिया गया है।

जिन लोगों ने पहले आवेदन-पत्र दे रखे थे और वेतन सीमा को 350 रुपये करने से पुनः स्कूटर पाने के पास बन गये हैं तो उनको आवेदन-पत्र की तिथि से प्राथमिकता दी गई है।

5 किलोमीटर दूरी की शर्त हटाये जाने के पश्चात कुल 1500 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं इनमें से उन लोगों की संख्या केवल 150 है जिन्होंने कि पहले भी आवेदन-पत्र दे रखे थे और जो संख्या बदली सूची में भी थे।

अध्यक्ष महोदय: सभा कल ग्यारह बजे तक स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोक सभा बुधवार 30 नवम्बर, 1966 अग्रहायण 9, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, November 30, 1966 Agrahayan 1888 (Saka).